राजस्थान विधान सभा

द्वादश बैठक, दिनांक २५ फरवरी, १९५३

सदन का कार्य २ बज कर ३ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी (अध्यक्ष) पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न । श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(प्रश्न संख्या ३२३ तथा ३२४ के उत्तर श्री हरिकृष्ण व्यास की अनुपस्थिति के कारण नहीं दिये गये)

प्रश्न संख्या ३२५ (४५।एम. एम)

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या रसद मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजमहल व बन्थली के पास बनास नदी से नहर निकालने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

(ख) यदि है तो वह क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(क) हां ।

(ख) राजमहल व बन्थली के पास बनास नदी से नहरें निकालने की योजना है ।

एक सदस्य—यह कार्य कब तक हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—इस योजना को भारत सरकार के पास भेजा गया है। वहां से मन्जूरी आने पर इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री हिम्मतसिंह—इस योजना का क्या एस्टीमेट है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—एस्टीमेट तो इस समय मेरे पास नहीं है। इस योजना को आगे भेजा गया है और वहां से मन्जूरी आने पर इसको कार्यान्वित किया जावेगा ।

श्री कानसिंह--आगे से आपका क्या मतलब है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--आगे से मेरा मतलब है केन्द्र से।

एक सदस्य--इससे कितने रकबे को लाभ पहुंचेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--इस समय मेरे पास इसके डिटेल्स नहीं हैं।

श्री जवानसिंह-जब योजना सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास भेजी जाती है तो क्या उस योजना की नकल नहीं रखी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--मैं आपकी जानकारी के लिये उसकी नकल टेबल पर पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३२६

श्री जयचन्द्र रेगर--क्या सप्लाई विभाग के मन्त्री महोदय को पता है:--

(क) जिला चित्तौड़गढ़ में छोटी सादड़ी के वस्त्र व्यापार संघ द्वारा ब्लेक मार्केटिंग किये जाने पर उसकी जांच का क्या परिणाम निकला ?

(ख) सरकार ने इस तरह के ब्लेक मार्केटिंग करने वालों पर क्या कार्यवाही की ?

(ग) यदि 'ख' का उत्तर ना में है तो अब क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)-वस्त्र व्यापार संघ छोटी सादड़ी के खिलाफ इन्क्वायरी होकर सम्बन्धित पुलिस थाना में मुकदमा दायर कराया गया। अदम हुक्मी में पुलिस द्वारा कागजात दाखिल दफ्तर कर दिये गये। फिर भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही कराई जा रही है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी--क्या महकमाना कार्यवाही नहीं की गई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--मालूम होने पर ही तो यह मामला पुलिस के सुपुर्द किया गया था।

एक सदस्य--तो भ्रष्टाचार पकड़ा गया था या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)-यदि इस सम्बन्ध में अलग प्रश्न पूछा जाता तो मैं आपको बतला सकता था।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३२७ (१७। आर. आर. एम.)

श्री जवानसिंह—क्या वन विभाग मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सिरोही जिले में से वन के कितने कूप मौजूदा साल में निलाम होने वाले थे ?

(ख) उनके निलाम न होने से सरकार को कितना नुक्सान उठाना पड़ा ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—जिला सिरोही में सन् १९५२-५३ के लिए निम्नलिखित ३ कूप्स नीलाम करना तजवीज हुआ था और निलाम भी किये गये ।

(१) कूप आंक का बारा (२) कूप छाया बेरा (३) कूप तलेटी ।

नम्बर १ का कूप शहर सप्लाई सिरोही के लिए नीलाम हुआ जिस पर २९७०) रुपये की बोली प्राप्त हुई जो नाकाफी समझा जाकर वन विभाग से ना मन्जूर हो चुकी । नम्बर २ व ३ पर दरज शुदा कूप्स निकासी बलीता इलाके गैर की शर्त पर निलाम किये गये । सरकार ने यह दोनों कूप्स इस शर्त पर मन्जूर किये कि आखरी बोली वाला बजाय बलीता के कोयला निकास कर सकता है क्योंकि बलीते की निकास पर प्रतिबन्ध है । जिस व्यक्ति ने नम्बर ३ का कूप लिया उसने कोयला ही निकास करना स्वीकार किया जिससे उसको दखल देने के लिए लिख दिया गया । नम्बर २ के ठेकेदार ने सरकार की कायम की हुई शर्त मन्जूर नहीं की जिससे कूप दुबारा नीलाम किया गया जिस पर बमुकाबले ४६ रुपये प्रति एकड़ के २० रुपये प्रति एकड़ बोली आई । चूंकि दुबारा नीलाम में बोली बहुत कम आई थी इस लिए कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स उदयपुर ने इस कूप को आयन्दा साल के लिए रख दिया है ।

चूंकि जिस चीज का ठेका दिया था, वह अब भी मौजूद है; अतः नुकसान का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता ।

श्री जवानसिंह—क्या इनके अलावा भी कोई कूप योजना में शामिल है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—कूप तो बनते ही रहते हैं लेकिन जो ऑक्शन के लिए तैयार होते हैं उनका ऑक्शन कर दिया जाता है ।

श्री जवानसिंह—मैंने यह पूछा था कि क्या और भी कोई कूप बनाया जा रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—मैंने आपको अर्ज किया था कि कूप तो बनते ही रहते हैं ।

श्री हिम्मतसिंह—कितने सालों में इन कूपों का नम्बर आया था ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—कूप जो बनाये जाते हैं वे टेक्नीकली बनाए जाते हैं । जिन जिन वृक्षों की जैसी जैसी उम्र होती है उनको देख कर ही कूप बनाये जाते हैं ।

श्री जवानसिंह—जो कूप अभी बतलाये गये थे उनका कितने सालों से नम्बर आया ?

श्री अमृतलाल यादव (वनमंत्री)—यह अलग सवाल है और अलग ही पूछा जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३२८

श्री जवानसिंह—क्या मुख्य मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या वन विभाग के मौजूदा उच्चतम अफसर (चीफ कन्जर्वेटर आफ फोरेस्ट) के बजाय राजस्थान का ही अफसर बिना इतनी भारी तनख्वाह दिये, काम नहीं कर सकता था ?

(ख) क्या राजस्थानियों को विशेष सहूलियत देना सरकार के ध्यान में है ?

(ग) अगर है तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) राजस्थान में उपयुक्त अफसर उपलब्ध नहीं थे।

(ख) सरकार टेक्निकल विभाग में खास तौर से अपने अधिकारियों की नियुक्ति का ख्याल रखती है।

(ग) इस दिशा में प्रयत्न चालू है।

श्री खेतसिंह—इन चीफ कन्जर्वेटर साहब को कितनी तनख्वाह मिलती है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए नोटिस चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी—क्या यह सही है कि मौजूदा कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट को सबसे ऊंची तनख्वाह मिलती है ?

श्री जयनारायण व्यास—चीफ कन्जर्वेटर जो होता है उसकी योग्यता वन सम्बन्धी विशेषज्ञ होने के कारण अधिक ही होती है और इसी हिसाब से वेतन भी उसको ज्यादा ही मिलता है।

श्री रोशनलाल—क्या यह सही नहीं है कि इस चीफ कन्जर्वेटर में पहले वाले से कम योग्यता है?

श्री जयनारायण व्यास—इस सम्बन्ध में तो सबकी योग्यता की सूचियां सामने हों तभी जवाब दिया जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी—मेरा यह कथन है कि जो तनख्वाह चीफ कन्जर्वेटर को मिल रही है वह राजस्थान के उच्चाधिकारियों में सबसे अधिक है, क्या यह सही है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस समय इसका जवाब नहीं दे सकता; जब तक की दूसरों की तनख्वाह और चीफ कन्जर्वेटर की तनख्वाह का मुकाबला न कर लूं।

Page No.5

श्री रोशनलाल शर्मा--राजस्थान सरकार ने कितने दिनों के लिये इसको बुलाया है ?

श्री जयनारायण व्यास—दो साल के लिये ।

श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार ने किसी को विशेष योग्यता इस विषय की प्राप्त करने के लिये डेप्यूट करके हिन्दुस्तान से बाहर भेजा था ?

श्री जयनारायण व्यास—हां, भेजा था ।

श्री कानसिंह—अब इनकी मियाद कितने समय की और है ?

श्री जयनारायण व्यास--लगभग ६-७ महीने की ।

श्री हरिदेव जोशी--उनके साथ नियुक्ति के समय जो टर्म्स तय की गई थी उसके हिसाब से उतना मिल रहा है उनको अभी ?

श्री जयनारायण व्यास—अभी मिल रहा है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या अगला चान्स राजस्थानी को मिलेगा ?

श्री जयनारायण व्यास--मिल सकता है ।

श्री हिम्मतसिंह--कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट जो विदेश से शिक्षित होकर आया है क्या उसको इस पद के योग्य नहीं समझा गया ?

श्री जयनारायण व्यास—यह मामला सरकार के सामने है और इसकी जांच हो रही है।

श्री हिम्मतसिंह—कौनसी स्टेट से बुलाया गया है यह ?

श्री जयनारायण व्यास—उड़ीसा से ।

श्री रोशनलाल शर्मा--ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको वहां से बुलाना पड़ा ?

श्री जयनारायण व्यास—क्योंकि जंगलों की तरक्की करनी थी और अधिक जंगल लगाने थे ।

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या जंगलों की तरक्की हुई और नये जंगल लगाये गये?

श्री जयनारायण व्यास--यह अलग प्रश्न है । नोटिस मिलने पर आंकड़े इकट्ठे किये जा सकेंगे और तभी इसका उत्तर दे सकेंगे।

श्री खेतसिंह--अब इन्हें नया एक्सटेंशन तो नहीं मिलेगा या फिर अपने वतन को तशरीफ ले जावेंगे ?

Page No.6

श्री जयनारायण व्यास—अभी तक यह प्रश्न पैदा नहीं हुआ है। जो सम्बन्धित विभाग है वही इसके बारे में कोई सिफारिश करेगा और तभी उस पर कोई फैसला किया जावेगा।

श्री हरिदेव जोशी—क्या यह सही नहीं है कि इस चीफ कन्जर्वेटर के समय ही जंगलों की सबसे अधिक खराबी हुई है और अव्यवस्था इस विभाग में पैदा हुई है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह नहीं कहा जा सकता। अलग अलग लोग हैं अलग अलग रायें हैं, इस बारे में।

श्री हरिदेव जोशी—तो क्या सरकार इस बात के लिये कोई जांच कमेटी मुकर्रर करने को तैयार है।

श्री जयनारायण व्यास—अगर फैक्ट्स दिये जावेंगे इस सम्बन्ध में तो।

श्री हरिदेवजोशी—फैक्ट्स कई बार रखे गये हैं, सरकार के सामने, इसी सदन में। क्या सरकार ने उनके बारे में जांच की ?

श्री जयनारायण व्यास—सदन के सामने जो फैक्ट्स रक्खे गये हैं उसमें अलग अलग तरह भी फैक्ट्स रखे जाते हैं। इन पर जांच कराना सम्भव नहीं होता। अगर आप सिलसिलेवार एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरह से फैक्ट्स दें, तो जांच के लिये हम तैयार हैं।

श्री हरिदेव जोशी—पिछले बजट सैशन में इस सदन के सामने इस बारे में काफी से अधिक कहा गया था और मैं समझता हूं कि वह सब माननीय मंत्रीजी के ध्यान में होगा। अगर आप उस फाइल को उठाकर जब भी देखा जायं तो बहुत से फैक्टस मिल सकते हैं, क्या उनके आधार पर सरकार जांच कराने को तैयार है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ मैंने पहिले इसका उत्तर दे दिया है; अगर माननीय सदस्य उस उत्तर पर सोचेंगे तो जांच होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान सरकार उड़ीसा को लिखने को तैयार है कि इस चीफ कन्जर्वेटर को समय से पहले ही वापिस बुलालें।

श्री जयनारायण व्यास—अगर आवश्यकता हुई तो ऐसा भी लिखा जा सकता है।

श्री रोशनलाल शर्मा—उन्होंने आइन्दा साल में अपनी क्या विशेष योजनायें वनोन्नति सम्बन्धी सरकार के सामने रखी हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह नियुक्ति विभाग का नहीं, फौरेस्ट विभाग का काम है। इसका उत्तर, प्रश्न करने पर फौरेस्ट विभाग से ही मिल सकता है।

Page No.7

श्री **हिम्मतसिंह**—क्या यह सही है कि ये महाशय उड़ीसा सरकार के रिटायर्ड अधिकारी हैं।

श्री **जयनारायण व्यास**—जी हां।

श्री **हिम्मतसिंह**—क्या एक सरकार के ऐसे रिटायर्ड सर्वेन्ट को राजस्थान सरकार अपने लिए यूजफुल समझती है ?

श्री **जयनारायण व्यास**—टेक्निकल विषय में रिटायर्ड को भी ले लेते हैं; पर यह तो रिटायर्ड होने वाले थे।

श्री **हिम्मतसिंह**—ये टूटे-फूटे कहां तक काम आवेंगे ?

श्री **रोशनलाल**—जिस तरह से इनको अधिक तादाद में तनख्वाह दी गई क्या, उतना काम इन्होंने किया ?

श्री **जयनारायण व्यास**—इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री **हरिदेवजोशी**—क्या यह सच है कि जो पहले थे उनसे यह अयोग्य हैं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि वे पहले ही रिटायर्ड थे ?

श्री **हरिदेव जोशी**—जब कि ये रिटायर्ड थे और उनको नहीं रखा गया तो इनको क्यों रखा गया ?

श्री **जयनारायण व्यास**—राजस्थान वन विभाग के लिये जिन टेक्निकल योग्यताओं की आवश्यकता थी उनकी ये पूर्ति करते थे और जिनकी पूर्ति पहले के अधिकारी नहीं करते थे; इसलिये इनको रखा गया।

श्री **हरिदेव जोशी**—श्री अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले अफसर जो थे उनकी अवधि नहीं बढ़ाई गई; क्या वे नाकाबिल थे ?

श्री **जयनारायण व्यास**—नाकाबिल का सवाल पैदा नहीं होता। उनकी और इनकी टेक्निकल योग्यता में फर्क है।

श्री **कानसिंह**—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये किसी मन्त्री महोदय के दोस्त है या इनके लिए किसी की बड़ी सिफारिश थी ?

श्री **जयनारायण व्यास**—श्री अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कई प्रश्न एक साथ किये जाकर इस सदन को जंगल न बनाया जाय।

श्री **कानसिंह**—मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कन्जवटर ऑफ फॉरेस्ट किसी मन्त्री के खास दोस्त थे या इनकी किसी बड़े आदमी की सिफारिश थी ?

एक सदस्य—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर··············

श्री जयनारायण व्यास—ये दोनों बातें गलत हैं ।

एक सदस्य—क्या सरकार टेक्नोलोजी की डफीनेशन बतावेगी ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सच है कि जब जब कोई सम्मेलन या दूसरे मौके पर टेक्नीकल ज्ञान के जानने का मौका आया ये कन्जर्वेटर साहब खुद न जाकर अपने डिप्टी को भेजते रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर कोई ऐसा ही मौका हो, जिसमें डिप्टी से ही काम चल सकता होगा तो डिप्टी को भेज दिया होगा; इसमें ऐसी कौनसी बात है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न है कि क्या हर बार उन्होंने ऐसा नहीं किया ?

श्री जयनारायण व्यास—इसका उत्तर नियमानुसार नोटिस के बिना देना मुश्किल होगा क्योंकि यह जानना पड़ेगा कि कहां कहां ऐसे मौके आये और कहां कहां नहीं आये ।

एक सदस्य—क्या यह सच है कि यह बिल्कुल नाकाबिल अफसर है ?

श्री अध्यक्ष—आर्डर! आर्डर! The Hon'ble members seem to be annoyed over this.

प्रश्न संख्या ३२६

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या श्रम मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है ?

(ख) यदि है तो वह प्रयत्न कब तक कार्यन्वित करने का विचार है ?

श्री रामकरण जोशी—पंचवर्षीय योजना तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भिन्न भिन्न योजनाओं का अभिप्राय लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा उनके समक्ष अधिक समृद्धि एवं विकसित जीवन के अवसर प्रस्तुत करना है । फलतः इन योजनाओं का बेकारी को दूर करने की ओर भी झुकाव होगा । सरकार ने घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री को लोकप्रिय बनाने के लिए जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में बाजार संगठनों का प्रतिष्ठापन किया है । इसके अतिरिक्त भेड़ और ऊन सम्बन्धी संगठन आरम्भ कर दिया गया है । सरकार की ओर से इस प्रकार के प्रयत्नों द्वारा बेकारी के भार को हल्का किया जा रहा है । सरकार गांवों में तेल निकालने के केन्द्र रंगाई तथा परिष्कार केन्द्र और घरेलू उद्योगों में काम करने वालों के औजारों तथा यंत्रों में सुधार करने के लिए अन्वेषण केन्द्रों की स्थापना पर विचार कर रही है ।

[श्री रामकरण जोशी]

इसके अतिरिक्त भी राजस्थान में एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज ऑर्गनाइजेशन उम्मीदवारों का पंजीयन करने तथा उनको यथा-सम्भव काम पर लगाने में बहुत जागरूक हैं।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या देहातों में जो तेल निकलता है उस पर सबसिडी है और शहरों में वह नहीं लगाया जाता ?

श्री **रामकरण जोशी**—यह प्रश्न कस्टम विभाग से ताल्लुक रखता है।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी**—क्या मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि बेकारी और बेरोजगारी दोनों दूर करने की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों की है ?

श्री **रामकरण जोशी**—यह मैं समझता हूं कि भूख और बेरोजगारी को दूर करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, हम सभी को ध्यान देना चाहिये। यह केवल हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, आपको भी इसकी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिये और सभी को इसे दूर करने के लिए हर सम्भव अवसर सबको देने चाहियें।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या श्रम मंत्री जी समझते हैं कि चुनाव भी बेकारी को दूर करने की योजना में है ?

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर !

प्रश्न संख्या ३३०

श्री **एच. के. व्यास**—Will the Chief Minister be pleased to answer:—

(*a*) Is the Government aware of the deep discontent prevailing in the Government servants, specially the Ministerial staff employed in the Rajasthan Secretariat on the question of Integration ?

(*b*) Is the Government aware that allegations of grave irregularities about it have been made ?

(*c*) Does the Government propose to conduct an impartial enquiry into this whole matter ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—(*a*) No, Sir.

(*b*) Yes. Certain anamolies have come to the notice of the Government and they are being looked into.

(*c*) No enquiry is necessary. Government would, however, try to remove the anamolies in the case of Government servants affected.

Page No.10

श्री एच. के. व्यास—Is it a fact that disciplinary action against some employees has been taken ?

श्री जयनारायण व्यास—In connection with what ?

श्री एच. के. व्यास—In connection with their conduct in regard to instigation of agitation.

श्री जयनारायण व्यास—No disciplinary action has been taken as yet.

श्री एच. के. व्यास—Is it a fact that some employees are under suspension ?

श्री जयनारायण व्यास—They are not under suspension for the charge of instigation of agitation. They are under suspension for other charges; namely, indisciplinary action, etc.

श्री एच. के. व्यास—Is it a fact that they were charged with alleged incitement for agitation.

श्री जयनारायण व्यास—I said they are under suspension for the charge of indiscipline etc.

श्री एच. के. व्यास—Is it a fact that there was grave discontentment prevailing in the staff on account of the persons who were suspended on alleged agitation?

श्री जयनारायण व्यास—I am sorry I cannot give definite reply in the matter so long as the question of suspension is under enquiry by the Chief Secretary.

श्री एच. के. व्यास—Since how long is the enquiry proceeding ?

श्री जयनारायण व्यास—Well, the old Chief Secretary has gone and the new Chief Secretary has been asked to look into this case.

श्री एच. के. व्यास—Have the suspended employees been informed of the procedure of enquiry ?

श्री जयनारायण व्यास—Well, the Chief Secretary is proceeding in the matter.

श्री एच. के. व्यास—Is it a fact that for more than one month they have not been conveyed the procedure of enquiry ?

श्री अध्यक्ष—This is giving information.

श्री एच. के व्यास—No, Sir, I want confirmation.

श्री अध्यक्ष—You want to give.................

श्री एच. के. व्यास—I want confirmation whether the Government is in a position to contradict or accept this statement.

श्री अध्यक्ष—That is giving information.

श्री एच. के. व्यास—No, Sir.............

श्री अध्यक्ष—You are stating the time of one month. That is merely giving information. Next.

श्री एच. के. व्यास—Another supplementary, Sir. Will the Government consider the advisability of immediately regularising the procedure of the enquiry ?

श्री जयनारायण व्यास—I do not know the procedure because the procedure has been set by the new Chief Secretary. But I have already told the member that the new Chief Secretary who has come only a week back has taken up the matter and he will go into the conduct of the officers or the clerks concerned and adopt such procedure as he thinks fit.

श्री एच. के. व्यास--Under what rules is the enquiry being undertaken ?

श्री जयनारायण व्यास—The Rules of conduct of the Government servants.

श्री एच. के. व्यास—Will the Hon'ble Minister name the exact rule under which the enquiry has been ordered ?

श्री जयनारायण व्यास—It requires notice.

श्री एच. के. व्यास—Do I take it that the Hon'ble Chief Minister is not aware of the rules under which the enquiry has been ordered ?

श्री जयनारायण व्यास—He is aware of each and every rule, but he cannot cram all the rules from A to Z.

श्री एच. के. व्यास—Do I take it that even though orders for enquiry into the suspension have been issued, under what rules the Chief Minister is, at the moment not aware ?

Page No.12

श्री जयनारायण व्यास—The file is not before the Chief Minister at the moment.

प्रश्न संख्या ३३१

श्री भैरू सिंह (वि.सं. १६)—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितने आई.सी.एस. और आई.पी.एस. अफसरान लेन्ट सर्विस पर हैं ?

(२) इस वर्ष कितना रुपया इनकी तनख्वाह, टी.ए., डी.ए. व अन्य अलाउन्स पर खर्च हुआ है ?

(३) किन विशेष परिस्थितियों के कारण इन अफसरों को यहां बुलाने की आवश्यकता पड़ी है ?

(४) राजस्थान के अफसर क्या इस योग्य नहीं हैं कि इनकी जगह उन्हें नियुक्त किया जा सके?

(५) यदि इन अफसरान की जगह राजस्थान के ऑफिसरान रहते तो इनके खर्चे में कितनी कमी होती ?

(६) क्या इस प्रकार के अधिक खर्चे से राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ता है ?

(७) यदि हां, तो राजस्थान सरकार इनको वापिस भेजने के लिये क्या नीति रखती है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्यमंत्री)—(१) एक आई.सी.एस. और एक आई.पी.एस. अफसर राजस्थान में डेप्युटेशन पर हैं।

(२) तनख्वाह, आई० सी० एस०	३३०००
तनख्वाह, आई० पी० एस०	१३५६२
	४६५६२
टी० ए०, आई० सी० एस०	४६१
टी० ए०, आई० पी० एस०	१४०२
	१८६३

राज्य शासन की आवश्यकताओं के लिये इन अफसरों को यहां बुलाया गया।

(३) यह प्रश्न नहीं उठता।

(४) यह प्रश्न भी नहीं उठता।

(५) नहीं।

Page No.13

श्री **हरिदेव जोशी**—क्या वह आवश्यकता अभी तक खत्म नहीं हुई ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**— तभी तो रख रक्खा है।

श्री **हरिदेव जोशी**—क्या राजस्थान में उपयुक्त अफसर मौजूद नहीं हैं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—उपयुक्त अफसर बहुत हैं, तभी तो दो ही रखे गये हैं।

श्री **हिम्मतसिंह**—इसका निर्णय कौन करेगा कि उपयुक्त अफसर राजस्थान में हैं या नहीं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—सरकार।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—कितने अरसे के बाद आप इस प्रश्न का रिव्यू करते रहते हैं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—रोजाना रिव्यू किया करते हैं। सरकार ने जो अफसर बाहर से बुलाये हैं उनको वापिस भेजा जाय। इसलिये तो सिर्फ एक आई.सी.एस. और एक आई.पी.एस.अफसर रखा गया है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या सरकार रोजाना इस नतीजे पर पहुंचती है कि इनको रखना है ?

श्री **अध्यक्ष**—Order !

श्री **भैरूंसिंह**—मेरे प्रश्न के हिस्से ५,६,७, का जवाब नहीं दिया गया।

श्री **अध्यक्ष**—These sub-questions require the expression of opinion ; as such they might have been not dealt with.

प्रश्न संख्या ३३२

श्री **मोतीराम**—क्या सिविल सप्लाई मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान से अनाज का ब्लेक मार्केटिंग रोकने के लिए क्या सरकार अनाज के लाने व ले जाने के प्रतिबन्ध को सब प्रकार के अनाजों पर से हटाकर भष्टाचार को रोकेगी ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—राजस्थान खाद्यान्न में अभी तक पूर्ण स्वावलम्वी नहीं है इसलिए किसी न किसी रूप में नियन्त्रण का रखना आवश्यक है। अनाज के यातायात पर पाबन्दियां खास तौर पर गल्ला वसूली के वक्त पर लगाई जाती हैं ताकि उस कार्य में आसानी हो और बाद में ढिलाई करदी जाती है जैसा कि इस समय प्रायः हर अनाज राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान को बिना किसी खास रोक टोक के आ जा सकता है। प्रतिबन्ध होने के कारण अनाज के बाहर जाने पर रुकावट ही होती है न कि आसानी।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—उस अनाज में से क्या किसानों को भी अनाज सस्ता दिया गया है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—जी नहीं।

Page No.14

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जिनसे अनाज लिया जाता है क्या उनको सस्ता अनाज दिया जाता है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां कहीं से मांग आती है अनाज दिया जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गंगानगर जिले में अनाज दिया गया या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गंगानगर जिले के नोहर, भादरा तहसीलों में सस्ती अनाज की दुकानें हैं और कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे चाहे जितनी दुकानें तहसीलों में खुलवा सकते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर में, जहां अनाज आता है, कोई दुकान खोली गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गंगानगर जिले के लिए कहा था। गंगानगर इलाकों में जहां से अनाज आता है, वहां अनाज कन्ट्रोल रेट से सस्ता होता है और वहां से मांग नहीं आई इसलिये दुकानें खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या उस इलाके से आज तक कोई मांग नहीं आई ? माननीय मंत्री का मैं ध्यान दिलाना चहाता हूं कि मेरी तरफ से ऐसी मांग हुई थी।

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य यदि मेरे जवाब को अच्छी तरह से पढ़ लेते तो यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता पेश नहीं आती।

श्री मोतीराम—कहीं पर अनाज १२॥ रु० मन दिया गया और कहीं १४ रुपया मन ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१३ रुपया ५ आना ४ पाई प्रति मन पर दिया गया है।

प्रश्न संख्या ३३३

श्री मोतीराम—क्या सिविल सप्लाई मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि सप्लाई विभाग ने जो अनाज किसानों से नीचे भाव में प्रोक्योर किया था वह अनाज फिर बड़े बड़े व्यापारियों को ऊंचे भाव में बेचा गया है ?

(ख) क्या इस प्रकार व्यापारियों द्वारा खरीदा हुआ अनाज और भी महंगे भाव में बेचकर इस वर्ग ने मुनाफा उठाया है ? ऐसा हुवा तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) नहीं।

(ख) नहीं।

प्रश्न संख्या ३३४

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या मंत्री वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जो बीड़ रियासती जमाने में सरकारी घोड़ों तथा शिकार के लिये रक्खे जाते थे, अब उन्हें भूमिहीन कृषकों को काश्त करने के लिए क्यों नहीं दिये जाते हैं ?

(ख) क्या टोंक जिले के लांक व सन्देड़ा आदि के बीड़ कृषकों को दिये जाने की व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री अमृतलाल यादव—साधारणत: बीड़ों को कृषि के लिये दिया जाना उचित नहीं है। राजस्थान ऐसा प्रान्त है जहां पर ज्यादा भूमि जंगलों के आधीन रखना उचित प्रतीत होता है । सिर्फ इसीलिये नहीं कि जनता की टिम्बर व जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता पूरी हो सके बल्कि जलवायु को ठीक रखने व कृषकों के चराई आदि के लाभ का विचार रखते हुए भी यह आवश्यक है।

बीड़ संदेड़ा व लांक को कृषि के लिये दिया जा सकता है या नहीं; पूरी २ जांच करने के बाद बताया जा सकता है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—ढाई हजार बीघा नवाब सहाब टोंक के लिये दिया गया क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मुझे मालूम नहीं, अलग से सवाल पूछते तो बता सकता।

श्री रोशनलाल शर्मा—इनमें से कितनी भूमि किसानों को दी गई ?

श्री अमृतलाल यादव—पहले सेशन में बता चुका हूं कि ७२ बीहड़ ऐसे हैं जो किसानों को दिये गये हैं ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या हरिजनों को भी कुछ दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—हरिजन भी इसमें शामिल हैं।

प्रश्न संख्या ३३५

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या मंत्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) जयपुर स्थित झालाना, गल्ताजी, आमेर, शीश्यावास और जेसल्या, किशन बाग आदि डूंगरों से सन् १९५० से १९५३ तक गरीब पब्लिक द्वारा लकड़ियां लाने में सरकार को क्या आमद हुई है ?

(२) क्या इस वर्ष भी इन पहाड़ों से गरीब जनता को लकड़ियां लाने की इजाजत दी गई है ?

(३) यदि हां, तो किन किन डूंगरों में से ?

(४) यदि नहीं तो, क्यों ?

Page No.16

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—(१) ३६५ रुपये।

(२) हां, चूला टैक्स जनता से नाहरगढ़ व घाटगेट क्षेत्रों से प्रचलित नियमानुसार १ रु० १ आ० प्रतिवर्ष प्रति परिवार देने पर उनके घरू इस्तेमाल के लिए लकड़ी लाने दी जाती है।

(३) इसका उत्तर २ में आगया है।

(४) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सरकार को मालूम है कि वहां से लकड़ी चोरी चोरी आकर बाजार में बिकी ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—नहीं।

प्रश्न संख्या ३३६

श्री दामोदर व्यास—क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग का एकीकरण हो गया है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और अगर हां, तो राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा डी.एम. एच.ओ. तथा सी.ए.एस. क्लास वन की लिस्ट सरकार के पास पहुंच जाने के बावजूद भी अभी तक राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित क्यों नहीं की गई ?

(३) वे कब तक प्रकाशित की जा रही हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) मेडिकल का एकीकरण १९५१ के प्रथम भाग में हो चुका था और शेष का एकीकरण सरकार के विचाराधीन है। असिस्टेंट मेडिकल हैल्थ ऑफिसर व क्लास वन के असिस्टेंट सरजनों का एकीकरण पी.एस.सी. द्वारा स्वीकृत किया गया है। वह शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा।

प्रश्न संख्या ३३७

श्री भैरूंसिंह (दांतारामगढ़)—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष प्रारम्भ में कितने मुलाजमान अंडर सस्पेन्शन थे ?

(२) इस वर्ष में कितने मुलाजमान को सस्पेन्ड किया गया ?

(३) इनमें से कितने मुलाजमान को डेट ऑफ सस्पेन्शन से रीइन्स्टेट किया गया ?

(४) ऐसे मुलाजमान को कुल मिलाकर कितने दिनों की कितनी रकम, तनख्वाह व अलाउन्स के रूप में दी गई है।

(५) अब कितने मुलाजिमान किस किस तारीख से अन्डर सस्पेन्शन हैं ?

Page No.17

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—

१. १.१.५२ तक १० गजटेड ऑफिसर-सस्पेन्शन में थे।

२. इस साल एक गजेटेड ऑफिसर सस्पेंड किया गया।

३. नहीं।

४. पहले भाग के जवाब को देखते हुए सवाल पैदा नहीं होता।

५. इस संबंध में सूचना टेबिल पर रख दी गई है। **(कृपया प्ररिशिष्ट १ देखिये)**

श्री **जसवन्त सिंह**—जो एक अधिकारी को सस्पेन्ड किया गया है वह क्या गजेटेड ऑफिसर है या नॉन गजेटेड ऑफिसर ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—मैंने कहा था कि एक गजेटेड ऑफिसर को सस्पेन्ड किया गया है।

प्रश्न संख्या ३३८

श्री **लालूराम**—क्या हरिजन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार क्या यह जानती है कि प्याउओं पर से नालियां हटाने की आज्ञा देने के बावजूद अब भी राजस्थान में प्याउओं पर नालियां लगी हुई हैं ?

(२) सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)**—प्याउओं पर से नालियां हटाने के संबंध में आवश्यक आदेश सरकार ने जारी कर दिये हैं और नगरपालिकाओं को भी सरकार ने लिखा कि नगरपालिकाओं की हद के अन्दर प्याउएं लगाने की स्वीकृति देते समय यह शर्त नहीं लगाई जायगी। बेकवर्ड क्लासेज विभाग की निगाह म ऐसी कोई शिकायत लाई जाती है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही संबंधित अधिकारियों से मिलकर की जाती है।

श्री **कंवरलाल जेखिया**—क्या इस आज्ञा का पालन हो रहा है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर विभाग मंत्री)**-जी हां।

एक सदस्य—वह कार्यवाही किसके मारफत होती है।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ३३६

श्री **सोहनलाल भटनागर**-Will the Minister in charge of Devesthan be pleased to state :—

In how many villages of the Former United State of Rajasthan the Devesthan Department is realising the land Revenue ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (देव स्थान मंदिर)**—उदयपुर में सिर्फ बेलवा गांव के अलावा किसी गांव का लगान देवस्थान विभाग द्वारा वसूल नहीं किया जाता है।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—वहां ही क्यों किया जाता है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (देव स्थान मंदिर)**—क्योंकि वह एक बड़ा मंदिर है और उसके साथ में पहले से ही यह रखा था कि वहां का लेन देन का संबंध बना रहे।

प्रश्न संख्या ३४०

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**—क्या सहकारी विभाग मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

१. सरकार ने कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग के मद में आज तक कुल कितना रुपया खर्च किया ?

२. ट्रेनिंग में भेजे जाने के वास्ते किन किन नियमों व सिद्धान्तों से काम लिया गया ?

श्री **अमृत लाल यादव (सहकारी मंत्री)**—(१) ३४,६९९ रु०

(२) ट्रेनिंग, सहायक रजिस्ट्रार, इन्सपेक्टर, ऑडिटर, एवं असिस्टेंट इन्सपेक्टर को दी गई है।

सहायक रजिस्ट्रार—१ सहायक रजिस्ट्रार जो ट्रेन्ड थे तथा १ सहायक रजिस्ट्रार जो शीघ्र ही रिटायर्ड होने वाले हैं, के अतिरिक्त शेष सबको ट्रेनिंग दिलाने का प्रबन्ध किया गया है। इन्सपेक्टरों में जो अनट्रेन्ड हैं और कम से कम मेट्रिक पास है उन सबको ट्रेनिंग के लिये भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। ऑडिटर्स तथा सहायक इन्सपेक्टरों में जो नये भर्ती किये गये हैं तथा जो पुराने अनट्रेन्ड हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा मौजूदा कुल फील्ड स्टॉफ को समय पर रिफ्रेशर कोर्स द्वारा अल्पकालीन शिक्षा दी जा रही है।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—बाहर से क्या कोई अफसर बुलाया गया है ट्रेनिंग स्कूल के लिये ?

श्री **अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)**—नहीं, पहले से एक है। अभी कोई नहीं बुलाया गया है।

प्रश्न संख्या ३४१

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**—क्या सहकारी विभाग मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. राजस्थान बनने पर कुल अलग अलग युनिट में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटियां रजिस्टर्ड की हुई थीं ?

(अ) इनमें कितनी चालू दशा में थीं ?

(ब) कितनी बन्द पड़ी थीं ?

(स) राजस्थान बनने के बाद हर साल कुल कितनी सोसाइटियां हर डिवजिन में रजिस्टर्ड हुईं ?

(ड) कितनी चालू हालत में रहीं ?

(ई) कितनी हर साल बन्द होती रहीं ?

(फ) सोसाइटियों के इस तरह बन्द हो जाने के क्या कारण हैं और इसका जिम्मेवार कौन है ?

श्री **अमृतलाल यादव (सहाकरी विभाग मंत्री)**—राजस्थान बनने के समय अलग अलग युनिट में सहकारी समितियों की संख्या निम्नलिखित थीं :—

अलवर	३२१
भरतपुर	६९०
श्री गंगानगर	१३६
जयपुर	४१०
जोधपुर	२७५
कोटा	७००
उदयपुर	१४५
	२,६७७

(अ) उपरोक्त सोसाइटियां चालू दशा में थीं ।

(ब) यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(स) राजस्थान बनने के बाद निम्न प्रकार से सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुईं । यह लंबी सूची है । माननीय अध्यक्ष यदि आज्ञा दें तो पढ़ दूं ।

श्री **अध्यक्ष**—कितनी लम्बी है ? अगर ज्यादा नहीं हो तो पढ़ दें ।

श्री **अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)**—

अब थोड़ी सी रही है, पढ़ दूं ।

	१९४९-५०	५०-५१	५१-५२	५२-५३
अलवर	१०	२१	२३	३
भरतपुर	—	२१	३०	९
श्री गंगानगर	११	१७	२५	१२
जयपुर	१२०	१०६	९६	९
जोधपुर	३६	३१	१८	२१
कोटा	१६	५९	४०	१८
उदयपुर	१७	१०	५९	९

[श्री अमृतलाल यादव]

(ड) राजस्थान में इस समय ३५३२ सहकारी समितियाँ चालू हालत में हैं। इसके अतिरिक्त ९० समितियों की सन् १९४९ से ३०-६-१९५२ तक रजिस्ट्री रद्द की गई है।

(ई) निम्नलिखित संख्या में समितियां हर वर्ष बन्द हुई:—

सन् १९४९-५०	२७
सन् १९५०-५१.	३९
सन् १९५१-५२	१८
सन् १९५२-५३	६

(फ) समितियां बन्द होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(१) धनराशी का अभाव,

(२). कपड़े व सूत की मंदी,

(३) नियंत्रित वस्तुओं का अनियंत्रण,

(४) ट्रेन्ड फील्ड स्टॉफ की न्यूनता,

(५) समितियों के सदस्य तथा कार्यकर्ताओं में सहकारिता संबंधी ज्ञान का अभाव। इन कारणों के होने के कारण जिम्मेदारी का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**—ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने नहीं बतलाया कि कितनी बन्द हुई ?

श्री **अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)**—मैंने अर्ज किया था कि नब्बे।

प्रश्न संख्या ३४२

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**—क्या सहकारी विभाग मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट में Publicity Branch की क्या जरूरत है, जब कि सरकार ने पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट कायम कर रखा है ?

(अ) इस विभाग पर इन तीन वर्षों में कितना कितना खर्च हुआ ?

(ब) इसके द्वारा क्या क्या काम किया गया ?

श्री **अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)**—सहकारिता एक टेक्निकल आन्दोलन है और सहकारी समितियां जनतंत्रीय संस्थायें हैं। अतः जनता को सहकारिता संबंधी ज्ञान कराने और खेती-बाड़ी तथा उद्योग-धन्धों की उन्नति, सहकारिता द्वारा की जाने की जानकारी देने के लिये कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट में अलग पब्लिसिटी ब्रान्च की आवश्कता है क्योंकि सरकार का पब्लिसिटी डिपार्टमेंन्ट सरकार की आम नीति का, प्रकाशन करता है। इस प्रकार की टेक्निकल पब्लिसिटी के लिए विशेष शक्ति नहीं लगा पाता जिसकी कि इस कार्य के लिए विशेष आवश्यकता है। इस कारण अन्य प्रान्तों, (उत्तर प्रदेश, मद्रास आदि) में भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट में अलग अलग पब्लिसिटी ब्रांच काम कर रही है।

(अ) इस पब्लिसिटी ब्रांच पर ३ वर्ष में निम्न प्रकार से व्यय हुआ है :—

सन् १९५०—५१	१९,८४६ रु० ९ आने
सन् १९५१—५२	३१,९६३ रु०
सन् १९५२—५३	२०,०७९ रु०

(ब) इसके द्वारा काम निम्न प्रकार किये गये हैं :—

श्री **अध्यक्ष**—Such answers should be placed on the table of the House.

श्री **अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)**—मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था। (शेष उत्तर के लिए परिशिष्ट २ देखिये ।)

श्री **हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सड़क के किनारों पर के कच्चे मकानों पर गेरू से अक्षर लिखने के अलावा कौन सी पब्लिसिटी की गई ?

श्री **अमृतलाल यादव**—हमारे विभाग की तरफ से तो नहीं किया गया, यह गेरू से लिखने का कार्य कृषि-सुधार विभाग की तरफ से किया गया।

श्री **खेतसिंह**—सरकार ने कोई ऐसा ऑर्डर निकाला है कि अब कोई नयी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं खोली जावें ?

श्री **अमृतलाल यादव**—नहीं।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३४३

श्री **तनसिंह**—क्या स्वायत्त शासन विभाग मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. नगरपालिकाओं में सरकार की ओर से जो प्रतिनिधि (हरिजन व महिला) मनोनीत किये जाते हैं उनको मनोनीत करते समय हरिजन व महिला संस्थाओं की सिफारिश पर क्या ध्यान रखा जाता है ?

२. क्या बाड़मेर नगरपालिका के हरिजन प्रतिनिधि को मनोनीत करते समय बाढ़मेर के दलितवर्ग संघ की सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री **रामकरण जोशी**—(१) नियमानुसार आवश्यकता नहीं है।

(२) यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ३४४

श्री **भैरू सिंह** (वि.स.१६)—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) इस वर्ष कितने गजटेड ऑफिसर्स रिश्वत के मामले में पकड़े गये?

(२) कितने गजटेड ऑफिसर्स के विरुद्ध रिश्वत की शिकायतें सरकार के पास आईं ?

(३) उनमें से कितनी शिकायतों की जांच हुई तथा उनमें कितनी सच्ची साबित हुई ?

(४) कितने ऑफिसरों के खिलाफ अब जांच हो रही है ?

श्री **जयनारायण व्यास**—(१) नहीं, एक भी नहीं ।

(२) ३८

(३) ३८ में से १६ की जांच हो रही है। १५ शिकायतें गलत साबित हुईं और ७ सही।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्सट ।

प्रश्न संख्या ३४५

श्री **भैरू सिंह (वि.सं.१६)**—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) जयपुर में सन् १९४८ के कांग्रेस अधिवेशन पर कितनी रकम सरकारी खजाने से कांग्रेस के नाम पर निकाली गई ?

(२) उसमें से कितनी कितनी रकम किस किस तारीख को जमा हुई ?

(३) अब कितनी रकम लेनी बाकी रही है ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—(१) जयपुर सरकार ने कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में १,००,००० रु० चन्दे के रूप में तथा ६,००,००० रु० प्रॉवीजनल चन्दे के रूप में दिया। जिसमें से ३,४७,००० रु० की रकम निम्न प्रकार से वसूल हुई:—

सामान	१,६१,९३७।११।८
नकद	१,८५,०६२।।४।६
	३,४७,०००

बाकी रु० २,५३,००० बतौर चन्दे की स्वीकृति दी गई। अधिवेशन को रु० १८,३८,००० ऋण दिया गया। यह रकम सामान के रूप में जो सरकारी भिन्न भिन्न महकमों को स्वागत समिति द्वारा दिया गया, वसूल होगई है।

Page No.23

[श्री जयनारायण व्यास]

२. नकद रकम निम्नलिखित तारीखों पर प्राप्त हुई :—

तारीख	रकम
१८.२.५०	१.५०.०००
२९.६.५०	३०,०००
२७.७.५०	५,०६२।४।६

३. अब कोई रकम लेनी बाकी नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार किसी दूसरे राजनैतिक दल को भी इसी प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार है, यदि वह भी अपना जलसा करना चाहे।

श्री जयनारायण व्यास—यह जयपुर सरकार से पूछिये।

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी दल के नेता)—फिर आपने इसका जवाब कैसे दिया ?

एक सदस्य—क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि रकम कितनी और कहां खर्च हुई।

श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार अब अगर कोई कॉंग्रेस अधिवेशन हो तो उसको मदद नहीं देगी ?

श्री जयनारायण व्यास—जब ऐसा प्रश्न पैदा होगा उस पर विचार किया जाएगा।

श्री जसवन्तसिंह—दूसरे राजनैतिक दलों के लिये भी जब कभी जलसा होगा सरकार इस प्रकार की इमदाद देने का विचार करेगी?

श्री जयनारायण व्यास—जब इस प्रकार का प्रश्न सरकार के सामने आएगा उस समय उस पर विचार किया जाएगा।

श्री हिम्मतसिंह—क्या यह रकम राइट ऑफ की गई?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने जैसा पहले कहा कि ६ लाख रुपये प्रोविजनल चन्दे के रूप में मंजूर किया गया था वह वसूल हुआ।

श्री हिम्मतसिंह—७ लाख में से कितनी रकम राइट ऑफ हुई?

श्री जयनारायण व्यास—राइट ऑफ का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री हिम्मतसिंह—दो लाख ही वसूल हुए बाकी के तो राइट ऑफ ही हुए होंगे?

श्री जयनारायण व्यास—कॉंग्रेस को दो तरह के चन्दे दिय गये थे। एक को तो वापिस लेने की जरूरत नहीं थी और दूसरा चन्दा ऐसा था जो यदि सारा का सारा खर्च हो जाता तो हो जाता और जो खर्च नहीं हुवा, बाकी रहा, वह वसूल हो गया।

Page No.24

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या यह सही है कि किसी तरह से रुपया राजस्थान सरकार से माफ कराया गया ?

श्री **जयनारायण व्यास**—रुपया देना बाकी नहीं था इसलिए माफ कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री **कानसिंह**—क्या सरकार बतलाएगी कि जिस समय यह रकम दी गई उस समय जयपुर में कांग्रेस सरकार थी?

श्री **जयनारायण व्यास**—मैंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री **भैरूंसिंह**—जो रुपये लेने थे उनकी वसूली राजस्थान सरकार ने की ?

श्री **जयनारायण व्यास**—राजस्थान सरकार को वसूल करना पड़ा।

श्री **भैरूंसिंह**—क्या यह सीधी रकम दी गई या सामान के रूप में?

श्री **जयनारायण व्यास**—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री **एच. के. व्यास**—यह रकम किस मद में से दी गई?

श्री **जयनारायण व्यास**—(अश्रव्य)

श्री **एच. के. व्यास**—यह रकम कौन के मातहत थी? किसी हेड के मातहत तो होगी ही।

श्री **कानसिंह**—क्या मौजूदा चीफ मिनिस्टर भी उस रकम को देने में शामिल थे।

श्री **जयनारायण व्यास**—मैं नहीं था। न मैं मंत्रीजी का खजान्ची था।

श्री **एच. के. व्यास**—कौनसे मद से दी गई उसकी निश्चित इत्तिला चाहता हूं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—सैंकड़ों की तादाद में हैड होते हैं। यह एफ. एम. का काम नहीं है।

श्री **एच. के. व्यास**—मैं जनरल हेड पूछता हूं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—इसका जवाब मैंने दे दिया है।

श्री **एच. के. व्यास**—जनरल हेड तो १०-११ ही होते हैं।

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री **एच. के. व्यास**—क्या सरकार इस बात का आश्वासन देने को तैयार है कि आयन्दा किसी भी राजनैतिक दल को किसी प्रकार की सहायता नहीं देगी?

श्री **जयनारायण व्यास**—जिस समय इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आएगा उस समय उसके मैरिट्स पर विचार किया जावेगा और उसी वक्त निर्णय किया जावेगा?

Page No.25

श्री अध्यक्ष—Are you an applicant ?

श्री एच. के. व्यास—No, Sir, I am an objectant. I do not like others also to take the loan. I will object.

क्या सरकार ऐसा आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार इस प्रकार का आश्वासन देने के लिये बिलकुल तैयार नहीं है। अगर सरकार यह समझे कि मदद देना जरूरी है तो उसे जरूर देगी ? चाहे वह कौम्युनिस्ट पार्टी, भी क्यों न हो।

श्री एच. के. व्यास—कौम्युनिस्ट तो कभी भी ऐसी सहायता नहीं लेंगे। कांग्रेस को ही दी जाए।

प्रश्न संख्या ३४६

श्री सोहनलाल—Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(a) Is the Government aware that there is an immense leakage of water in Jaisamand Canals; owing to which hundreds of acres of land has been rendered useless ?

(b) What steps the Government is taking to prevent the leakage ?

श्री भोगीलाल पंड्या— (a) There is some leakage in the Jaisamand Canal in view of the quantity of soil and rocky land.

(b) Wherever there was heavy leakage, the Canals have been made pacca.

प्रश्न संख्या ३४७

श्री जयचन्द रैगर—क्या बैकवर्ड क्लासेज वैलफेयर विभाग के मंत्री को पता है:—

१. चितौड़गढ़ जिला में मात कुंडया तीर्थ स्थान पर हरिजनों (रेगरों) के मन्दिर के ठीक सामने की भूमि पर सवर्णों (जाटों) द्वारा अनुचित कब्जा करने का प्रयत्न किया जा रहा है और उनको डराया धमकाया जा रहा है ?

२. क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जब से हरिजनों (रेगरों) ने यह मंदिर बनाया तब से ही इस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने में सवर्णों (जाटों) ने अनेक साजिशें रचीं और कई बार मंदिर के गुम्बज को तोड़ा, कलस चुराये, मंदिर के पुजारी को पीटा और हरिजनों पर विभिन्न प्रकार के क्रूर अत्याचार किये व कर रहे हैं?

३. यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है और आगे क्या कार्यवाही करेगी?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—१-जी हां। चित्तौडगढ जिले में मातृकुंडया तीर्थ स्थान पर हरिजनों (रेगरों) के मंदिरों के ठीक सामने की भूमि पर एक मर्त्तबा जाटों ने जबरन कब्जा जरूर कर लिया था जो वापिस हटा दिया गया।

२. जाटों की तरफ से इस जमीन के लिये मांग की जारही है और उनकी तरफ से कब्जा करने की कोशिश जरूर की गई किन्तु इस पर अधिकार नहीं करने दिया गया। इस पर अभी तक किसी दल (party) का भी अधिकार नहीं है। तहसील रासमी में इस सम्बन्ध में एक मुकदमा जेर तजवीज है।

३. ऊपर के खंड १ व २ में इसका उत्तर दिया जा चुका है। इस समय कोई चिन्ताजनक बात नहीं है। सम्बन्धित अधिकारी वर्ग इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री **सन्तोषसिंह**—सरकार के पास क्या सबूत है कि जाटों ने ही हमला किया ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—गवर्नमेंट को मालूम है, गवर्नमेंट ने बीच बचाव करके झगड़े को रोका था।

श्री **सन्तोषसिंह**—जाटों ने ही हमला किया, ऐसा क्या प्रमाण है?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—हां, जाटों ने ही किया था।

एक सदस्य—जब अदालतों में केस पेन्डिग है तब यह सवाल ही कैसे पैदा होता है कि उन्होंने जबरन कब्जा करके लिया?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—जब कोई आदमी सरकार के पास आता है तो कहते हैं कि आपस में समझ लो और न समझें और झगड़ा करें तो वह जबरन ही हुवा।

एक सदस्य—क्या सरकार को मालूम है कि वहां पर पहले जो खड्डा पड़ा था उसको जाटों ने ही पूरा (पाटा) था?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—हां, पहले जाटों ने ही जमीन ली थी और धर्मशाला बना रहे थे। रेगरों ने एतराज किया उस पर झगड़ा शुरू हो गया।

श्री **कंवरलाल**—अब उस जमीन पर कब्जा किसका है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—सरकार का।

एक सदस्य—जब फैसला होगा उस वक्त कब्जा हट जावेगा?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—अभी कार्यवाही चल रही है।

श्री **जसवन्तसिंह**—वहां पर सभी जाति के लोग रहते हैं या जाट ही रहते हैं?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—सभी जाति के लोग रहते हैं। लेकिन जाटों ने अपनी धर्मशाला बनाना शुरू किया था इसलिये झगड़ा हुवा।

एक सदस्य—जाटों का काफी खर्चा उस धर्मशाला पर हो चुका है; क्या इसका हरजाना उनको दिया जाएगा?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—अभी की सरकार यह चाहती है कि आपस में झगड़ा नहीं होने दिया जाए।

एक सदस्य—क्या जो खर्चा होगा वह सरकार देगी?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—सरकार न्यायलयों के आदेशों से बंधी है। जैसा आवश्य होगा, किया जाएगा।

श्री **भैरूंसिंह केलवा**—लड़ाई किस कारण से हुई है?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—मैंने उत्तर में बताया कि वहां उनका एक तो नदी पर आने का रास्ता रुकता है और दूर से उनका मंदिर दिखता नहीं है इसलिये रुकावट की है।

श्री **भैरूंसिंह केलवा**—अगर हरिजनों को वहां से रास्ता निकालने दिया जाय तो क्या कोई रुकावट है?

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर। श्री मानसिंह ऑफ महार।

श्री **मानसिंह महार**—क्या यह सही है कि यह झगडा तो १५ साल पहले हुवा था,। आज कल कोई झगडा नहीं है?

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर,नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३४८

श्री **धरमचन्द**—क्या मंत्री वन विभाग यह बतलाने का कष्ट करेंगे—

(क) क्या सरकार को यह पता है कि करनपुर इलाका एक जंगली इलाका है और वहां शेर किसानों के मवेशी व अन्य जानवरों को बहुत बड़ी संख्या में खा जाते हैं?

(ख) इनके मारने का सरकार क्या इन्तजाम कर रही है?

श्री **अमृतलाल यादव**—(क) ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

(ख) अगर ऐसी शिकायतें आईं तो उचित प्रबन्ध कर दिया जायगा।

एक सदस्य—क्या उचित प्रबन्ध कर दिया जायगा?

Page No.28

श्री अमृतलाल यादव—शेर गोली से मार दिये जायेंगे।

एक सदस्य—राजगढ़ तहसील में शेर ने कई आदमियों और मवेशियों को मार डाला, उसको गोली से नहीं उड़ाया ?

श्री अमृतलाल यादव—उसको गोली से उड़ाने के ऑर्डर दे दिये गये हैं।

श्री जसवन्तसिंह—आपने फरमाया कि शेरों को गोली से मार दिया जायगा, वे कौन से शेर होंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—वह नाहरी के बच्चे शेर होंगे।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सच है कि माननीय मंत्री जी भी कभी शेर की शिकार करने गये थे ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३४६

श्री धरम चन्द (डिविजन नं० ३६)—क्या मंत्री वन विभाग यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि—

(क) करोली डिविजन में किसानों पर जंगलात तथा चराई का टैक्स पिछले बंदोबस्त होने के समय लगान में शामिल कर दिया गया था, फिर भी नये दोनों टैक्स वहां के किसानों से ६ वर्ष से क्यों लिये जा रहे हैं ?

(ख) सरकार की इस संबन्ध में क्या नीति है ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) यह सही है कि पिछले बंदोबस्त के समय काश्तकारान से वसूल होने वाला जंगलात की चराई का टैक्स लगान में शामिल कर लिया गया था। करोली लेण्ड रेवेन्यू कोड में यह व्यवस्था है कि जो लोग काश्तकार नहीं हैं या वो लोग जो अपना निर्वाह व्यापार आदि से करते हैं और नाम मात्र को कृषि कार्य करते हैं उन पर चराई टैक्स लगाया जाय। जो टैक्स वसूल हो रहा है वह भूतपूर्व करोली सरकार का लगाया हुआ है और कोई नये टैक्स नहीं लगाये गये हैं।

(ख) जंगलात संबंधी कुछ करों को समाप्त करने के संबंध में मामला विचाराधीन है।

श्री धरम चन्द—यह टैक्स अभी ५ या ६ साल से नया ही चालू हुआ है और उन किसानों से लिया जाता है। इसकी मैं कई मिसालें पेश कर सकता हूं।

श्री अमृतलाल यादव—इसका जवाब उत्तर (क) में आ गया है।

प्रश्न संख्या ३५०

श्री सरदारसिंह—Is the Minister for Local Self-Government aware—

Page No.29

[श्री सरदारसिंह]

That the population of Uniara is less than 5000 souls which is the minimum fixed as a preliminary to the establishment of a Municipal Board and that 95% of this population is rural being agriculturists ?

Is the Minister further aware that the people of Uniara have to pay a certain Municipal Board cess which along with the subsidies granted by the Thikana and the Government of Rajasthan are devoted for the maintenance of this Municipal Board ?

Is he still further aware that the people of Uniara are all this while clamouring for the conversion of the Municipal Board into a Gram Panchayat as they do not want to bear any unnecessary expenditure on such an uncalled for institution.

If he is aware, will he kindly inform the House by what time he means to convert the Municipal Board Uniara into a Gram Panchayat; if not why not ?

श्री रामकरण जोशी—(१) हां।

(२) हां।

(३) हां।

(४) उनियारा नगरपालिका को भंग करने के संबंध में राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटी एक्ट, १९५१, की धारा ७ की उपधारा (१) के अंतर्गत सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जा रहा है कि यदि इस विषय में उन्हें कोई आपत्ति या कोई सुझाव देना हो तो वे सरकार को सूचित करें। इस सूचना की प्रकाशन-तिथि से २माह पश्चात् यह मामला अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५१

श्री भैरूंसिंह (डि०नं०१६)—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष राजस्थान में किन किन मंत्रियों ने किन किन तारीखों में कहां कहां दौरा किया और किन किन दौरों का टी. ए. और. डी.ए. चार्ज किया और कितना कितना ?

(२) इस वर्ष राजस्थान में कौन कौन मंत्री किन किन तारीखों में छुट्टी (लीव) पर रहे ?

श्री जयनारायण व्यास—(१) इस संबंध की सूचना सदन की मेज पर रखी जा चुकी है। (उत्तर अधिक लम्बा होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में प्रसंगार्थ रखा गया है।)

(२) मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण सरकार को छुट्टी देने की व्यवस्था न नियमों में है और न विधान में।

Page No.30

प्रश्न संख्या १५२

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—Will the Chief Minister be pleased to answer :—

(a) Is he aware of the dissatisfaction prevailing among the Government servants about the seniority list and fixation ?

(b) If so what efforts has he made in finding out the causes of dissatisfaction ?

(c) If the dissatisfaction is found to be real, what steps will be taken by him to remove it?

(d) Is he prepared to form a committee to hear the dissatisfied persons which ought to include some M.L.As and according to the report of that committee redress the grievances?

श्री जयनारायण व्यास—(a) Yes.

(b) and (c) I am studying the case which is of a very complex nature involving as it does the bringing together under one set of rules of seniority in service the employees of different pre-integration administrations. I hope shortly to be in a position to be able to remove much of this dissatisfaction.

(d) No.

प्रश्न संख्या १५३

श्री लक्ष्मण डाराव (हि.नं.८५)—क्या मंत्री देवस्थान विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

१. राजस्थान में मन्दिरों से कितनी आय व कितना व्यय है ? कृपया आंकड़े बतलायें।

२. राजस्थान में कई मन्दिरों में लाखों रुपयों की सम्पत्ति है। क्या सरकार इस सम्पत्ति अन्य उपयोग में लगाने का इरादा रखती है ?

३. यदि हां, तो कब तक ?

४. केसरियाजी के मंदिर में कितनी संपत्ति है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

५. क्या यह सच है कि वहां के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों आपस में लड़ते हैं ?

६. यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१. राजस्थान में मंदिरों के लिये सरकार से ९७८८४)रु. सालाना खर्च होता है।

२. धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्थाओं के कोष संबंधी कानून बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। मन्दिरों की सम्पत्ति उक्त कानून के अनुसार ही नियन्त्रित हो सकेगी।

३. इस मन्दिर के फंड में १४,९०,०००)रु. की रकम जो गवर्नमेन्ट सिक्योरिटीज तथा सोने-चांदी के जेवरात व ब्याज पर दी हुई है, जिनकी ब्याज की आमदनी से मन्दिर की सेवा पूजा की व्यवस्था होती है।

दोनों सम्प्रदायों के आपस४. में लड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

Page No.31

श्री **कंवरलाल जेलिया**—क्या राजस्थान में कोई मन्दिर ऐसा है जो हरिजनों के लिये खुला हो?

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये।

श्री **भोगीलाल पंड्या**—जिन मन्दरों में पारिस्परिक समझौतों से जा सकते हैं वहां जाते हैं।

श्री **सोहनलाल**—क्या मन्दिरों की सम्पत्ति में से हाई स्कूलों के लिये खर्चा दिया जायगा ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—अभी सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न उपस्थित नहीं है। जब ऐसा प्रश्न आयगा उस समय इस पर विचार किया जायगा।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—क्या सरकार ने यह तय किया है कि जिन मन्दिरों में हरिजनों को नहीं जाने दिया जावे उन मन्दरों को सहायता की रकम नहीं दी जायगी ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—जिन मन्दिरों में हरिजनों को नहीं जाने दिया जावे उन मन्दिरों को सहायता की रकम नहीं दिये जाने का कहीं प्रोविजन नहीं है।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—क्या सरकार ने इस तरह का कोई आदेश जारी किया है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—यह सेंटर के आधीन का मामला है और इस संबंध में जब तक कोई एक्ट सेन्टर से पास न हो जाय तब तक कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

श्री **रोशनलाल**—जिन मन्दिरों को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है उनमें हरिजनों के जाने के लिये कब तक रुकावट रहेगी ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—जब तक एक्ट नहीं बन जायगा।

श्री **रोशनलाल**—एक्ट कब तक बनेगा ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—यह राजस्थान सरकार के बस की बात नहीं है।

श्री **रोशनलाल**—क्या राजस्थान सरकार इसके लिये कोई आदेश जारी नहीं करेगी ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—राजस्थान सरकार इस पर विचार करेगी, परन्तु जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक कोई आदेश जारी नहीं कर सकती।

प्रश्न संख्या ३५४

श्री **हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री**—क्या मंत्री, दलित वर्ग उत्थान विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) क्या राजस्थान की ११ दलित जातियां भारत सरकार द्वारा प्रकाशित शिड्यूल कास्ट्स आॅर्डर, १९५० में दर्ज होने से छूट गई हैं ?

[श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री]

(ख) यदि हां, तो वे जातियां कौन कौनसी हैं ?

(ग) राजस्थान सरकार इस ओर क्या कर रही है ?

(घ) यदि यह प्रश्न भारत सरकार से संबंधित है तो राज्य सरकार ने क्या इस बारे में कोई लिखा पढ़ी भी की है ?

(ङ) यदि की है, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(च) क्या राज्य सरकार की ओर से इन जातियों को फिर से दर्ज कराने हेतु समय समय पर तकाजा भी किया जाता है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलितवर्ग उत्थान मंत्री)—चूंकि प्रश्न ११ में दलित जातियों के नामों का उल्लेख नहीं है अतः जबतक जातियों के नाम नहीं दिये जावें उत्तर पूर्ण रूप से देना कठिन है। इस कार्यालय में केवल १६ जातियों के रिप्रेजेन्टेशन्स प्राप्त हुए हैं।

(ख) जातियाँ जिन्होंने अपने रिप्रेजेन्टेशन्स स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों द्वारा भेजे हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं और उन रिप्रेजेन्टेशन्स को इस कार्यालय ने सेक्रेट्री, जी.ए.डी. राजस्थान के जरिये पत्र संख्या ३२५ दिनांक ५ मई १९५१, मय इस कार्यालय के विचारों के प्रस्तुत कर दिये थे:—
१. बलाई २. भांभी ३. धोबी ४. जाटव ५. खटीक ६. मेघवाल ७. बैरवा ८. दमामी ९. गान्वाल १० ढोली ११. यादव १२. गारी १३. कोली १४. नायक १५. बरीया और १६. सतिया।

राजस्थान सरकार ने इन जातियों की आर्थिक, सामाजिक व शिक्षा संबंधी जांच करने के पश्चात् केवल १० जातियाँ—बलाई, भांभी, जाटव, यादव, मेघवाल, बैरवा, गान्वाल, गारी, कोरी, नायक, सतिया को शिड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर १९५० में शामिल करने के हेतु भारत सरकार को जरिये पत्र दिनांक २१ मई सन् १९५१ में लिखा है और जाति खटीक के विषय में जिसका कि नाम शिड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर सन् १९५० में बजाय खटीक के खटका प्रकाशित हो गया है, राजस्थान सरकार ने जरिये पत्र नं. एफ. २५।२१ जी.ए.। ५१ माह जुलाई में उपरोक्त जाति के शुद्ध नाम के संशोधन के हेतु शुद्धि-पत्र प्रकाशित करने के हेतु लिखा है ।

(ग) भारत सरकार को माह मई सन् १९५१ में इन जातियों को शिड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर सन् १९५० में शामिल करने के हेतु लिख दिया गया है ।

(घ) यह सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(ङ) यह सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

श्री कानसिंह—क्या उन ११ जातियों में से कोई भी सदस्य रिजर्व सीट पर नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष—जब कि उन ११ जातियों के नाम भी नहीं हैं तो कैसे बतलाया जा सकता है ?

एक सदस्य—क्या प्रश्न-कर्त्ता खुद उन जातियों में से हैं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—प्रश्न-कर्त्ता किस जाति के हैं, यह मैं बता सकता हूं।

एक सदस्य—क्या बैरवा जाति हरिजनों की लिस्ट में है या नहीं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—अभी मैंने जो लिस्ट बताई है उसमें है।

एक सदस्य—तो प्रश्न-कर्त्ता पहले सदस्य कैसे हो गये ?

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न-कर्त्ता से सवाल पूछा है, वे जवाब देंगे।

एक सदस्य—क्या मंत्री महोदय अखिल भारतीय हरिजन महासभा के प्रेसिडेन्ट नहीं रह चुके हैं?

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर ! ऑर्डर !

(विराम)

अब शोर्ट नोटिस क्वेश्चन लिये जायेंगे।

श्री **रोशनलाल**—मेरा एक प्रश्न २६८ नं०, पर है उसे ले लिया जाय; वह जरूरी है।

श्री **अध्यक्ष**—No, No. We can't jump over.

श्री **गुलाबचन्द कासलीवाल**—Can short Notice Question be taken after the Question hour is over.

श्री **अध्यक्ष**—Short Notice Questions are always put after Question hour.

अल्प-काल सूचना प्रश्न संख्या ६

श्री **गंगासिंह** (वि.सं.४१)—Will the Minister for Local Self-Government Department be pleased to state :—

(*a*) Is the Government aware of the fact that the elections of the village Panchayat Board Jael Tehsil Nagaur are illegal, improper and partial?

(*b*) Is it a fact that the Assistant Panchayat Officer, Nagaur sided one party of the village and he by his partial means got all the panchas elected of the party which he sided ?

(*c*) Is it a fact that the Panchas which have been declared elected belong to one community and they are the representatives of one fourth of the village and thereby the three fourth of the population of the village has no representation in that Panchayat Board?

[श्री गंगासिंह]

(*d*) Is it a fact that the Assistant Panchayat Officer who conducted this election when found that a large number of voters have gathered of the party which he did not like to side, postponed the election for some other date and when the voters of that party gone away he held the election after some time and got all the Panchas of the party he wanted to side?

(e) What action the Government is going to take against such Officers?

(*f*) Is the Government prepared to order for re-election of this village Panchayat Board?

(*g*) How many telegrams and applications have been received by the Minister Incharge. Chief Panchayat Officer and Divisional Panchayat Officer from the inhabitants of this village and what action the Government has so far taken on these telegrams and applications?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—अ. सरकार के पास जायल ग्राम पंचायत के चुनाव के अवैधानिक होने की शिकायतें प्राप्त हुई जो विभाग में जांच करवाने के लिए भेजी गई तो डिविजन पंचायत ऑफिसर, जोधपुर ने निर्वाचन के विरुद्ध शिकायतें गलत बतलाई और पूर्ण इत्मीनान पर चुनाव नियमानुसार होना माना।

ब. नहीं।

स. जोधपुर के पंचायत विधान में वार्ड बनाकर चुनाव करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी अवस्था में किसी जाति के व्यक्तियों को जिनको बहुमत प्राप्त हो और मौके पर वोट देने के लिए उपस्थित हो जाएं, तो अधिकांश उन्हीं का चुनाव में आना स्वाभाविक है। चुनाव पत्रों में जाति व वार्ड का उल्लेख न होने से यह ठीक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि चुने जाने वाले व्यक्ति एक ही जाति के हैं और वे गांव की एक चौथाई आवादी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।

ड. जब कि चुनाव नियमानुसार होना बताया जा चुका है तो यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

इ. यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फ. यह प्रश्न भी उपस्थित नहीं होता।

जी. इस संबंध में सरकार के पास २ तार व १० आवेदन पत्र, चीफ पंचायत आफीसर के पास ३ आवेदन पत्र प्राप्त हुए। डिविजनल पंचायत कार्यालय जोधपुर की पत्रावली यहां न होने से यह ठीक नहीं बतलाया जा सकता कि वहां कितने तार व आवेदन पत्र जांच व प्रतिवादिन के लिये विभाग में भेजे गए तो डिविजनल पंचायत आफिसर जोधपुर ने निर्वाचन के विरुद्ध शिकायतें गलत बताई और चुनाव नियमानुसार होना माना।

श्री **गंगासिंह**—जिस समय इन्क्वायरी की गई थी उस समय जिन जिन लोगों की दरख्वास्तें आई थीं क्या उनको नोटिस दिया गया था ?

श्री **रामकरण जोशी**—मैं समझता हूं कि जांच के वक्त यह सारी कार्यवाही की जानी चाहिये ?

श्री **गंगासिंह**—यदि नोटिस नहीं दिया गया तो क्या सरकार जांच करने को तैयार है ?

श्री **रामकरण जोशी**—यदि जांच ठीक नहीं हुई है तो दुबारा जांच की जा सकती है।

श्री **कानसिंह**—जोधपुर के डिविजनल पंचायत ऑफिसर की रिपोर्ट पर ही आपने अपनी राय कायम करली या कागजात भी देखकर राय कायम की ?

श्री **रामकरण जोशी**—डिविजनल पंचायत ओफीसर एक जिम्मेदार सरकारी अफसर है। इतना तो उन पर विश्वास करना ही पड़ता है।

श्री **गंगासिंह**—क्या पंचायत ऑफीसर ने मौके पर जाकर इन्क्वायरी की थी ?

श्री **रामकरण जोशी**—जी हां।

श्री **गंगासिंह**—डिविजनल पंचायत ऑफीसर अभी जो हाल हैं उन्होंने जांच की या पहले वाले ने ?

श्री **रामकरण जोशी**—जो उस समय वहां मौजूद होंगे उन्होंने जांच की होगी।

एक सदस्य—अभी जो पंचायत बिल चल रहा है उसके पास होने के बाद क्या वो दुबारा इस पंचायत के चुनाव किये जायेंगे ?

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर ! That is in progress.

श्री **भैरूंसिंह**—जिस अफसर के खिलाफ जनता की शिकायत है क्या उन्होंने यह सारी कार्यवाही की थी ?

श्री **गंगासिंह**—क्या सरकार वापिस इन्क्वायरी कराने को तैयार है ?

श्री **रामकरण जोशी**—यदि इन्क्वायरी गलत हुई है और उसमें कुछ तत्थ्य है तब वापिस कर सकते हैं आपके कहने से नहीं।

सदस्यों को अवकाश की स्वीकृति

श्री **अध्यक्ष**—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने उनके सम्मुख लिखी अवधिकाल के लिये विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है—

१. श्री चुन्नीलाल बिड़ला (डि.नं.३१) दिनांक २३ फरवरी से २६ फरवरी १९५३ तक।

Page No.36

[श्री अध्यक्ष]

२. श्री रामलाल बंशीलाल (डि. नं. १२७) दिनांक २३ फरवरी से २६ फरवरी, १९५३ तक।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

स्वीकृत

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

जयपुर के देशी सिक्के स्वीकार न करने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव।

श्री **अध्यक्ष**—मुझको एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि इस सदन की कार्यवाही इस परिस्थिति पर विचार करने के लिये स्थगित कर दी जाय जो कि जयपुर की बेंकों तथा बाजार में देशी सिक्कों के स्वीकार न करने के कारण उत्पन्न हुई है, हालां कि सरकार ने उन्हें ३१ मार्च, १९५३ तक के लीगल टेन्डर मानने की आज्ञा दे रखी है।

मैं नहीं समझता कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि जिससे इस सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय इसलिये यह स्थगन प्रस्ताव मैं रद्द करता हूं। फिर भी क्योंकि यह मामला पब्लिक इम्पोर्टेन्स इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव रद्द करता हूं फिर भी यह मामला पब्लिक इंपोरटेन्स का है इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन के नेता इस पर प्रकाश डालें।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जयपुर राज्य की इकन्नियों की पहले आवश्यकता हुई थी और वे इकन्नियां यहां की मिन्ट में और बम्बई राज्य से भी बनवाई गई थीं। वे इकन्नियां यहां चल रही थीं जो कि करीब ५ लाख या उससे ज्यादा कीमत की थीं। लेकिन इन इकन्नियों में किसी तरह का मिलान, अथवा जिसको नकली इकन्नियां कहा जाय, पाया नहीं गया था। इस सदन में एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न के उत्तर में भी मैंने "ना" कहा था। लेकिन चूंकि प्रश्न पूछा गया था इसलिए सरकार ने सोचा कि इसकी पूरी जानकारी की जाय और जरूरत हो तो वाजिब हल निकाला जाय। चुनाचे जांच की गई और मालूम हुआ कि कुछ नकली सिक्का बाजार में चला था; लेकिन खास तौर पर गए दो तीन दिन में ज्यादा इकन्नियां बाजार में आई हैं। २ दिन में ६१०) रुपये की इकन्नियां आई और उनमें से १४० रुपये की रेजगारी तो नकली थी और जो नकली रेजगारी आई थी उसको काटना पड़ा था और उनको स्वीकार करना पड़ा था। अब यह प्रश्न उठता है कि रेजगारी अभी अभी बाजार में कैसे आगई ? तो इस सम्बन्ध में मैं आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से गई फरवरी के अन्तिम सप्ताह में एक आज्ञा निकाली गई थी और उसमें यह कहा गया था कि चूंकि भारत सरकार ने यह तय कर लिया है कि स्थानीय इकन्नियां और दूसरे सिक्कों को लीगल टेन्डर न समझा जाय इसलिए ३१ मार्च सन् १९५३ तक वे इकन्नियां वापिस ट्रेजरीज में, सरकार की ट्रेजरीज में और उन बेंकों में भेज दी जाय, जो सरकार का काम करती हैं। वे इकन्नियां सरकार के पास मियाद के बाद न आ सकेंगी अतः जो उस आज्ञा के बाद नकली इकन्नियां बाजार में आई। यह भी संभव है कि इन इकन्नियों को ट्रेजरी और बेंको द्वारा स्वीकार कर लेने की विज्ञप्ति के पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के दिमाग में आ गया हो कि यही मौका है कि इस तरह का सिक्का बना कर बाजार में दे दिया जाय और वह ट्रेजरी में चला जाय। जयपुर में इस प्रकार का नकली

[श्री जयनारायण व्यास]

सिक्का खास तौर से ट्रेजरी और बैंको में तीन दिन से आया और वह काट दिया गया। सरकार नकली सिक्कों के चलन को पसन्द नहीं कर सकती और यदि वह बैंको और ट्रेजरी में आता है तो उसे अस्वीकार करना अपना फर्ज समझती है। जो असली सिक्का है वह ३१ मार्च तक लीगल टेन्डर के अनुसार जमा कराया जा सकता है।

श्री **जसवन्तसिंह**–अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो फरमाया उसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि जहां तक गवर्नमेन्ट के प्रोविजन का ताल्लुक है वह ठीक है; किन्तु जनता को इस पर जो असुविधा पैदा हो गई है और यह सही है कि कई दूकानदार या बैंक इन इकन्नियों को लेने से इन्कार कर रहे हैं अत: इनके लिए क्या तजबीज सोची जा रही है? लोगों के पास काफी तादात में ये इकन्नियां हैं और मयाद (लीगलटेन्डर) ३१ मार्च तक की ही है। अगर इस लीगल टेन्डर को बढ़ाया जाता है तो सरकार की हुक्म उदूली होती है अन्यथा पब्लिक को असुविधा होती है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार क्या सोच रही है?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**--मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात को नहीं समझा है। मैंने यह कहा था कि जो असली इकन्नियां हैं उनको लीगल टेन्डर की मयाद तक बैंकों और ट्रेजरियों द्वारा स्वीकार किया जाता है और जो नकली इकन्नियां हैं उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको यह पहले ही बतला चुका हूं कि चूंकि ३१ मार्च तक लीगल टेन्डर है अत: कुछ व्यक्तियों ने यह सोचा हो कि नकली इकन्नियां बना कर बैंकों में भेज दी जायं। इन नकली इकन्नियों को सरकार मंजूर नहीं कर सकती है।

श्री **जसवन्तसिंह**--मेरा यह निवेदन है कि असली इकन्नियों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है तो सरकार उसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री **जयनारायण व्यास(मुख्य मंत्री)**—असली इकन्नियों को जरूर स्वीकार किया जाता है।

श्री **जसवन्तसिंह**--विधान सभा के जो वेन्डर्स हैं वे भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री **जयनारायण व्यास(मुख्य मंत्री)**—मैंने बाजार या वेन्डर्स की बात नहीं कही है। मैंने बैंक और ट्रेजरीज की बात कही है।

श्री **अध्यक्ष**--नेक्स्ट।

राजस्थान कृषि आय-कर विधेयक, १९५२

श्री **भोलानाथ(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)**--Sir, I beg leave to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income derived from land situated in the State of Rajasthan be extended upto 28-2-1953.

Page No.38

[श्री भोलानाथ सार्वजनिक निर्माण मंत्री]

Is it the leave of the House?

(स्वीकृत)

The leave is granted

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—I beg to move,

श्री **मुक्तिलाल मोदी**—कल श्री सुखाड़ियाजी ने यह कहा था कि मेरे प्रश्न का उत्तर टेबल पर रक्खा जायगा। मैंने टेबल भी देख लिया। मेरे पास सेक्रेटरी साहब की चिट्ठी है जिसमें कहा गया है कि उत्तर टेबल पर नहीं रखा गया है। क्या कारण है कि उत्तर टेबल पर नहीं रखा गया है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—मैंने कल कहा था कि उत्तर टेबल पर रख दिया जावेगा। यहां के लिए प्रश्नों की जो कापी भेजी जाती है उसके साथ यह भी अटेच कर दिया गया था। अगर वह यहां नहीं पहुंचा है तो मैं उसको यहां रखवा दूंगा।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—मेरा खयाल है कि यह घटना काफी आम होती जा रही है और मुझे भी कई बार अनुभव हुआ है कि कह तो दिया जाता है कि टेबल पर रख दिया जावेगा किन्तु न तो वह टेबल पर ही मिलता है और न ही नोटिस ओफिस में मिलता है। मेरा यह सुझाव है कि ट्रेजरी बेन्च को सावधान कर दिया जाय कि आयन्दा ऐसी गलती न हुआ करे।

श्री **अध्यक्ष**—The House expects from the Members of the Treasury Benches that when they say that the papers are placed on the table of the House it is fairness that the papers are placed atonce.

श्री **जयनारायण व्यास**—I may assure the Chair, Sir, that everything will be ready on the table as required by rules.

श्री **अध्यक्ष**—Not everything but those which are required by the rules.

श्री **कानसिंह**—अभी तक जो यह बेजाप्तगी होती रही है क्या वह केवल टालने के लिए ही थी ?

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर।

विधान-कार्य

राजस्थान उत्पादक भाटक नियामक (संशोधन) विधेयक, १६५३

श्री **अध्यक्ष**—Legislative Business; Bills for consideration.

Page No.39

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—Mr. Speaker, Sir, I beg leave to move that the Bill further to amend the Rajasthan Produce Rents Regulating Act be taken into consideration.

मैं समझता हूं कि यह जो बिल मूव किया गया है वह बहुत ही सिम्पल नेचर का है और उसके बारे में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**--In this connection I will like to get a clarification. Shall I?

श्री **अध्यक्ष**—Yes.

श्री **हरिकृष्ण व्यास**--According to the programme supplied to us and the priority indicated therein this Bill was supposed to be taken into consideration at a much later date. Yesterday suddenly time-table changed and in the changed List of Business we got intimation that this morning leaving aside the normal progress of the Panchayat Bill this Bill will be taken up. Now what is going to be of the amendments we have anticipated? Suddenly the time-table changed. What is going to be of the amendments which anybody else may propose?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—अगर इस सम्बन्ध में कोई अमेन्डमेन्ट पेश किया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री **जसवन्तसिंह**—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में बहुत से सदस्य अमेन्डमेन्ट देने वाले थे किन्तु मौका न मिलने से वे नहीं दे सके। हमको इस सम्बन्ध में नोटिस मिलना चाहिये था कि इस तरह का कानून लिया जा रहा है और जब कि एक ऑर्डर के मुताबिक जैसा कि मिस्टर एच. के. व्यास ने फरमाया है, इसको और बाद में लिया जाना चाहिये था तो यह समझ में नहीं आता कि कौनसा ऐसा जरूरी काम आगया है इसलिये इसको प्रायोरिटी दी जाय और जो काम हाउस के सामने था उसको छोड़ दिया जाय।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह बिल काफी अर्से पहले ही सर्क्युलेट हो चुका है और काफी समय मिल चुका है। अमेन्डमेन्टस् भेजने वाले थे, विचार करने का अवसर न मिला, कल ही सर्क्युलेट किया गया आदि बातें तो ठीक नहीं प्रतीत होती हैं। फिर भी यदि कोई सदस्य अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री **अध्यक्ष**—Yes; the change in the order paper is within the descretion of the Chair. So far as amendments are concerned the Bill was circulated on the 16th the time sufficiently earlier when now the Bill is taken into consideration. I have received many amendments also and as is clear under the rules if any amendments are tendered even at this hour I am prepared to accept those. If the Members want to discuss the Bill under Rule 124 they should stand and catch my eye.

Page No.40

श्री **मानसिंह महार**—माननीय अध्यक्षजी, सदन के सामने राजस्थान प्रोड्यूस रेन्टस रेगुलेटिंग (अमेन्डमेन्ट) बिल का अमेन्डमेन्ट पेश हुआ है।

इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि पहली चीज तो यह थी ; मगर इस बारे में आपने रूलिंग दे दी ; फिर भी मैं सरकार को बतादूं कि हम अभी तक यह समझ रहे थे कि हमारे पास जो प्रोग्राम आया है उसके माफिक जो पंचायत बिल चालू है वह चालू रहेगा ; लेकिन किन्हीं कारणों से जब आज यह अमेन्डमेन्ट बिल हमारे सामने आता है तो इस पर कुछ कहना और अमेन्डमेन्ट रखना आवश्यक हो जाता है।

बिल के बारे में मुझे यह कहना है कि इसकी जो चोथी धारा है—

" For the avoidance of doubts, it is hereby laid down and declared that the Rajasthan Produce Rents Regulating (Amendment) Act, 1952 (Act No. XIV of 1952), came into force, and shall always be deemed to have come into force, on the 29th day of April, 1952, the day on which it received assent under Article 200 of the Constitution of India."

यह जो सैक्शन इन्सर्ट की गई है इस बिल में, उसके लिये, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस पोइन्ट पर जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेन्डमेन्ट बिल आया था तब भी एतराज उठाया गया था और इस वक्त फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के लिए अब तो यह एक तरह की आदत सी हो गई है कि बिलों को जल्दबाजी से पास कर दिया जावे और फिर जब उनको लॉ कोर्ट में चैलेंन्ज किया जावे या सरकार के सामने सुझाव दिया जावे कि यह गलती कर दी गई है। वह मैटर सबजुडिस होते हुए भी यहां लाकर अमेन्डमेन्ट के लिए रक्खा जाता है या इसी तरह की कार्यवाही की जाती है।

तो वह राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अमेन्डमेन्ट राजस्थान असेम्बली के समय में पहला बिल था इसलिए बहुत ज्यादा एतराज नहीं करके सरकार को एक चेतावनी दी थी उस समय पर ; उसका रिपिटीशन फिर हो रहा है और मैं यह नहीं समझता कि सरकार को यह कैसे महसूस हुआ कि उस पर रूलिंग नहीं हुआ और जिक्र नहीं हुआ है और कोई खामी रह गई जिससे यह संशोधन लाना पड गया कि "फोर दी अवोइडेंस आफ डाउट्स", क्या डाउट्स हैं सरकार के दिमाग में, क्या शक और शुबह हो गया ; यह बात हमारी समझ में नहीं आई। हम चाहते हैं कि अपने कानून में सरकार को डाउट करने की गुजाइश नहीं रहे। सरकार का यह कहना कि इसमें उसे कुछ शक और शुबाह है, यह सरकार के लिये या सरकार के लॉ डिपार्टमेन्ट और लॉ सेक्रेटरी के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शोभा की बात नहीं है कि राजस्थान जैसी रियासत में ऐसा कानून बनाया जावे कि जिससे हमारे लीगल डिपार्टमेन्ट की अयोग्यता सिद्ध हो और हमारे मिनिस्टर साहबों को इस सदन के सामने आकर यह कहना पड़े कि हमको शक और शुबाह हो गया है, हमें कुछ डाउट्स हैं इसलिए हम यह अमेन्डमेन्ट्स लाना चाहते हैं। यह राजस्थान सरकार की अयोग्यता का एक नमूना है, अध्यक्षजी।

Page No.41

[श्री मानसिंह महार]

मैं यह कहूंगा और आपके जरिये, मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे दूसरों को अकोमोडेट करने की भावना को प्रदर्शित करने के लिए इस बिल को विद्ड्रॉ कर लें और हम उनको यह कहते हैं कि अगर उनको शंका–शुबाह है तो उसका समाधान हम प्राइवेट में, उनके कमरे में, या यहां लाबी में मिल कर कर देंगे । (हंसी) लेकिन माननीय अध्यक्षजी, यह शोभा की चीज नहीं है और इस हाउस के फ्लोर पर मैं तो बार बार कहूंगा कि सरकार का यह कहना कि "फोर दी अवोइडेंन्स ऑफ डाउट्स" वे यह अमेन्डमेन्ट ला रहें हैं मेरी आत्मा को ग्लानि पैदा हुई है (हंसी) इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं । मैं मेरे सदन के मित्रों से भी अपील करूंगा कि वाकई अगर ऐसी गलत चीज हुई है तो हम और वे बैठ कर सिलेक्ट कमेटी को रेफर करें या इन्फॉर्मली बैठ कर इसको बदलें और कोई दूसरा सैक्शन इन्सट कर दें ; पर यह शब्द नहीं रखें "फोर दी अवोइडेंस ऑफ डाउट्स"। इस सैक्शन को डिलीट करने की जो मेरी मंशा थी, यही थी । इस सैक्शन को इस अमेन्डमेन्ट बिल को रखने से दुनियां हमें हंसेगी, जो भी कोई बाहर का आदमी, हिन्दुस्तान के बाहर का आदमी, इंगलेंड, अमेरिका या और किसी देश का आदमी हमारी इस बात को देखेगा या पढ़ेगा या हमारी आने वाली सन्तान भी कभी इसे देखेगी या पढ़ेगी (हंसी) तो हंसेगी कि हमारे पुरखा ऐसे आदमी थे कि जो अपने बनाये कानून में भी डाउट किया करते थे (हंसी) ।

तो यह चन्द शब्द कह कर मैं अध्यक्ष जी, आपके जरिये मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा और इसके अलावा मेरे दोस्त उधर की बैन्चों पर बैठे हैं उनसे भी अपील करूंगा कि वे स्वस्थ परम्पराएं कायम करने के खातिर इस बिल पर कन्सीडरेशन को एक दो दिन के लिए स्थगित कर दें और इसे सही ढंग से रखें; तब इस सदन के लिए अच्छी बात होगी, राजस्थान सरकार के लिए गौरव की बात होगी ।

श्री **हरिदत्त**—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में जहां तक मुझे जानकारी है हाईकोर्ट के कुछ रूलिंग्ज हो चुके हैं । उन रूलिंग्ज के बाद फिर हम अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं । इसका हाईकोर्ट के जजमेन्ट पर क्या असर पड़ेगा इसका हम विचार करना है । इसलिए मैं इस पर अमेन्डमेन्ट मूव करूं मेरी यह प्रार्थना है कि यह बिल कल के लिए स्थगित कर दिया जाय, ताकि इस पर विचार–विमर्ष करके रोशनी डाल सकें ।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—अध्यक्ष महोदय, माननीय मानसिंहजी महार ने "डाउट" शब्द को लेकर बहुत सी बातें कहदी हैं और साथ साथ आत्मा का सम्बन्ध भी इसके साथ जोड़ दिया है । इसकी मुझे खुशी है कि वे आत्म-प्रेरणा से बहुत कुछ कह रहे थे ; लेकिन मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि माननीय श्री हरिदत्तजी ने कहा कि इस बिल को एक या दो रोज के लिए विचार करने के लिए स्थगित कर दिया जाय । इस सुझाव से मैं बहुत दुख के साथ सहमत होने में असमर्थता प्रगट करता हूं । मैं समझता हूं कि इसके महत्व को समझते हुए इसे पास करना अत्यन्त आवश्यक है इसलिये, इसे आज ही लिया जाय और इसे जल्दी से जल्दी पास करें तो बहुत उपयुक्त होगा । इतना ही कह कर मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस पर ज्यादा बहस की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । हमें इसकी आवश्यकता को देखते हुए जल्दी से जल्दी इसे पास करना चाहिये ।

Page No.42

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्या यह बात सही है, जैसा कि श्री हरिदत्तजी ने कहा है कि अदालत के फैसले इस विषय में हो चुके हैं तो इसका क्या असर होगा। अगर हम इसकी तरमीम करते हैं तो आप इसका खुलासा करेंगे कि क्या यह ठीक रहेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि ऐसे फैसले नहीं हुए; ऑर्डिनेन्स पहले ही इश्यु हो चुका है।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, "फार दी अवाइन्डेस ऑफ डाउट्स" के लिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार के सम्मुख ऐसे कौन से डाउट्स उपस्थित हो गये जिनके बिना पर यह अमेन्डमेन्ट लाना पड़ा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—शब्द बहुत स्पष्ट है। इसमें ज्यादा डाउट करने की आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष—The Question is "that the Rajasthan Produce Rents Regulating (Amendment) Bill, 1953, be taken into consideration."

(स्वीकृत)

विचार-विमर्षक के हेतु स्वीकृत हुआ।

श्री हरिदत्त—ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर, माननीय सदस्य लॉबी से एकदम सदन में आये; उनको कैसे पता होगया कि किस पर मत लिये जा रहे हैं, क्या उन्होंने बिना जाने ही हां कह दिया ?

श्री कंवरलाल जेठिया—यह हमें पहले से ही पता था।

श्री श्रीदास गोयल—हम अन्तरयामी लोग हैं।

श्री अध्यक्ष—This was not a point of order but a point of amusement.

(विराम)

The clause 2 of the Bill is taken into considerable.

श्री एच. के. व्यास—Mr. Speaker Sir, it is generally the practice to take amendments regarding the insertion of new clauses into consideration first and then other clauses. Since there are amendments requiring the insertion of new clauses in the Bill, it is necessary that they should be taken first. That is the proper procedure.

श्री अध्यक्ष—We are proceeding to consider the present Bill and that order will be seriatim. If there is any amendment to clause 2 of the present Bill, I can allow certainly any amendments even now if the Hon'ble Members have now tabled amendments.

श्री हरिदत्त—Mr. Speaker, Sir, my amendment is—

"Instead of word 'four' there should be word 'three' only". 'Three' may be substituted for this word '4' in Section 2.

इसमें "चार" शब्द जो रखा गया है; उसका अर्थ यह होगा कि अभी तक टीनेन्सी एक्ट हमारा तैयार नहीं हुआ है इसलिये यह टेम्परेरी मेजर है वह दो साल के लिये था। टीनेन्सी एक्ट के तैयार होने म देरी है इसलिये यह रखा गया है कि इसकी अवधि चार साल बढ़ा दी जाय। चार साल की अवधि बढ़ाने में यह मामला हो जायगा कि टीनेन्सी एक्ट, जो बन रहा है उसकी गति धीमी पड़ जायगी; उसमें दो साल ज्यादा लग जावेंगे। टीनेन्सी एक्ट के तैयार होने से राजस्थान की बहुत सी खराबियां दूर हो जायेंगी। बिना टीनेन्सी एक्ट के हमारे राजस्थान की बहुत सी प्रगति रुकी हुई है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको एक साल के लिये ही बढ़ाया जाय ताकि टीनेन्सी एक्ट इसी साल के अन्दर पास करने का हम प्रयास कर सकें। अगर हम "चार" कर देते हैं तो टिनेन्सी एक्ट पास करने में हमें देर लग जायगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (रा॰स्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त ने जो सुझाव रखा है कि इसकी अवधि चार साल कर देने से यह होगा कि टीनेन्सी एक्ट के पास करने में देरी लग जायगी। इसकी चार साल की अवधि रखी गई है; उस बीच में यदि टीनेन्सी एक्ट लागू हो जाता है तो टेम्परेरी नेचर का यह एक्ट होने की वजह से इसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। वैसे जहां तक अवधि का प्रश्न है चार वर्ष की रखने से टीनेन्सी एक्ट के लिये दो वर्ष और लग जायेंगे; यह भ्रम मात्र है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टिनेन्सी बिल इस अधिवेशन की दूसरी बैठक में लाया जायगा और इसके बाद जल्दी से जल्दी पास कराने में हम स्वयं उत्सुक हैं। इसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी कम्पलीकेशनस हमारे सामने आती है। इसके लिये चार वर्ष की अवधि इसलिये रखी गई है कि दो वर्ष हम टीनेन्सी बिल को टाल दें; यह सवाल कतई नहीं। पहले एक वर्ष था, फिर दो वर्ष हुआ और अब चार वर्ष की क्रमशः अवधि बढ़ाने के लिये लाया जा रहा है। इस बीच में टीनेन्सी बिल पास होकर आता है तो स्वाभाविक तौर पर चार वर्ष रह नहीं सकेगा।

श्री हरिदत्त—माननीय अध्यक्ष, जब टीनेन्सी बिल नेक्स्ट सैशन में आ रहा है तो उसका अर्थ है कि वह इस साल के अन्दर अन्दर जरूर पेश हो जायगा। तो जब स्वयं हमारे माननीय मन्त्रीजी यह कह रहे हैं कि उसको हम जल्दी पेश करना चाहते हैं तो इसके माने यही हैं कि यह एक साल ज्यादा से ज्यादा रहे और इस तरह तीन ही काफी है।

श्री अध्यक्ष—(श्री मोहनलाल सुखाड़िया की ओर देख कर) So you don't accept the amendment.

As such I now put the amendment to vote first. The question is that the amendment put in by Shri Haridutta be accepted.

Page No.44

[श्री अध्यक्ष]

(अस्वीकृत)

Now we come to the main clause. The question is that Clause 2 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Clause 3. There are several amendments to clause 3 by Shri Man Singh Mahar, Tejsingh, Shri Tan Singh, Shri Bhairon Singh and Shri Roopnarain Shastri. So these refers to Clause 3 and I think the Hon'ble Members have got the copies.

(विराम)

I read out. They are only in three words. Clause 3-deleted in to to. All these are perhaps the same.

(विराम)

Yes, Shri Mansingh. I think, I am sure, you have moved the amendment twice.

श्री मानसिंह (जमुवा, रामगढ)—I did not mention my Division Number so to be on safe side I moved it a second time.

श्री अध्यक्ष—I could recognize the big letters that you write.

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ)—माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल के बारे में इसके जनरल डिसकशन में कुछ बातें मैंने इस सदन से अर्ज कीं। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने जो अमेन्डमेन्ट मूव किया है वह यह है कि इस बिल की जो क्लॉज ३ है उसको डिलीट कर दिया जाय। इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार का जो कुछ डाउट्स या शक-शुबाह हो वह रखना नहीं चाहिये। हम चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल क्लीन स्लेट से चले। उनको किसी पर किसी प्रकार का शक-शुबाह नहीं होना चाहिये। यह गुडविल का सबसे अच्छा तरीका है, और शक-शुबाह से चले जाते हैं तो जरा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के डाउट्स ; और डाउट्स भी क्या हैं कि यह बिल किस दिन से लागू हुआ है ? सरकार को यह डाउट होता है कि यह बिल किस दिन से लागू हुआ है ? अफसोस है कि यह भी सरकार को अगर नहीं मालूम है कि किस दिन से यह बिल लागू हुआ है तो हम समझते हैं कि उनका दिमाग क्या है ? अध्यक्ष महोदय, यह कहूं कि एक बिल इस सदन में पेश हुआ है और फिर उसके लिए यह कह देना और उस पर राजप्रमुख की एसेन्ट होने के बावजूद यह कह देना कि यह बिल किस दिन

Page No.45

[श्री मानसिंह महार]

से लागू हुआ है यह तो एक बड़े ताज्जुब की बात है। अगर लीगल एफेक्ट्स में वह समझते हैं कि कुछ गड़बड़ाहट है तो मैं उनसे एक निवेदन और करूंगा, और वह बड़े मतलब की चीज है ; वह यह है कि इस सदन में अगर किसी प्रकार का प्रस्ताव वगैरह पेश किये जाते हैं तो यह कह कर उनको टाल दिया जाता है कि "दी मैटर इज सबजुडिस"। मैं यह कहना चाहता हूं, फोर्स के साथ कहना चाहता हूं कि इसी मसले को लेकर सैकड़ों अर्जियां राजस्थान हाईकोर्ट में पड़ी हैं। यह जो चीज, आप जिससे घबराकर यह अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं, अदालत में चेलेन्ज की जा चुकी है, और अब यह मेटर सबजुडिस है। इसलिये महरबानी करके, कृपा करके, अध्यक्ष जी, मैं हमारे मन्त्री जी से, आपके जरिये निवेदन करूंगा कि वे ऐसी चीज पर जोर नहीं डालें जो सबजुडिस हैं और इस सदन में अच्छी परम्परा कायम करें। जब यह चीज आती है हमारी तरफ से तो यह कहा जाता है कि यह काम ऐसा हो रहा है तो यह कह कर टालना कि यह मेटर सबजुडिस है, जब हम यह कहते हैं कि यह मेटर सबजुडिस है तो यह कह देते हैं कि, नहीं यह तो सबजुडिस नहीं है और अगर है तो हमारे पॉवर में है। यह मुमकिन नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे अमेन्डमेन्ट के जवाब में यह जवाब दिया जायगा कि यह तो सरकार के अख्त्यार में है। सरकार के अख्त्यार तो इतने बढ़े हुए हैं कि वह किसी को फांसी दे सकती है। मगर मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि आज यह जनतन्त्र का युग है और जो आज सरकार है वह पॉपुलर गवर्नमेन्ट है। वह सरकार इस सदन के प्रति जिम्मेवार है। इसलिये अगर आप कोई कानून पेश करते हैं तो दुनिया यह समझती है कि उसमें हमारी भी सम्मति है और अगर वह कानून कोई गलत कानून समझा जाता है तो दुनिया आपको ही नहीं, हमको भी दोषी ठहराती है। इसलिये हमारा यह फर्ज हो जाता है कि बार बार आपसे निवेदन करें कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करें जिससे सदन की जो इतनी भारी जिम्मेवारी है उसमें किसी प्रकार की ठेस लगे।

अभी जब मैंने जनरल डिसकशन में बातें कही थीं तो उसका जवाब देते हुए मेरे मित्र माननीय मन्त्रीजी ने यह फरमाया था कि इसके बारे में यह कहा गया, वह कहा गया। लेकिन लेजिस्लेचर वह चीज है कि इसमें इतने घबराने को बात नहीं है। मैं माननीय मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि अगर घबरान की बात नहीं है तो इतना प्रेस क्यों करते हैं ?

यह तो छोटासा अमेन्डमेन्ट है, आप इसको मान लें। इससे राजस्थान सरकार का समय भी खराब नहीं होगा और न सदन का समय ही खराब होगा। आप अभी फरमा दीजिये कि हम इस संशोधन को मान लेते हैं ; हम इस बिल को मानने को तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये यह कहूंगा कि सदन इस अमेन्डमेन्ट को सर्वसम्मति से मन्जूर करे ("हिअर हिअर" की ध्वनि ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से) और इस बिल में से यह धारा है उसको निकाल देनी चाहिये। जिन दोस्तों ने "हिअर हिअर" कहा है उनसे तो मैं सबसे ज्यादा आशा रखता हूं कि वे इसको पास कराने में सहमत होंगे।

श्री **तेजसिंह**—माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन रखा गया है उसमें यह भ्रम हो गया है कि यह कानून कब से लागू होगा और यह भ्रम होना बिलकुल सही है। किन्तु एक्ट में साफ लिखा है कि जब से राजस्थान गजट में प्रकाशित होगा लागू होगा। यह पिछले अधिवेशन में पास हुआ था और उसी

[श्री तेजसिंह]
दिन से लागू समझा जाता है। यह तो अपने आप लागू होगया, इसमें कोई शक करने की गुजांयश नहीं है। इसमें डाउट वई आया है, डाउट का कौनसा सवाल है? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि क्लॉज ए सब-क्लॉज (२) को ध्यान से पढें तो आपको स्पष्ट हो जावेगा कि मल एक्ट अमल में आवे या संशोधित एक्ट अमल में आवे ; अर्थ तो ठीक है ।

श्री **कानसिंह**—अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने मेरा ध्यान उस एक्ट की तरफ जो पिछले साल पास हुआ था उसके लागू होने की तारीख के सम्बन्ध में आकर्षित किया। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि इस ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था कि जल्दी में इसको पास नहीं किया जाए क्योंकि कानून बनाने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिये। फिर भी कानून पास कर दिया गया। मैं समझता हूं कि कानून के छपने में कोई गल्ती नहीं हुई ; फिर कौनसी ऐसी बात सरकार के ध्यान में उस समय नहीं आई और रह गई जिससे कि इस एक्ट का अमेन्डमेन्ट इतना जल्दी हमारे सामने लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कोर्ट में दावे करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में कहा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि दावे चलाने वालों को कितना खर्च करना पडता है और दूसरी असुविधाएं भी उनको बहुत होती हैं। इस बात को सरकार ने ध्यान में नहीं रखा। मैं कहूंगा कि दावा करने में जनता को बहुत कठिनाइयें और Complicacies जटिलताएं होती हैं। ऐसा मालूम होता है कि सरकार अन्याय करने पर तुली हुई है। हमें प्रजा की तरफ से, प्रजा के सुख व भलाई के लिये कानून बनाने के लिये यहां पर भेजते हैं और हमें उनके सुख का पूरा ध्यान रखना चाहिये। मगर हम यह देखते हैं कि उनके सुखों का ध्यान नहीं रखते और कानून बहुत जल्दबाजी से पास कर देते हैं।

अभी पंचायत एक्ट के बारे में इस ओर से सिलेक्ट कमेटी में भेजने का सुझाव दिया गया था; लेकिन सरकार ने उसको मन्जूर नहीं किया। अगर पंचायत बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया होता तो शायद वह आज तक सिलेक्ट कमेटी से वापिस आ जाता और पास हो जाता, लेकिन सरकार ने हमारी उस वाजिब बात को भी नहीं माना और जबरदस्ती उस बिल को सदन के सामने लिया जो अभी तक चल रहा है और उसके पास होने की अभी कोई उम्मेद नजर नहीं आती। सरकार का यह रवैया है। यदि सरकार कानून को पास कराने में जल्दबाजी करेगी तो हर साल नये नये अमेन्डमेन्ट हमारे सामने आयेंगे। यह अमेन्डमेन्ट उस एक्ट पर आया है जो हमने पिछली साल पास किया। दूसरी साल दूसरा अमेन्डमेन्ट आएगा। किसी भी एक्ट को जल्दबाजी से पास करना सिद्धान्तों के खिलाफ है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सरकार को ऐसे कार्यों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। इतना कह कर मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री **भैरूं सिंह (दांता रामगढ)**—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज पर काफी वाद-विवाद हो चुका है और जिन जिन सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है उन सभी ने इस क्लॉज को अमेन्डमेन्ट के जरिये डिलीट करने का समर्थन किया है।

Page No.47

[श्री भैरोंसिंह १६]

अध्यक्ष महोदय, इस वाद–विवाद में मैं आपको ज्यादा न ले जाकर इतना सा जरूर इस सदन के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा कि इस क्लॉज को इस बिल में लाने की सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी ।

सरकार जो भूमि सुधार कानून काश्तकारों को रियायत देने के सम्बन्ध में बनाती है उसमें दृष्टिकोण यदि यह रहे कि किसानों को इससे राहत मिले ; उस हद तक तो मैं सरकार के साथ सहमत हूं । मगर इसके साथ ही यह भी सरकार का दृष्टिकोण हो कि अपने विरोधियों को किस प्रकार से दबाया जावे ; तो सरकार का यह दृष्टिकोण ठीक नहीं कहा जा सकता है ।

भूमि-सुधार के कानून बनाये जाते हैं । उसमें किसी प्रकार की दलगत भावनायें न हों; ऐसा कहा जाता है । मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें भी दलगत भावनायें छुपी रहती हैं और इस क्लॉज के आने से यह बात बिल्कुल साफ है । जब यह बिल पास हुआ और इसका अमल दरामद शुरू हुआ तो इससे प्रभावित जनता ने इसको हाईकोर्ट में चैलेन्ज किया और हाईकोर्ट ने आॅर्डस दे दिये और इसका अमल दरामद रुक गया और वे मामले अब हाई कोर्ट में चल रहे हैं ।

एक तरफ यह कहा जाता है कि मामला सबजुडिस है इसलिये इसका उत्तर नहीं देंगे । जब सरकारी मन्त्री महोदय से पूछा जाता है कि क्या राजस्थान सरकार राजस्थान के जागीरदारों को जागीर रिजम्पशन एक्ट में दी गई रियायतों से ज्यादा रियायतें देने के लिये कोई कदम उठा रही है तो जवाब मिलता है कि चूंकि इस एक्ट को हाई कोर्ट में चैलेन्ज कर दिया इसलिये यह मामला सबजुडिस है और कोई जवाब नहीं दिया जा सकता ।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मैंने कोई जवाब नहीं दिया ।

श्री **भैरूं सिंह (दांता रामगढ)**—आपने क्या फरमाया ; मैंने सुना नहीं ।

श्री **अध्यक्ष**—You need not hear, go on.

श्री **भैरूं सिंह**–जब इस प्रकार के मामलों को सबजुडिस कहा जाता है तो यह मामला भी ऐसा ही है ; इसलिये इसको भी क्यों नहीं सबजुडिस समझा जाता । यदि इस प्रकार के सबजुडिस मामलात में इसी प्रकार से इन्टरवीन किया गया तो यह समझा जायगा कि सरकार हाईकोर्ट के मामलों में भी अपना असर बताना चाहती है ।

दूसरी बात यह है कि इस क्लॉज में जो " avoidance of doubts " शब्द का प्रयोग किया है वह स्वयं ही डाउटफुल है । इसका स्टेटमेन्ट आॅफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में स्पष्टीकरण होना चाहिये था ; परन्तु ऐसा नहीं किया गया । डाउट्स का इस तरह क्लेरिफिकेशन तो कोर्टस के द्वारा ही होना अच्छा रहेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस क्लॉज को डिलीट कर दिया जावे । इतना ही कह कर मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें ।

श्री तनसिंह--अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा जो संशोधन है उसी प्रकार के दो तीन और संशोधन प्रस्तुत हैं, अतः मैं अपने संशोधन को मूव करके सदन का समय नहीं लेना चाहता ।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष, इस संबंध में मैंने पहले भी अर्ज किया था पर सुनवाई नहीं हुई । फिर भी मैं इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूं । मैं समझता हूं कि वास्तव में इस बिल को सदन में लाने की आवश्यकता ही नहीं थी । जिस दिन से गजट में शाया हो जायगा उसी दिन से लागू हो जायगा , तो फिर इस संशोधन की क्या आवश्यकता थी ।

दूसरी बात यह है कि जब जल्दी से जल्दी सेटलमेन्ट की कार्यवाही हो रही है तो इस बिल को तना जल्दी लाने की क्या जरूरत थी ? क्या सरकार यह समझती है एक दो साल तक सेटलमेंट करायेगी ही नहीं ? छटे हिस्से से किसानों को राहत मिल जाती है । किसानों को और राहत देनी है तो सेटलमेन्ट जल्दी से जल्दी करा देना चाहिये ।

ऐसा नहीं करके इस एक्ट को सदन के सामने लाने से तो सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है कि किसानों और जागीरदारों के आपस में टंटे बढ़ें । हमारी सरकार जनतन्त्रवादी सरकार है इसकी निगाह में जागीरदार और किसान सब बराबर होने चाहियें । ऐसी सूरत में जागीरदार और किसान आपस में लड़ें, इस ख्याल से, जल्दी जल्दी में इस संशोधन को लाना और जल्दी से इसे पास करवाना, ऐसी बात सरकार के लिये उचित नहीं मालूम होती ।

इस संशोधन बिल की तो वैसे ही आवश्यकता नहीं रहती जब कि हाईकोर्ट में रिट विचाराधीन है । जिस दिन हाईकोर्ट फैसला दे देगा या यह गजट में प्रकाशित होगा उसी दिन से वह एक्ट फोर्स में आया मान लिया जायगा, और हाईकोर्ट अगर उसे नहीं माने, उसके विरुद्ध फैसला दे तो इस बिल की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । तो फिर समझ में नहीं आता कि गवर्नमेन्ट इतनी उतावली क्यों हो रही है । क्या वह जनता को इस तरह अविवेकशील बनाना चाहती है कि जनता पूरी तरह समझे ही नहीं और इस बिल को पास कर दिया जाय ।

एक ऑर्डिनेन्स निकला हुआ है कि जो कोई भी किसी जमीन को तीन साल से या साल भर से बोता है तो उसका उस जमीन पर कब्जा रहेगा । जो ३० साल से उस जमीन को बो रहा था, उस जमीन में दरख्त लगाए दरख्तों को बड़ा किया, उसका उस कब्जा ार से और उन दरख्वास्तों पर से खतम हो गया ।

मैं यह नहीं कहता कि छटा हिस्सा नहीं होना चाहिये । मैं मानता हूं कि किसानों को राहत मिलनी चाहियें लेकिन वह इस तरह मिलनी चाहिये कि सेटलमेन्ट जल्दी से जल्दी कराया जाय । परन्तु ऐसा नहीं करके, इस बिल को लाकर, ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि जनता आपस में लड़े, वकीलों के घर भरें और न्याय के लिये तरसती रहे ।

इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, कुछ सज्जनों ने कहा कि इस धारा को इस बिल में से हटा दिया जाय तो सारा झगड़ा हट जायगा। तो यह तो सही है कि इस धारा को इस बिल में से हटा दिया जाय तो बाकी कुछ भी खास तौर से नहीं रह जाता है।

इस धारा को हटाने के लिये दलीलें देते हुए कहा गया है कि जनतन्त्र का समय है, और हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो इसे क्यों लादा जा रहा है? तो अध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल ही जनतन्त्र के प्रतिनिधि इस सदन के सामने यह बिल रख रहे हैं। सरकार को बार बार याद दिलाया जाता है कि इसमें घबराने की बात नहीं। सरकार को कोई घबराहट नहीं। सरकार तो यह चाहती है कि जिस बिल को इस सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया था, उसके बारे में किसी प्रकार की कमी न रह कर इससे आम जनता को, आम किसानों को जो राहत हम पहुंचाना चाहते हैं वह पहुंचे और इसमें किसी को शक नहीं हो। इसीलिये इस बिल को सदन में लाया गया है, इसमें जनहित स्पष्ट है। और इस बिल को सदन में लाया गया है इससे जनतन्त्र की बात भी स्पष्ट है।

सेटलमेन्ट जल्दी से हो रहा है पर जब तक पूरा हो इस बीच के अर्से में भी लोगों को राहत मिलना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। इसी दृष्टि से पिछले सेशन में यह कानून पास किया गया था। जनहित का इसमें पूरा खयाल रखा गया है और इसी दृष्टि से इसे इस सदन में लाया गया है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इसको लक्ष्य में रखते हुए सब इसको पास कराने में सहयोग देंगे। जिन मेरे माननीय सदस्य ने इस सेक्शन को डिलीट करने के बारे में अमेन्डमेन्ट रखा है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने इस अमेन्डमेन्ट को वापिस लेलें। इससे कोई झगड़ा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे तो जो भी कुछ गलतफहमियां जो हैं वे साफ हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—(श्री मानसिंह महार को संकेत करते हुए) You want to give reply?

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—I withdraw it, Sir.

श्री अध्यक्ष—You withdraw but then others stand.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—I represent them all.

श्री अध्यक्ष—You represent them all, I dont mind.

श्री मानसिंह—मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

श्री तेजसिंह—I want to withdraw my amendment.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—I want to withdraw my amendment.

श्री रूपनारायण शास्त्री—जब माननीय मंत्री अंतिम समय तक बताते हैं कि इससे कोई गड़बड़ी नहीं होगी और संजीदगी से काम लेना चाहते हैं तो मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की सम्मिति है कि श्री मानसिंह, श्री तेजसिंह, श्री भैरूसिंह तथा श्री रूपनारायण शास्त्री को अपने संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जावे।

(स्वीकृत)

(श्री मानसिंह, श्री तेजसिंह, श्री भैरूसिंह व श्री रूपनारायण शास्त्री ने अपने अपने संशोधन वापिस लिये)

श्री अध्यक्ष—So the question is that clause 3 be taken as adopted·

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the Bill.

(विराम)

I have received amendments to clause 3 by way of insertion Clause 3 (a) and Clause 3 (b) and Clause 3 (c). Shri Sohanlal has tabled all these amendments. I think all the Members have got the copies. So we can take the motion as moved. Yes, Shri Sohanlal.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि इस अमेन्डमेन्ट पर विचार हो में आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आम तरीका एमेन्डमेन्ट लाने का है, उसी तरीके से एमेन्डमेन्ट आना चाहिये; जबकि यह एमेन्डमेन्ट एक नये तरीके का एडिशन होता है और इसके साथ मेल नहीं खाता है; इसलिये इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये। पार्लियामेन्ट में भी इस तरह के एमेन्डमेन्ट के लिये स्वीकृति नहीं दी गई थी। जब एक बिल की ८१ सेक्शन के बारे में विचार चल रहा था उस समय एमेन्डमेन्ट पर जो रूलिंग दी गई थी वह इस प्रकार है:-

"Now when one provision of the Constitution is sought to be amended the amendment of another however necessitating it may be,does not come within, the scope of the Bill".

मैं समझता हूं कि यह जो एमेन्डमेन्ट मूव किया गया है जनरल क्लॉजेज एड करने का वह बिल्कुल नया है और इस तरह का एडिशन अलाउ करना ठीक नहीं होगा।

श्री सोहनलाल—जैसा कि स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में दर्ज है मंत्रीजी ने माना है कि यह एक्ट पूरा नहीं था,इसलिये यह एमेन्डमेन्ट लाया गया है। इसके साथ ही यह निवेदन है कि जो अमेंडमेंट लाया गया है उससे कॉम्प्रिहेन्सिव नहीं होता और सरकार काश्तकारों को जो रेमेडी देना चाहती है वह नहीं दे सकेगी। ऐसी सूरत में मुझे इसे मूव करने की इजाजत दी जावे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे विद्ड्रा कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—You want withdraw it?

श्री सोहनलाल—If they (amendments) stand and the ruling is such then amendments might be made. I have made this submission.

Page No.51

श्री अध्यक्ष—All these amendments moved by Shri Sohanlal, Shri H.K. Vyas-are perhaps of the same nature. They want insertion of new clause. I wanted that Shri H.K. Vyas should also say about this because it might affect the ruling of the Chair.

एक सदस्य—He is not interested and that is why he is not present.

श्री अध्यक्ष—I think the purpose and the scope of the amending Bill is quite clear, which has been stated in the Statement of Objects and Reasons. If any amendment to the Bill is made, rather to the scope of the present Bill, the House has every right to discuss but if amendments go beyound the scope of the present Bill, I am afraid, I cannot allow them. So all these amendments are ruled out. So we take clause 4 for consideration.

श्री एच. के. व्यास--As a matter of fact my amendment is for the insertion of a new clause .

एक सदस्य—You cannot avail of the time during which you were absent. We are going to clause 4 now.

एक अन्य सदस्य--Speaker's ruling has already been given.

श्री अध्यक्ष—Nobody wants to make any objection to clause 4. So The question is that clause 4 of the Bill be adopted.

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill.

(विराम)

Now Clause 5. The question is that clause 5 be adopted.

(स्वीकृत)

Clause 5 is added the Bill.

(विराम)

The question is that Clause 41, title and the enacting formula stand post of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, title and the enacting formula are added to the Bill.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

राजस्थान अकाल (कार्यवाही स्थगन) संशोधन विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—I beg to move that the Rajasthan Famine (Suspension of Proceedings) Amendment Bill, 1953, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Famine (Suspension of Proceedings), Amendment Bill, 1953, be taken into consideration.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री एच. के. व्यास—I seek some information. I would like to know from the Member-in-charge only one point. What is the need for such an amendment and whether there is a particular point; I want to know whether only those parts if they are more seriously affected, will be declared as concerning those areas, and other famine areas shall not be taken into consideration at all.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का संबंध है इसके उद्देश्य स्पष्ट हैं कि जहां पर कहतसाली डिक्लेयर की गई है या जहां स्केयरसिटी एरिया है वहां पर जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं उनसे किसानों को राहत मिले। मैं समझता हूं स्केयरसिटी एरिया के लोगों को राहत मिले इस बारे में दो राय का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—There are no amendments and if the House wants that clause by clause consideration should take place we can do so otherwise motion for passing the Bill may be moved.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Famine (Suspension of Proceedings) Amendmet Bill, 1953, be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

[श्री अध्यक्ष]

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२

(विराम)

Now we come to consider the Rajasthan Panchayat Bill, 1952, which is already under consideration of the House and upto clauses 10 we have finished. We may now proceed to consider clause 11.

There are 5 (five) amendments to clause 11.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेन्डमेन्टस् तो कल ही सारे हो चुके थे।

श्री अध्यक्ष—Then the Minister-in-charge may reply.

(श्री हिम्मतसिंह, चेयरमेन, पदासीन)

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय चेयरमेन, अगर इस क्लॉज में से सब क्लॉज 'सी' जो इस प्रकार है "Is a member of any society which has been declared unlawful by the State Government". हटा दिया जाय तो (डी) रीनम्बरिंग में (सी) बन जायगा और (ई) जो है वह (डी) बन जायगा। इसी तरह से (एफ) का नम्बर (ई) बन जायगा और (जी) का नम्बर (एफ) बन जायगा। (जी) "has been convicted by a competent Court of an offence involving moral turpitude." बनेगा और 'एच' "is an undischarged insolvent" बन जायगा। प्रोविजो इस प्रकार हो जायगा....

Provided that in cases (*c*) and (*g*) *i.e.* has been dismissed from Government service etc. and (*g*) has been convicted by a competent Court of an offence involving moral turpitude, respectively; any person may be declared eligible for election by a special order of the Law.

इसके बाद में समझता हूं कि अमेन्डमेन्ट पेश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मिस्टर चेयरमेन, सर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा और मैं जितना समझ पाया हूं उसके बाद मेरे अमेन्डमेन्ट को वापिस ले लेने का सवाल ही नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि मुझे इसमें कोई कारण नजर नहीं आया कि मैं इसको वापिस ले लूं क्योंकि जो चेन्जेज किए गये हैं वे इस प्रकार हैं:—

(डी) को रीनम्बर करने से (सी) बन जायगा क्योंकि सब क्लाज (सी) हटा दिया गया है और वह इस प्रकार हो जायगा "has been dismissed for mis-conduct involving moral turpitude." इसमें एक और शब्द "मोरल टर्पिट्यूड" रखा गया है और एक और पार्ट इसमें जोड़ा गया है; वह है– "If a man is convicted by a competent Court for an offence involving moral turpitude."

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं और वह यह है कि कॉम्पीटेन्ट कोर्ट में यह बात रख दी गई हो कि वह आदमी मोरल टर्पीट्यूड में इन्वोल्व होता

Page No.54

[श्री रामकरण जोशी]
है तो कोर्ट उसकी जांच करेगी ; किन्तु कोई व्यक्ति जो गवर्नमेन्ट द्वारा बेतरफ कर दिया गया हो तो उसमें और उसमें फर्क पड़ जायगा। एक व्यक्ति जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट था और डिपार्टमेन्टल इनक्वायरी होकर हटा दिया गया और दूसरा व्यक्ति वह होगा जिसके बारे में अदालत से कार्यवाही हुई होगी (सरकारी कर्मचारी के साथ साथ जनरल पब्लिक में से भी हो सकता है।)

श्री **हरिकृष्ण व्यास**--यह मैं समझ गया था और मुझे इस सिलसिले में यह अर्ज करना है कि जो तब्दीली माननीय मंत्री जी ने की है वह कोई तब्दीली नहीं है। मैंने मौजूदा पार्ट 'डी' का एतराज इसलिये किया था कि सरकारी मुलाजमत से बरखास्त होना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके कारण आदमी को चुनाव में भाग लेने अथवा चुनाव में खड़े होने से रोका जाय। अब उसमें यह जोड़ा गया है कि अगर उसका "मोरल टरपीट्यूड" हो। प्रश्न अब भी बाकी रह जाता है और वह यह है कि 'मोरल टरपीट्यूड" को कौन तय करेगा। आया एक मनुष्य डिस्मिस हुआ है, सरकारी नौकरी से अलग किया गया है तो जिन कारणों की वजह से वह डिस्मिस हुआ है वे कारण ऐसे हैं कि वह मोरल टरपीट्यूड में इन्वोल्व होता है अथवा नहीं, यह कौन तय करेगा ? जहां तक अभी जो वर्डिंग्स हैं उसके मुताबिक यह तय करने का अधिकार भी सरकार के पास रह जाता है। मेरा यह कहना है कि आप एक व्यक्ति को तो उससे अलग रखते हैं और दूसरे को अलग नहीं रखते, चाहे कोई व्यक्ति हो ; चाहे वह सामान्य नागरिक हो या सरकार की ओर से डिस्मिस किया गया हो। अगर आप दोनों को कोर्ट को सौंप देते हैं तो यह बात दूसरी हो जाती है लेकिन डिपार्टमेन्टल एक्शन् के आधार पर यह पाबन्दी नहीं रखनी चाहिए। चूंकि आप इस क्लाज को जोड़ देना चाहते हैं और 'डी' को संविना देना चाहते हैं अतः मैं और फोर्स के साथ प्रेस करूंगा कि इस क्लॉज की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार सोचती हो शायद कि इसको कोर्ट में कैसे दें। कोर्ट में दिया जाना चाहिए और कोर्ट दूसरों के मामले में जैसे फैसला देती है उसी तरह गवर्नमेन्ट सर्वेन्टजो डिस्मिस्ड है उसके बारे में भी फैसला दे देगी। अगर सरकार के पास सबूत नहीं है तो कोर्ट अपना फैसला दे देगी। एग्जिक्यूटिव फैसले को इतनी कीमत नहीं दी जानी चाहिये कि किसी व्यक्ति को जो सरकार द्वारा डिस्मिस्ड हुआ हुआ है उसको नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा सके। जो तरमीम की गई है उससे महसूस होता है कि यह अमेन्डमेन्ट जरूर पास होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इस दृष्टि से चाहे वह सरकारी मुलाजिम हो या न हो हर एक के लिए कोर्ट द्वारा फैसला हो जायगा। सरकारी मुलाजिमों के लिए एडीशनल क्लॉज रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः माननीय मंत्री जी इस पहलू पर खयाल करेंगे।

दूसरी चीज जो मैं नहीं समझ पाया और जो यह है कि इसका क्या प्रोसिजर होगा ? क्योंकि जो कुछ क्लाज में था उसको इन्क्ल्यूड करने के लिए माननीय मंत्री जी ने सुझाव दिया था। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा, मि. प्रेसिडेन्ट, कि मौजूदा अमेन्डमेन्ट को एक्सेप्ट करने का यह प्रश्न नहीं है, यह तो उनकी ओर से खुद नया अमेन्डमेन्ट पेश करने का प्रश्न है और मेरा ख्याल है कि मेम्बर इन्चार्ज के लिये भी यह रूल लागू है जो दूसरे किसी के लिए लागू होता है। और चूंकि इस अमेन्डमेन्ट को हमें देखने के लिए नोटिस नहीं दिया गया है अतः इसको मूव करने को इजाजत नहीं देना चाहिए।

Page No.55

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैंने और टेक्नीकल जो एतराज उठाया उसके अलावा में फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि अगर यह ठीक है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पैसा रहते हुए भी दिवाला निकाल देते हैं तो उन के लिए राय होनी चाहिये। अगर कोई दूसरा कानून है और उनको राय देने का अधिकार नहीं है तो वह मौजूदा कानून की खामी है। लेकिन में तो ऐसे केस के सिलसिले में कहता हूं कि जिस आदमी के पास पूंजी नहीं है और किन्हीं मजबूरियों से उसे दिवाला निकालना पड़ गया है और वह अपने कमिटमेन्टस् पूरा नहीं कर पा रहा है तो यह समाज के ढांचे की कमजोरी या कमी है। उस आदमी का क्या जुर्म हुआ ? कुछ नुकसान हो जावे उससे या ऐसी चीज हो जावे कि जिससे वह कर्जे से दब जावे और न उठ पावे। ऐसे आदमी के कन्डक्ट के बारे में ऐसे कारणों के आधार पर प्रिज़म्पशन नहीं किया जा सकता है और इसलिए भी वह इलेक्टर या कन्डिडेट के लिए अनुपयुक्त हो, इस प्रकार की भावना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो पुराने जमाने की राजनैतिक व्यवस्था में रक्खा जाता था और वह भी इसलिए कि वह सारा का सारा चुनाव प्रोपर्टी बेसिस पर किया जाता था।

दोनों में से किसी के लिये यह बन्धन नहीं रक्खा जाना चाहिये।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक तो मेरा टैक्निकल एतराज है, उस पार्ट के लिये जो एमेन्डमेन्ट के रूप में मूव किया गया है कि उसके लिये दो दिन का नोटिस नहीं दिया गया इसलिये उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिये और दूसरा, उसके मैरिट्स पर भी एतराज हैं। और अन्त में 'डी' पार्ट है जिसको "जी" करके रखने की मंशा है वह भी न रक्खे। इस पर जोर देते हुए वह क्या कहना चाहते हैं, वह कहेंगे। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री **रामकरण जोशी**—क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा इसका; क्योंकि ऐसी बात है इस पर पहले बहस हो चुकी है और अपना दृष्टिकोण बता दिया था ?

मुझे तो कुछ मालूम करना है कि आपने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसको काफी सपोर्ट अगर मिल जावे तो हम अब भी देख लेंगे कि हम कहां तक उसके साथ चल सकते हैं।

फिर जिसको आज अमेन्डमेन्ट बताया जाता है वह कल १०वीं धारा को मन्जूर करते वक्त आपको खयाल होगा, मैंने सुझाया था कि ये वोटरों के लिये जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ज्यादा हैं, यह इलेक्टर के लिए होने चाहिये। इसलिये इसको ११ वीं दफा में ले लिया जावेगा और इस बिना पर दूसरी को वहां से हटाया जावेगा। ये वैसे के वैसे प्रोविजन हैं। इसलिये आज उसी आधार पर कोई नया अमेन्डमेन्ट मेरी तरफ से नहीं है जिस पर कि टेक्निकल ऑबजेक्शन उठाया जाता है। हां, यह जरूर है कि आपकी जानकारी के लिए समय देना चाहिये। यह दूसरी दफा १०वीं की थी। उसमें यह आया है, "has been convicted by a competent Court of an offence involving moral turpitude." यह जो इसमें आया है १०वीं दफा के नीचे दूसरे क्लाज में एक तो यह उसमें आ जाना चाहिये "सी" नम्बर पर और इसका नम्बर मैंने अपनी दृष्टि से "जी" रक्खा है। "is an undischarged insolvent',

[श्री रामकरण जोशी]

यह वहां "जी" के बाद में "एच" पर आ जाना चाहिये। "Is a member of any society which has been declared unlawful by the Government" यह "सी" जैसा आपने फरमाया था उसको डिलीट कर दिया जावे; मुझे यह मन्जूर है।

इसके बाद "डी" "सी" बन जाता है। "has been dismissed from the Government Service for misconduct". इसको में रखना पसन्द करता हूं। वह जैसा है वैसा आ जावेगा। इतनी बात होने के बाद यह स्पष्ट हो जाना चाहिये।

"अनडिस्चार्ज्ड इन्सालवेन्सी" के बारे में मैं यह मानता हूं कि यह चीज पुराने जमाने की थी या है। पर पुराने समय की है इसलिये सभी कुछ खराब होता है और उसको छोड़ देना चाहिये यह मैं नहीं मानता। अगर पुरानी पद्धति में ईमानदारी की बात है तो चूंकि यह पुरानी है इसलिए ईमानदारी की बात भी छोड़ देनी चाहिये और चूंकि आज के समय की कोई गलत चीज भी है तो चूंकि आज की है इसलिये कोई गलत बात भी स्वीकार कर लेनी चाहिये, तो यह तो कोई अच्छी दलील नहीं है।

मेरे लायक दोस्त ने जैसा अभी फरमाया है वे बड़े बड़े लेजिस्लेचर्स की बात भी कर सकते हैं, पार्लियामेन्ट की बात भी कर सकते हैं, पर आप इस कानून के मुताबिक पंच को कुछ सिविल राइट्स देते हैं, कुछ फैसले करने का अधिकार देते हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं; ऐसी स्थिति में और जगह जैसा आप चलना चाहते हैं उससे ज्यादा सोच कर चलना पड़ेगा। वे वकालत जितनी कर सकते थे उतनी उन्होंने कर ली। पर इस पंचायत बिल द्वारा जनता के अधिकारों को उन्हें सौंपने के लिए और इस पंचायत के विषय को देखते हुए मैं मेरे माननीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि वे अपने इन अमेन्डमेन्ट्स को वापिस लेलें और जिस तरह से तेज गति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसी तरह से हम सब आगे बढ़ें।

यह बिल बहुत जरूरी है। अगर इसमें हम लोग आपस में इसी तरह नुक्सों को देखते हुए चलते रहे तो ऐसी स्थिति में ये ऑब्जेक्शन्स अनावश्यक हैं।

श्री **चेयरमेन (हिम्मतसिंह)**--Such an amendment will not be allowed unless notice is given in time.

श्री **रामकरण जोशी**—I am very sorry for that. Chair may give its ruling

माननीय चेयरमेन, जब इस क्लॉज पर बहस हो रही थी तो जैसी धारणा थी, उस धारा को रखने का निश्चय किया था। इसके अतिरिक्त अन्नेसेसरी बहस में नहीं पड़ा। पर अब जब चेयर से रूलिंग आ गया है तो जैसा चेयर मुनासिब समझे करे।

श्री **जवानसिंह**–अगर यह उलझन पैदा हो रही है तो चूंकि यह संशोधन में पंचायत के हित में समझता हूं और क्योंकि इसे अलाऊ नहीं किया गया है, तो मैं यह बेहतर समझता हूं कि अपनी तरफ से इस संशोधन को रख दूं। अतः मैं यह संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे जरूर जरूर मन्जूर करेगा।

मैं इस संशोधन को ठीक समझता हूं और अर्ज करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जावे।

Page No.57

श्री **गोपीलाल यादव**—माननीय चेयरमेन, इस संशोधन के संबंध में माननीय मंत्रीजी ने कहा था और मैंने भी इसके लिये निवेदन किया था कि आगे के क्लॉज पहले ले लिये जांय। श्रीमान की रूलिंग हो चुकी है कि अमेन्डमेन्ट इस वक्त नहीं आ सकते क्योंकि नोटिस की आवश्यकता है, इस तरह से एक डेडलॉक पैदा होगया है। इसलिये मैं समझता हूं कि ११वीं धारा को छोड़ दिया जाय और आगे की खण्ड १२, १३, व १५ ले लिये जायें और उन पर जो अमेन्डमेन्ट आये हों उन पर डिस्कशन होजाय। इस खण्ड ११ को कल या और किसी दिन लिया जाय। अगर आप मेरा यह सुझाव स्वीकार करें तो ठीक है कि ११ वें खण्ड का कन्सीडरेशन बाद में किया जाय।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—चेयरमेन महोदय, गलतफहमी हो रही है। पार्ट (एच) के लिए जो अमेन्डमेन्ट किया था रूलिंग उस हद तक लागू होता है।

श्री **चेयरमेन**—Would you like to drop part (*h*).

श्री **रामकरण जोशी**—चेयरमेन महोदय; मैं अपनी तरफ से निवेदन कर चुका हूं। चेयर की रूलिंग हो चुकी है। मैंने जिस तरह की भावना से यह प्रस्ताव रखा था मुझे आशा नहीं थी कि इस कोर्नर रुकावटें आयेंगी और इस पंचायत बिल पर इनसोलवेन्मीज् जायज करार दे दी जायगी।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—I withdraw my objection.

श्री **गोपीलाल यादव**—जब माननीय सदस्य ने अपना ऑबजेक्शन विद्ड्रा कर लिया है तो कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—डिफिकल्टी नहीं रहेगी। Such objection shall prevail....

श्री **चेयरमेन**—मि. व्यास गलतफहमी में हैं। (एच) को इन्क्लयूड किया जाय, वे इस संबंध में प्रेस नहीं करना चाहते। क्या सदन की मर्जी है कि इसे ड्रॉप किया जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विराम)

क्लॉज ११ का (ए) इस तरह का है—

"(*a*) is in the regular service of the State Government;" क्य सदन को यह सब-क्लॉज स्वीकृत है।

(स्वीकृत)

सब-क्लॉज (ए) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

Clause 11 (*b*)—जो इस प्रकार है—

"is under 25 years of age;"

क्या यह सब-क्लॉज स्वीकृत है।

(स्वीकृत)

सब-क्लॉज (बी) स्वीकृत है।

(विराम)

Page No.58

[श्री चेयरमेन]

Clause 11 (*c*)—

"(*c*) has been dismissed from the Government service for misconduct involving moral turpitude and has been declared to be disqualified for employment in the public service; "

श्री **जवानसिंह**—अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा इस क्लॉज पर अमेन्डमेन्ट है क्योंकि यह चेयर की तरफ से वोट के लिए मूव हो चुका है इसलिये में अपने अमेन्डमेन्ट को विथ्ड्रा करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री **एच. के. व्यास**—इसी प्रकार का मेरा अमेन्डमेन्ट है। अगर श्री जवानसिंह विद्ड्रा करने की इजाजत चाहते हैं तो मेरा अमेन्डमेन्ट........

श्री **चेयरमेन**—श्री व्यास गलत समझे हुए हैं। मैं क्लॉज ११ का वह 'सी' भाग पढ़ रहा हूं जो कि मिनिस्टर इन्चार्ज ने दिया है न कि क्लॉज ११ का वह (सी) जो ओरीजिनल क्लॉज है।

श्री **एच. के. व्यास**—Sir, As a matter of fact you are reading clause (*c*) as now amended. So I presume that the original clause (*c*) has been dropped.

श्री **चेयरमेन**—अतः प्रश्न यह है कि संशोधित उप-खण्ड 'सी' स्वीकृत किया जावे।

(स्वीकृत)

सब-क्लॉज (सी) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

Clause 11 (*d*)—

"(*d*) holds any salaried post or place of profit in the gift or disposal of the Panchayat;"

क्या यह उप-खण्ड स्वीकृत है ?

(स्वीकृत)

उप-खण्ड (डी) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

Clause 11 (*e*) is following:—

"(*e*) has directly or indirectly any share or interest in any contract with, by or on behalf of, the Panchayat, while owing such share or interest ;"

Page No.59

[श्री चेयरमेन]

क्या यह उप-खण्ड स्वीकृत है ?

(स्वीकृत)

उप-खण्ड (इ) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

सब क्लॉज (एफ) इस तरह से रखा गया है :—

"(f) is a leper or is suffering from other bodily or mental defect or disease rendering him incapable for work :—"

प्रश्न यह है कि यह उप-खण्ड स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

यह उप-खण्ड सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

सब-क्लॉज (जी) इस तरह से रखा गया है:—

"(g) has been convicted by a competent court of an offence involving moral turpitude;

श्री हरिकृष्ण व्यास—May I submit, Sir; this is an amendment just put forth by the Hon'ble Minister that amendment now comes in the form of (g) but it is a new amendment.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—ऐसा ....

श्री हरिदत्त—"An offence involving moral turpitude."

He is debarred for ever, and for ever he shall remain debarred.

कोई इसमें टाइम नहीं दिया है। अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म, गुनाह १० साल या १५ साल पहले किया हो तो डिबार वह हो जाता है, ऐसा शख्स रह जाता है। हमारे जनरल इलेक्शन में ५ इयर्स की ही मियाद दी गई है, तो पंचायत जैसी जगह के लिए, जहां मामूली मारपीट हो जाना मामूली बात है, वहां मामूली बात में दुश्मनी हो जाय, इसलिए मैं चाहता था कि time should be given और उसके लिए एक अमेन्डमेन्ट मेरा मौजूद है।

श्री चेयरमेन—If you finish..........

Page No.60

श्री हरिदत्त—That amendment was moved by Shri Jawansingh. In sub-clause (2), the words "within five years before the date of election" be inserted between the words "moral turpitude" and "or is".

Then it will stand like this :—

"has been convicted by a competent court of an offence involving moral turpitude within five years before the date of election, or is"

He is not eligible to be elected as Punch.

श्री चेयरमेन—What is the amendment number that you have read.

श्री हरिदत्त—No. 33.

श्री अध्यक्ष—But that amendment is with regard to Clause 10.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That amendment has again been moved by the Hon'ble Minister.

श्री हरिदत्त—So I am just referring to that amendment moved by Shri Jawan Singh in connection with Clause No. 10.

Perhaps I am clear. कोई लिमिट, ऐसी जरूर आ जानी चाहिये।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्षजी, आपके पास जो प्रोविजो है वह (सी) और (जी) दोनों क्लॉज में आ जाती है। इसकी जो दूसरी क्लॉज है उससे यह बात निकलती है जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि कोई मामूली सा ऑफेन्स हो तो उसके बारे में प्रोविजन है:—

"Provided that in cases (c) and (g) any person may be declared eligible for election by a general or special order of the State Government in this behalf."

इस मद में से ऐसे आदमियों को इजाजत मिल सकती है। इसमें Moral turpitude भी आ जाता है। अगर यह बात लगा दें कि ५ साल खत्म होने के बाद हर एक को एलिजिबल कर दिया जाय तो हीनियस ही ऑफेन्स के क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। इसलिये इस बात से वे भी एलिजिबल हो सकते हैं। अगर मामूली सा जुर्म हो तो स्टेट गवर्नमेन्ट उसको एलिजिबल करार दे सकती है।

श्री चेयरमेन—यह चीज प्रोविजन में रखी है....

श्री हरिदत्त—मेरी बात को प्रोविजो में एड करेंगे, इसको मानेंगे ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—प्रोविजो में दोनों हैं।

श्री **चेयरमेन**—I may read for your information the Minister-in-charge's proviso :—

"Provided that in cases (*c*) and (*g*) any persons may be declared eligible for election by a general or special order of the State Government in this behalf."

श्री **हरिदत्त**—जरूरत तो आ ही जाती है। पब्लिक का मोरल टर्पिट्यूड के ऑफेन्स में जो कन्विक्शन होता है उसको तो आप क्वालिफाई नहीं करते हैं।

श्री **रामकरण जोशी**--(जी) में आता है।

श्री **चेयरमेन**—प्रश्न यह है कि (जी) क्लॉज जो इस प्रकार है—

"(*g*) has been convicted by a competent court of an offence involving moral turpitude;" क्या यह सदन को स्वीकृत है ?

श्री **हरिदत्त**--Is it provided in the proviso ?

श्री **चेयरमेन** (श्री हिम्मत सिंह)—

Yes, that is what I have read :—.

"Provided that in cases (*c*) and (*g*) any person may be declared eligible for election by a general or special order of the State Government in this behalf."

Are you satisfied ?

(विराम)

क्लॉज ११ के अन्दर सब क्लॉज (जी) इस तरह से रखा गया है :—

"(*g*) has been convicted by a competent court of an offence involving moral turpitude ;"

क्या सदन इसे मन्जूर करता है।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११ में नया सब क्लॉज (एच) इस तरह से रखा है :—

"(*h*), is an undischarged insolvent"

क्या सदन को यह स्वीकृत है ?

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

सब क्लॉज (एच) सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

[श्री चेयरमेन]

इसके अन्त में जो प्रोविजो रखा गया है वह इस प्रकार है :—

"Provided that in cases (*c*) and (*g*) any person may be declared eligible for election by a general or special order of the State Government in this behalf."

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

यह भी स्वीकृत हुआ

(विराम)

The question is that clause 11, as amended stand part of the Bill.

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

clause 11, as amended, is added to the Bill.

खण्ड १२

There are no amendments in regard to clause 12. The question is that clause 12 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The clause is added to the Bill.

खण्ड १३

There are ten amendments to this clause No. 13. Shri Jawan Singh to move his amendment No. 38.

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, मेरा संशोधन क्लॉज नम्बर १३ की सब क्लॉज (१) व (२) के लिये इस तरह से है:—

" Every Panchayat ((rnus) have a Sarpanch and Upsarpanch who must be persons able to read and write Hindi, elected by the Members of the Panchayat from amongst themselves in the prescribed manner' be substituted for sub-clauses (1) and (2) of clause 13."

मौजूदा क्लॉज (१) और (२) में जैसा कि सरपंच का चुनाव रखा गया है वह ठीक नहीं मालूम देता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय मन्त्रीजी महोदय ने हिन्दुस्तान के विधान को अमेरिका के विधान से मिला कर उनके सम्मिश्रण का ही एक नमूना पेश किया है। उन्होंने जहां तक सरपंच के चुनाव का सवाल रखा है उसको सारी जनता के चुनाव पर आधारित किया है और जहां तक उप-सरपंच

[श्री जवानसिंह]

का सवाल है वह पंचों तक ही सीमित रखा गया है। लेकिन इसमें मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका में, प्रेसीडेन्ट वहां की कांग्रेस और सीनेट दोनों के ऊपर होता है; उनके साथ मिल कर काम नहीं करता है, बल्कि वह अलग से काम करता है, और यहां पर हमारे सरपंच दूसरे पंचों के साथ में बैठ कर सारा कामकाज करेंगे। यह विभिन्नता शायद यह कानून बनाते वक्त ध्यान में नहीं आई है। इसलिये शायद यह ऐसा बिल हमारे सामने पेश किया गया है। लेकिन अगर वह त्रुटि उस वक्त में रह गई है तो इस वक्त संशोधित की जा सकती है और उस त्रुटि को पूरा किया जा सकता है। मेरे अर्ज करने का मतलब खास तौर से इसलिये है कि एक तरफ आप सरपंच को जनता के वोट के लिये रखते हैं और दूसरी तरफ उस सरपंच के केवल पंचों के लिये ही, लेकिन जिस समय, सारी जनता के वोट दिये हुये सरपंच का अगर दूसरे पंच उसकी बातों से इत्तिफाक नहीं रखते हैं उस समय में दोनों के बीच में एक उलझन ऐसी पैदा हो जायगी कि अगर जनता यह चाहे भी कि यह सरपंच कायम रहे, लेकिन अगर उस पंचायत के और पंच नहीं चाहते हैं तो उस सूरत में जनता के चाहते हुये भी वह आदमी सरपंच नहीं रह सकेगा। यह एक ऐसी उलझन पैदा हो सकती है कि जिसका ख्याल शायद रहा हो, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया हो और इसलिये खासतौर से इस पर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि हमारे सामने इस तरह से संशोधित चीज, यह क्लाज रह गई तो इस उलझन के पैदा होने का सवाल नहीं रहेगा और जिस तरह से उप-सरपंच चुना जायगा उसी प्रकार से सरपंच भी चुना जायगा। उसके खिलाफ कोई वोट औफ नो कॉन्फीडेन्स भी पेश होता है तो कोई किसी तरह की उलझन पैदा नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरा यह संशोधन इस विचार के साथ स्वीकार किया जाय।

श्री **हरिदत्त**—माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन के विषय में जो कि क्लॉज नम्बर १३ की सब क्लॉज (१) तथा (२) पर हैं दो शब्द इसलिए कहना चाहता हूं कि सरपंच का होना तो पंचायत में आवश्यक है ही, लेकिन जिस पद्धति से लिया जा रहा है उससे ऐसा हो सकता है कि वह सरपंच पंचायत के कामों में बाधाएं डाले और कुछ अडचनें पैदा करे। यह सरपंच का डाइरेक्ट इलैक्शन रखा है वह शायद हमारे विधान को देखते हुए हमारे जो प्रेसीडेंट हैं उनका जैसा डाइरेक्ट इलैक्शन रखा गया है, वैसा ही है। प्रेसीडेंट का मिनिस्ट्री से कोई संबंध नहीं, लेकिन यह सरपंच वह होंगे जो पंचों में बैठ कर काम करेंगे, उनके ऊपर सरपंच रहेगा। ऐसा कोई विधान नहीं है जहां जनता द्वारा इलैक्टेड बोडी में से काम करने के लिए जो उनका हैड हो उसका इलैक्शन डाइरेक्ट हो। वह तो उन्हीं में से चुना जाय जैसा कि उप-सरपंच जो होता है। जब वह उन्हीं में से नहीं चुना जायगा तो सरपंच को पंचों पर थ्रूस्ट करेंगे। जनता जो सरपंच चुनती है उसको वह थ्रस्ट करेंगे।

अगर सरकार ने सरपंच को पंचायत के सिर पर सिलेक्ट कर के थोपा जिसको पंचायत वाले नहीं चाहते हैं तो पंचायत के कार्य में बड़ी अड़चन आवेंगी। जब हम देखते हैं कि सर पंच और पंचायत के पंचों का एक ही फंक्सन है तो फिर सरपंच को चुनने का पंचों को अधिकार होना चाहिये। इस पर यदि मन्त्री महोदय गंभीरता पूर्वक विचार कर लें तो यह मसला बहुत ही आसानी से हल हो सकता है।

श्री **चेयरमेन**—मि० व्यास; एमेन्डमेन्ट नम्बर ३९.

श्री एच. के. व्यास—Sir, I beg to move my amendment :—

"In sub-clause (1) of Clause 13-third line- delete the words "elections of the whole Panchayat circle" and substitute in their place the following :—

"Panchas from amongst themselves."

माननीय चेयरमेन, अभी कुछ समय पहले माननीय जवानसिंह जी ने जो एमेन्डमेन्ट रखा था, मेरे एमेन्डमेन्ट की मंशा वही है जो उनके एमेन्डमेन्ट की है। हालां कि इसको अलग तरीके से रखा गया है और इसलिए जिन जिन बातों का उन्होंनें अपने भाषण में जिक्र किया है उन बातों को दोहराना मैं आवश्यक नहीं समझता। सिर्फ दो और बातें सदन के सामने लाऊंगा। एक तो यह है कि यदि आप मौजूदा क्लॉज को गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि जब कभी किसी जगह पंचायत मुकर्रर होती है तो उसमें उसके चुनाव के लिये ५, ७, ८ वार्डस के पीछे एक पंच चुना जावेगा और सारे इलेक्ट मिल कर सरपंच चुनें तो ज्यादा अच्छा होगा। सरपंच और पंचों का करीब करीब बराबर स्टेट्स हो जाता है। एक पंच और सरपंच के बीच में सरपंच का स्टेटस ऐसा होता है जैसे दो साथी साथ साथ चलते हों। यदि सरकार सरपंच अपनी मर्जी से उनके सर पर थोपेगी तो लोजिकली यह होगा कि उनमें आपस में तनातनी रहेगी और आपके कानून के अनुसार जब ३/४ मेजोरिटी पंचों की सरपंच के खिलाफ होगी तभी जाकर उसको हटाया जा सकेगा और अगर पंचों की मेजोरिटी इतनी नहीं हुई तो वही तनातनी चलती रहेगी और इस क्लाज में कोई ऐसी बात नहीं है जो इस प्रकार की सिचुएशन को पैदा होने से रोक सकें। इस प्रकार की diarchy का नतीजा यह होगा कि एक तरफ तो सरपंच होगा और दूसरी तरफ सब पंच होंगे और एक दूसरे से आपस में लड़ते रहेंगे। मेरा खास इस पर एतराज यही है कि ऐसा तरीका क्यों रखा जावे कि जिसमें डाएरकी (diarchy) के सिद्धान्त रहें। इसलिये मेरे एमेन्डमेन्ट की मंशा यह है कि सरपंच और उप सरपंच दोनों पंचों में से ही पंचों द्वारा चुने जावें. They must be elected by the Panches from amongst themselves. इस प्रकार से हम दोनों समस्याओं को हल कर पाएंगे। एक तो यह कि चुनाव में कोई इस प्रकार डाए-रकी (diarchy) का प्रश्न नहीं आवेगा और दूसरा यह कि आगे चल कर कोई मतभेद आपस में नहीं होगा। इन कारणों के साथ मैं अपने एमेन्डमेन्ट को प्रस्तुत करता हूं और केवल एक ही बात दोहराना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने, जब संविधान बना था तब पहले ओरिजिनल ड्राफ्ट में इस प्रकार का क्लाज राष्ट्रपति और गवर्नरों के बारे में रखा था कि उनका चुनाव डाइरेक्ट हो मगर उसके बाद बहस हुई और अन्त में यह तय हुआ कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। इससे ओटोक्रेटिक टेन्डेन्सीज बढ़ेंगी और बढ़ती हैं। यदि इस प्रकार की बात हिन्दुस्तान के संविधान के लिये मानीगई तो राजस्थान में सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि ओटोक्रेटिक टेन्डेन्सीज बढें। मैं इस अमेन्डमेन्ट को इस आशा से प्रस्तुत करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री शंभूसिंह—चेयरमेन महोदय, क्लॉज १३ पर मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—For the words "in the prescribed manner" substitute "according to rules which should be framed under Section 88 of the Act."

[श्री शंभुसिंह]

चेयरमेन महोदय, चुनाव के सिलसिले में मैंने कल निवेदन किया था कि जो चुनाव का मेथड है वह सेक्शन ८८ के मातहत प्रस्क्राइब्ड किया जावे। इसी प्रकार सरपंच के चुनाव के बारे में मेरा विचार है कि वह भी सेक्शन ८८ के मातहत प्रेस्क्राइब्ड कर दिया जावे ताकि दलबन्दी का दौर दौरा न चलता रहे। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सेक्शन ८८ के मातहत सरपंच का चुनाव भी प्रेस्क्राइब्ड कर दिया जावे।

श्री तेजसिंह—माननीय चेयरमन, मेरा संशोधन इस प्रकार है: "*Sub-clause* (2) :—Add the following proviso at the end —

"Provided that if a Sarpanch does not belong to any of the Scheduled castes, an Upsarpanch shall be elected amongst the Scheduled Castes Panchas of the Panchayat and in that case the condition to read and write Hindi shall not be necessary for him."

इसके पहले भी मेरा इसी प्रकार का संशोधन था जिसके द्वारा सदन से यह निवेदन किया गया था कि यदि हरिजन पंच नहीं चुना जावे तो सरकार अनिवार्य रूप से हरिजन पंच को मुकर्रर करे। किन्तु वह मेरा संशोधन नामंजूर किया गया। सरपंच और पंचों के चुनाव में, सरपंच तो कोई भी चुना जा सकता है चाहे वह सवर्ण जाति का हो, चाहे किसी दूसरी जाति का। किन्तु पंचायत में एक ऐसा पंच अवश्य होना चाहिये जो हरिजन जाति से सम्बन्ध रखता हो। मेरे पहले संशोधन के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा कि हमारे संविधान में शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये काफी गारन्टी रखी गई है। यदि संविधान में दी गई गारन्टी पर विश्वास करके यह समझ लिया जाये कि सोशियल, इकोनोमिक और पोलीटिकल जस्टिस के आधार पर कुछ उनको मिलेगा और हरिजनों की समस्या सुलझ जायगी तो हमारा यह समझना..

श्री हरिदत्त—On a point of order, Sir, may I wake up my sleeping friend Mr. Yadav.

श्री तेजसिंह—मै यह अर्ज कर रहा था कि हमारे यहां आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियें आज भी हरिजनों की वैसी ही हैं और विशेषरूप से राजस्थान जैसे पिछड़े हुये देश में, जिससे हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि १० साल में कोई ज्यादा सुधार होने की गुञ्जायश नहीं। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश पंजाब में हरिजनों को एडमिनिस्ट्रेशन में काफी स्थान दिया गया है। सौ हरिजनों के पीछे एक नम्बरदार तो हरिजन ही होता है। जब हमारे पड़ोसी देश में हरिजनों को जगह दी जा रही है तो मैं यह आवश्यक समझता हूं कि राजस्थान में सरपंच नहीं तो कम से कम उप-सरपंच तो उनमें से अवश्य ही लिया जाना चाहिये।

राजस्थान में हरिजनों के साथ आज जो व्यवहार किया जा रहा है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके संबंध में आज सदन में ही प्रश्न पूछा गया था। हमारे संविधान में हरिजनों को बराबरी का दर्जा दे दिया है परन्तु प्रेक्टिस में हरिजनों को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है, इससे सब वाकिफ हैं। इस भेदभाव को दूर करने के लिये आवश्यक है कि जिस पंचायत में सरपंच हरिजन नहीं चुना गया हो उसमें उप-सरपंच हरिजन को ही चुना जाय।

[श्री तेजसिंह]

क्लाज १३ की सब-क्लॉज (एक) तथा (दो) में संशोधन आया है कि सरपंच भी उप-सरपंच की तरह ही चुना जाना चाहिये, इसका मैं विरोध करता हूं। एक सदस्य ने फरमाया कि इंगलेण्ड और अमेरिका की नकल की जा रही है।

एक सदस्य—मैंने इंगलेण्ड का नाम नहीं लिया है।

श्री तेजसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अमेरिका का नाम लिया है। इसके बारे में मेरा आगे संशोधन है कि अगर सरकार यह चाहती है कि सरपंच को पंचायत के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिये तो वह मेरा आगे आने वाला संशोधन स्वीकार करें। पंचायत में पंचों की संख्या १५ से ज्यादा नहीं रखी है। ऐसी सूरत में यदि कोई एक आदमी साधन सम्पन्न हुआ तो दो आदमियों को तो वह जरूर तोड़ सकेगा और इस तरह पंचायत पैसेवालों के हाथ में ही हो जायगी। इसीलिये सरपंच का चुनाव पंचों के जरिये न हो कर पंचायत क्षेत्र के पंचायत के तमाम मतदाताओं के जरिये होना चाहिये।

श्री एच. के. व्यास ने कहा कि डायर्की diarchy प्रिन्सीपल इन्ट्रोड्यूस हो जायगा। १५ वोट हैं तो बराबर तो हो ही नहीं सकते एक तरफ ८ और एक तरफ ७ हो सकते हैं। डायर्की का प्रिन्सीपल तो वहां इन्ट्रोड्यूस होता है जहां कि बराबर आदमियों के वोट आते हों। अतः डायर्की के प्रिन्सीपल का तो सवाल ही नहीं उठता।

उन्होंने यह भी कहा कि सरपंच और पंचों की स्टेट्स बराबर होनी चाहिये। उन्होंने भारत के विधान की भी चर्चा कर दी और राष्ट्रपति एवं गवर्नर का भी प्रश्न रखा। राष्ट्रपति तो चुना जाता है पर गवर्नर का चुनाव नहीं होता; उनका नाम लेकर सरपंच का चुनाव नहीं रोका जा सकता।

अतः मेरा यह निवेदन है कि जिस पंचायत में सरपंच हरिजनों में से नहीं हो तो उप-सरपंच तो हरिजनों में से ही हो। मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री जवानसिंह—चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज में मेरा दूसरा संशोधन सब-क्लॉज "तीन" को हटा देने के लिये है। यह क्लॉज हट जाता है तो मेरा यह संशोधन इतना ही है कि सब-क्लॉज संख्या (४) है उसकी बजाय (३) कर दी जावे; जैसा कि मैंने ऊपर के संशोधनों में पेश किया है। अगर ऊपर के संशोधन स्वीकार कर लिये जाते हैं तो उसकी मौजूदगी में हमें यह सब-क्लॉज (३) रखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

सब-क्लॉज (तीन) केवल उस सूरत में रहता है जब कि सरपंच आम जनता में से उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। पर जैसा कि मेरे ऊपर के संशोधन में बताया गया है कि सरपंच को पंचायत चुने तो इस सूरत में सरपंच के आम जनता द्वारा चुने जाने का प्रश्न ही नहीं रहता है। इसलिये मेरा ऊपर का संशोधन और मौजूदा संशोधन दोनों साथ में लिये जायं तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि केवल मेरा संशोधित क्लॉज एक रहते हुए भी तीनों के लिये पर्याप्त होगा।

श्री हरिदत्त—माननीय चेयरमेन, एक बात पहले कही गई थी कि अगर कहीं से कोई उप-सरपंच पंच द्वारा न चुना जाय तो उसकी जगह गवर्नमेन्ट नॉमीनेट कर सकेगी। लेकिन ऐसी पंचायतों में उप-सरपंच न चुना जाय यह मुमकिन नहीं है। जब पंच के लिये लोग खड़े होंगे तो एक आदमी तो सरपंच के लिये जरूर खड़ा होगा तो उसके गवर्नमेन्ट द्वारा चुने जाने की कोई ऐसी संभावना भी रहेगी, यह कभी नहीं होगा। इस प्रकार जब पंच चुने जायंगे तो असंभव बात है कि उप-सरपंच नहीं चुना जाय। क्या कारण है कि उप-सरपंच नहीं चुना जाय। कानून बन गया है तो अवश्य चुनेंगे। तो यह दोनों बातें इसमें रखकर क्लॉज नं० ३ में रखी गई हैं जिसके जरिये गवर्नमेन्ट को जो अधिकार दिया है वह एक असंभव बात को संभव बनाते हुए रखा गया है, इसकी आवश्यकता नहीं। उप-सरपंच और सरपंच को पंचायतें ही चुनें तो क्लॉज नं० ३ बिल्कुल अनावश्यक हो जाता है और इसको डिलीट करना उचित है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, from the foregoing amendment this subsequent amendment automatically follows. I would have very much liked if the decision on the foregoing amendment would have taken place first because if these amendments are accepted then as my friend has pointed there would be no need for the sub-clause. I think it would have been much better if we have discussed the earlier amendment and left this to be discussed later.

श्री चेयरमेन—Would you like to reply the previous amendment first and leave this amendment.

श्री रामकरण जोशी—मुझे वास्तव में इन संशोधनों में से एक भी संशोधन स्वीकार नहीं है। वैसे मुझे अगर जवाब के लिए कहा जाय तो मैं देने के लिए तैयार हूं। पर पहले जो बोलना चाहें बोल लें, मैं फिर जवाब दे दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, क्योंकि मंत्रीजी ने यह कह दिया है कि कारण चाहे कुछ भी हो, उन्हें यह एमेन्डमेन्ट मंजूर नहीं है। तो फिर यह आवश्यक हो जाता है कि इस एमेन्डमेन्ट को प्रेस किया जाय और वह इस प्रकार है कि इस क्लॉज में " If the electors of a panchayat circle fail to elect sarpanch in accordance with this section or if the" ऐसा दर्ज किया गया है उसकी एवज में मैंने यह एमेन्डमेन्ट रखा है कि तीसरी पंक्ति में शब्द "Elect" के पश्चात् शब्द "Sarpanch or the" रखदिये जावें। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था अलग अलग चुनाव पद्धति की आवश्यकता नहीं है। और इसी एमेन्डमेन्ट के आधार पर यदि पंचायत सर्किल के लोग सरपंच को न चुन पावें, ऐसी स्थिति में जिस उप-सरपंच का चुनाव हो उसे सरपंच का substitute कर दिया जाय। मेरा खयाल है ओरिजिनल एमेन्डमेन्ट के साथ लाजमी तौर से यह एमेन्डमेन्ट लाजमी तौर से जुड़ा हुआ है और क्योंकि मेरा इसे प्रेस करने का इरादा है, चाहे यह पास हो या न हो, इसे वोट के लिय रखा जाय। जिन कारणों से ओरिजिनल एमेन्डमेन्ट रखा था उन्हीं कारणों से इसे भी पेश करता हूं। ये दोनों पास होने चाहिये।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है वह बिल्कुल सीधा-सादा है। यदि ४० नंबर का एमेन्डमेन्ट स्वीकार हो जाता है तब तो मेरे संशोधन का प्रश्न नहीं रहता और यदि ४० नंबर का संशोधन स्वीकार नहीं होता है तो उप-खण्ड (३) के अंतर्गत जो पंचायत सरपंच या पंच नहीं चुन पायेंगी उनके लिये स्टेट गवर्नमेन्ट को यह अधिकार है कि वे किसी दूसरे को उस जगह, जो कि रिक्त है नॉमिनेट कर सकती है लेकिन इस खण्ड के अंदर यह नहीं आया है वे किसी ऐसे शख्स को नियुक्त करें जो और तरह से सरपंच और उप-सरपंच के लायक हो। सरपंच की योग्यता यह है कि पढ़ा लिखा होना चाहिये और उप-सरपंच की योग्यता यह है कि वह पढ़ा लिखा होना चाहिये और स्वयं भी एक पंच हो। तो ऐसे अधिकार यदि स्टेट गवर्नमेन्ट को दिये गये हैं तो उनके अंतर्गत यदि नॉमिनेट किसी व्यक्ति को करे तो ऐसे व्यक्ति को करना चाहिये जो सरपंच उप-सरपंच की योग्यता रखता हो। इसलिये मेरा संशोधन स्वीकृत होने के बाद जो क्लॉज रहेगा वह इस प्रकार होगा: "If the electors of a Panchayat Circle fail to elect sarpanch, in accordance with this section or if the panchas fail to elect upsarpanch, the State Government shall appoint a person, otherwise qualified to be a sarpanch or upsarpanch, to the vacancy till such vacancy is filled up by election within a period of six months and the person so appointed shall be deemed to be a duly elected sarpanch or upsarpanch, as the case may be" तो मेरा संशोधन मानने के बाद स्टेट गवर्नमेन्ट के लिये यह लाजमी है कि यदि वह कोई नियुक्ति इस प्रकार करे तो सरपंच या उप-सरपंच की जो नियुक्ति हो वह कम से कम ऐसे व्यक्ति की हो जो कम से कम ऐसी योग्यता रखता हो जो कानून द्वारा सरपंच या उप-सरपंच के लिये निर्धारित की गई है।

श्री हरिदत्त—यह एमेन्डमेन्ट उस सूरत में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब कि सरपंच का एपोइन्टमेन्ट डाइरेक्ट हो जाता है। उपखण्ड (३) से यह नहीं मालूम होता है कि क्या ऐसा सरपंच या उप-सरपंच, गवर्नमेन्ट एडीश्नल पंच की तरह से पंचायत में रख देगी। इसमें यह कहीं नहीं दिया गया है कि उप-सरपंच को पंचो में से चुनकर रखा जायगा। इसी क्लॉज में एक एमेन्डमेन्ट श्री तनसिंहजी ने रखा है वह भी आवश्यक है। इससे यह मालूम होता है कि यह क्लॉज हेफहेजार्डली बना हुआ है। इसके अंग-प्रत्यंग देखे जायं तो जाहिर होता है कि इसमें कई त्रुटियां हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में यदि मंत्री महोदय स्वयं विचार करलें तो इसे पर अधिक वाद-विवाद न होकर यह जल्दी ही पास हो जावे।

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं वाद–विवाद तो बहुत काफी हो चुका है।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, मैंने क्लॉज संख्या ३ में जो एमेन्डमेन्ट मूव किया था उस वक्त क्लॉज संख्या ४ का एमेन्डमेन्ट भी पेश कर दिया था और इस सिलसिले में मैंने यह अर्ज किया था कि यदि सब-क्लॉज नं. (३) डिलीट हो जाता है और सब क्लॉज (१) और (२) का संशोधन मंजूर होने पर सब-क्लॉज नं. ४ में इतना एमेन्डमेन्ट बाकी रह जाता है कि उसका रिनंबरिंग किया जाय और उसके बाद यह सब-क्लॉज नं० (२) हो जायगी। ऊपर के सब-क्लॉज के मंजूर होने में जो कमी रह जाती उसको दूर करने के लिये The words, "as otherwise provided elsewhere in the Act, a Sarpanch or upsarpanch shall hold office during the term of the panchayat" कर दिये जायंगे। क्लॉज नं० (४) के बजाय ये शब्द रख देने से तो इससे कोई उलझन किसी तरह की पैदा नहीं हो सकती। सरपंच और उप-सरपंच की टर्म उतनी ही रहेगी जितनी कि पंचायत की टर्म है। यही मेरा संशोधन है।

Page No.69

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, my amendment No. 44 is as under:—

"In sub-clause (4) first line after the word 'Sarpanch' insert 'and an up-sarpanch' and delete the following:— 'during the term of the Panchayat and an upsarpanch".--

श्री रामकरण जोशी—जितने एमेन्डमेन्ट सदन के सामने पेश किये गये हैं उन सबका आधार सरपंच के चुनाव का तरीका है और यदि सरपंच के चुनाव का तरीका तय कर दिया जाय तो करीब करीब सभी एमेन्डमेन्ट या तो हट जाते हैं या निरर्थक हो जाते हैं। एक सुझाव श्री तनसिंह की तरफ से अभी आया है कि जो सरपंच या उप-सरपंच सरकार की तरफ से नॉमिनेट किये जांय उनकी क्वालिफिकेशन नियत की गई है । दूसरे जितने एमेन्डमेन्टस आये हैं उनमें से यदि एक भी स्वीकार नहीं किया जाय तो भी इसकी आवश्यकता रहती है। सरपंच या उप-सरपंच वही आदमी रह सकता है जो पढ़ा लिखा हो। यह शर्त चुनाव में खड़े होने की हालत में और नॉमिनेट होने की हालत में भी रहनी चाहिये। नोमिनेट करने की हालत में यह शर्त साफ नहीं थी और इसको श्री तनसिंहजी क्लियर कराना चाहते हैं, इसलिये इस चीज को रख देने में कोई एतराज नहीं है। सरपंच के चुनाव के बारे में जो बातें कही गई हैं कि पंचों को अधिकार है कि वे ही सरपंच चुनें । पंचायतों के अधिकार और उनकी कार्यवाही की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन पंचायतों के सरपंच खाली किसी सभा के अध्यक्ष ही नहीं हैं। वे एक्जीक्युटिव हेड भी हैं और मुकदमों के फैसले करते हैं। इसलिये पंचायतों की सारी जिम्मेदारी उन पर होती है ।

इसलिए उसको सारे क्षेत्र का परिचय होना चाहिये क्योंकि वह एक्जिक्युटिव फैसले देता है। उसको जो फौजदारी और दीवानी के हक मिले हुए हैं उनको वह अमल में लायगा जो सारे उस क्षेत्र भर के लिये होंगे। इसलिये उनके लिये क्षेत्र से परिचित होना जरूरी है और क्षेत्रवालों को भी उनसे परिचित होना जरूरी है। इसके लिए यह जरूरी है कि वह सारे क्षेत्र का विश्वासपात्र व्यक्ति होना चाहिये। वह ज्यादा से ज्यादा विश्वास प्राप्त व्यक्ति होना चाहिये मैं समझता हूं कि शायद मेरे साथियों की मंशा उनको (सरपंच) गांवों में पहुंचाने की नहीं होगी ।

राष्ट्रपति और गवर्नरों के चुनाव की भी बात बताई गई है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और न गवर्नर का ही। एक गांव की पंचायत के सरपंच का राष्ट्रपति के साथ मुकाबला करना बैठता ही नहीं है। फिर भी मैं निवेदन करता चाहता हूं कि सरपंच को ज्यादा से ज्यादा उन व्यक्तियों पर शासन करना है जिनके बारे में वह जिम्मेदार हैं, जिनका वह परिचय रखता है और इस बिल के द्वारा उसे विश्वास भाजन बनाने का जो प्रयत्न किया गया है, मैं समझता हूं, उसको उसी लाइट में स्वीकार किया जाना चाहिये। उसके बजाय यह बात कही जाय कि पंच ही सरपंच को चुन लें तो मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि पंच चाहे सरपन्च चुनले लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वह सरपंच उस क्षेत्र भर का है या नहीं और यह भी कि वह दूसरे क्षेत्र का है या बाहर का। इसलिये किसी भी पंचायत के किसी भी सदस्य को ऐसे सरपन्च के प्रति आकर्षित रहने उसकी आधीनता में रहने और उसके नेतत्व में चलने का एक अधिक मौका रहता है जब कि वह किसी एक वार्ड से आया

[श्री रामकरण जोशी]

हुआ नहीं हो। सरपन्च एक एग्जिक्युटिव होता है। उसके द्वारा फैसले होते हैं और वह आदमी सचमुच ऐसा ही होना चाहिये जो इन चीजों को होल्ड करता हो। और इस तरह से वह ज्यादा प्रभावशाली भी होगा। इसके साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि उस तरीके को पसन्द नहीं करते हुए जो एमेन्डमेन्ट पेश किया गया है और कहा गया है कि बहुत काफी होना चाहिये, ३।४ का बहुमत काफी नहीं। यह सही है कि जिस क्षेत्र द्वारा उसने (सरपन्च ने) विश्वास प्राप्त किया है वह उनके प्रति सच्चा रहे और जिन व्यक्तियों ने उसको चुना है वे भी उसके प्रति सच्चे रहें। इसके साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि किसी को अविश्वास हो जाय, वे अविश्वास प्रगट करें तो वह सरपन्च हटाया जा सकता है यदि उसके खिलाफ ३/४ मत आ जायं और उसमें अविश्वास प्रगट होजाय। इन सब का एक दूसरे से ताल्लुक है और इसलिए ३/४ जरूरी है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पंचायत के बिल पर बोलने या विचार रखने का सवाल है मेरे किसी भी साथी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, वैसे सब ही बोल रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल इतनी अहमियत रखता है कि जिस दिन सदन इसको पास करके निकाल देगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जायगी तो यदि वोटर्स जिनके वोटस से आप प्रतिनिधि चुन कर आएं यदि आपको यह कहें कि साल भर हो गया, आपको लेजिस्लेचर में गये हुए, आपने भलाई के लिए क्या किया तो आप उनको बता सकेंगे कि हमने ये स्टेप्स लिये हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस गति से यह बिल चल रहा है यानि एक एमेन्डमेन्ट पर दूसरा तथा दूसरे पर तीसरा, एक एक क्लॉज के लिये रखा जा रहा है, तो यह गति मन्द है। इस बिल की जरूरत को देखते हुए यह शीघ्र ही सदन से मंजूर होकर निकले और इसके द्वारा लोगों को अधिकार प्राप्त हो जायं। इससे वे लोग, जिन्होंने आपको प्रतिनिधि चुन कर भेजा है, समझेंगे कि हमारे प्रतिनिधियों ने जाकर हमें ऐसे अधिकार दिलाए जो हम अभी तक भी प्राप्त नहीं थे।

पर मैं एक निवेदन यह भी करदूं कि अभी यह भी कहा गया कि ऐसे सरपन्च कैसे चलेंगे, आपस में झगड़े होंगे, पंचायतों में झगड़े होंगे। बहुमत यह कहेगा कि उसे इसमें विश्वास नहीं है और फिर तीन चौथाई मत से अविश्वास का प्रस्ताव पास करने तक वे इन्तजार में बैठे रहेंगे और इस तरह पंचायत का काम ही ठप्प हो जावेगा। यह आप लोग कल्पना ही कर सकते हैं, लम्बे चौड़े रेगिस्तान और पहाड़ों पर बैठकर, पर जब आप व्यवहार में आजाने वाली चीज को घूम फिर कर देखेंगे तो पता लग जावेगा। फोर्मर राजस्थान के समय से उस हलके में १३ हजार गांवों में ये पंचायतें काम कर रही हैं, जिसमें सरपन्च सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह सारा काम करता है। इस सारे अर्से में इस किस्म की कोई रुकावट आज तक पैदा नहीं हुई जैसी कि इस सदन में महसूस की जा रही है।

सो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह धारा ज्यों की त्यों स्वीकार कर ली जावे। क्लैरिफिकेशन के लिए श्री नरसिंहजी से मैं एग्री हूं। सरपन्च और उप-सरपंच वही हो सकते हैं जो पढ़े लिखे हों। उनके अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जा सकता है। बाकी धारा ज्यों की त्यों रहें। इसका परीक्षण हो चुका है, तीन चार साल तक। ऐसे व्यक्ति के बिना सब का विश्वास सम्पादन भी नहीं हो सकता।

मेनिप्युलेशन्स से जो सरपन्च बनने की उम्मीद करते हैं वे भी ऐसा नहीं कर सकते। यह तो उसी वक्त सम्भव है जब चुनाव नहीं होते हों। इसलिए जैसा माननीय मेरे मित्र श्री हरिदत्त ने कहा है ऐसी कोई शंका ही नहीं है। फिर अगर अविश्वास का प्रस्ताव भी पेश हो जावेगा तो पंचायत का काम ठप्प नहीं होगा और वह भी ६ महिने के लिए नॉमिनेट होगा।

मैं यह भी कह दूं कि पंचायत की एग्जिक्युटिव को तो आठ दिन में मिलना जरूरी है। कुछ ऐसे मामले और मुकदमें होते हैं जिनमें ९ वें दिन फैसला करना जरूरी है। इसलिए १५ दिन में मिलना उपयुक्त नहीं होगा। यह कोई लेजिस्लेटिव एसेम्बली अपनी तरह तो होगी नहीं कि अभी मिली और फिर तीन-चार महिने तक के लिए स्थगित हो गई और फिर एक दो महिने चली और चार-पांच महिने तक के लिये स्थगित हो गई। वह तो एक तरह की एग्जिक्युटिव बॉडी होगी जिसे अपने गांव के कई मामलों को हल करना होगा और रोजमर्रा के मामले तो जल्दी जल्दी करने होंगे।

अब रहा प्रश्न चुनाव कराने का। वह रिक्त स्थान होने पर चार छः महीने में ही हो जावेगा इसलिए नॉमिनेट कर दिया जाय तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चुनाव हो जावेगा तब तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यह क्लॉज पडा रहेगा। मेरे मित्र हरिदत्तजी ने जैसा कहा है, ऐसा कोई कारण नहीं कि चुनाव न हो पावे तो इस हिसाब से यह धारा पड़ी ही रहेगी। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसको ज्यों का त्यों स्वीकार करलें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मि० चैयरमेन, सर, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी सोच समझ दारी और गंभीरता के साथ हमने इस क्लॉज में तरमीमें पेश कीं, उनकी मंशा तथा उनकी गम्भीरता माननीय मंत्री जी द्वारा टाल दी गई।

ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे इस बिल को पास करने में हम लोगों को कोई दिलचस्पी न हो। मैं इस विचार को पूरी ताकत के साथ रेपुडियेट करना चाहता हूं। हां, हमारी दिलचस्पी कुछ कम हुई या अगर इसमें देरी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। कम से कम, यह देरी की जिम्मेदारी, अमेन्डमेन्ट रखने वाले मेम्बरों के ऊपर डालना कोई सही बात नहीं है। यह जरूर है कि यह बिल पास होना चाहिये, जल्दी पास होना चाहिये, पर इस दृष्टि से हम गौर ही नहीं करें उस पर; तो मेरा ख्याल है यह गलत बात होगी।

मैं एक मिसाल देकर यह प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि इस पर गम्भीरता से गौर नहीं किया जा रहा है।

आप अगर ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि सरपंच की क्वालिफिकेशन यह रक्खी गई है कि वह हिन्दी का जानकार हो। मगर उप सरपन्च की क्वालिफिकेशन यह रक्खी गई है कि उसके लिए हिन्दी पढना आवश्यक है; लेकिन इसके अलावा सरकारी नौकरी से वह निकला हुआ न हो, २५ साल से ऊपर की उमर का हो और कोई भी कान्ट्रेक्ट नहीं हो, मिस कंडक्ट की वजह से सरकारी नौकरी से निकला हुआ न हो, कोर्ट द्वारा कनविक्ट किया हुआ न हो इत्यादि। अभी बड़ी गंभीरता से माननीय मंत्री जी, कह रहे थ

[श्री हरिकृष्ण व्यास].

कि पंचायतों को यह अधिकार देना चाहते हैं। सरपन्च का चुनाव, वह भी जिम्मेवारी की चीज है। उसम तो और ज्यादा विश्वास संपादन होना चाहिए; उनको इस सुझाव को पसन्द करना चाहिए। उनको आप एग्जिक्युटिव अधिकार देना चाहते हैं बिल बना हुआ है उसके मुताबिक। इस बिल के मताबिक वह किसी कोर्ट से मोरल टर्पिटयूड के कारण सजायाफ्ता न हो, सरकारी सर्विस से मिसकन्डक्ट की वजह से निकला हुआ आदमी न हो। उसे सरकार या तो चुन सकती है या खड़ा होकर चुना जा सकता है; ऐसा तो प्रोविजन है। इसके बाद भी यह कहा जाता है कि हम तो सख्त ताकीद करना चाहते हैं, सरपन्च के बारे में।

पंचों की क्वालिफिकेशन है उन सब को छोड़कर सरपन्च के लिए एक ही क्वालिफिकेशन काफी है कि उसे हिन्दी पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से अमेन्डमेन्ट टालने की बेकार कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

ठीक है वे सदन में इसे भले ही पास करा सकते हैं किन्तु हम तो यह समझेंगे हमने एक अमेन्डमेन्ट जो बहुत सोच विचार कर दिया उसका नतीजा यह हुआ कि कम से कम जो पंचों के लिए योग्यता आवश्यक है उतनी योग्यता तो सरपंच की लाजमी होनी चाहिये। He must be elected out of Panchas पहले तो उसे पन्च बनना पड़ेगा। तब उसे पन्चों का विश्वास होगा और बाद में उसे सरपन्च बनाया जायगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं कि इनडाइरेक्ट इलेक्शन से जो आदमी आता है वह कम विश्वासी समझा जाय। उस पंचायत म १५ पंच होंगे जो अपने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते होंगे और सरपंच सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। मौजूदा क्लॉज के मुताबिक ऐसा होगा कि सरपंच एसा व्यक्ति भी हो सकेगा जिसमें पंचों के लायक क्वालिफिकेशन न हो, चाहे वह सजायाफ्ता हो, कोई भी हो; सरपन्च चुना जा सकता है। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री महोदय इस दृष्टि से गंभीरता से सोचेंगे तो वे खुद इस नतीजे पहुंचेंगे। चाहे इलेक्शन का तरीका इन्डाइरेक्ट हो, कम से कम ज्यादा जिम्मेदार आदमी चुना जायगा। पर सरपंच के लिये लागू होने वाली क्वालिफिकेशन संबंधी यह अमेन्डमेन्ट मंजूर किया जाय। मैं फिर अपना एमेन्डमेन्ट प्रेस करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाय, फिर इस पर फैसला दिया जाय।

श्री **जवानसिंह**—माननीय चेयरमेन, जैसा मेरे मित्र ने अभी निवेदन किया में उनके मत से सहमत हूं। इसके साथ साथ में यह कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने दस मिनट तक भाषण देकर समझाने की कोशिश की थी मगर वह केवल कोशिश के रूप में ही रह गई। उन्होंने हमें यह बतलाने की कोशिश की कि जब हम जनता के सामने जावेंगे तो हमें यह कहने में बड़ी खुशी होगी कि हमने जनता के लिए बहुत कुछ काम किया और इसीलिये कुछ हक प्राप्त किये हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा, जो कि कटु तो अवश्य ही है फिर भी कहना पड़ता है; उन्होंने इसमें अपना हट साफ प्रकट किया है और उन्होंने यह भी प्रकट किया है कि दूसरी तरफ बैठने वालों को कोई हक प्राप्त नहीं है; ऐसा वे अपने मन में विचार कर रहे हैं।

दूसरा सवाल यह पैदा किया गया कि इस पक्ष वाले इस बात का अनुमान ही क्यों लगाते हैं कि सरपन्च और पन्चों में कभी आपस में मुखालफत पैदा होगी। लेकिन मैं यह कहूंगा कि माननीय

[श्री जवानसिंह]

मंत्रीजी यह बात तो बिल्कुल भूल गये कि बिल में उन्होंने साफ नो-कॉन्फीडेन्स का क्लॉज रखा है, तो फिर क्यों भूल जाते हैं। जब क्लॉज है तो कयास करना पड़ता है कि वोट आफ नो-कॉन्फीडेन्स आयगा और इसी लिये आपने इसमें क्लॉज रखा है। अगर आप क्लॉज में ऐसा नहीं रखते तो हमें एमेन्डमेन्ट रखने की जरूरत पैदा नहीं होती, न ऐसा खयाल ही आता। इसके अलावा एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि यदि आप इस क्लॉज में गहरे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि पंचायत सर्किल में से आम जनता द्वारा सरपन्च चुना जाना चाहिये। सरकार को पंच सर्किल में विभाजन नहीं करना चाहिये, जिससे आधे पंच, सरपंच को चाहें और आधे न चाहें। यदि आप जानते हुए ऐसा करना चाहते हैं, तो वह दूसरी बात है। यदि आप अनजाने में कोई भूल करने जा रहे हैं तो हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि आपको उसके लिये सचेत करें।

श्री तनसिंह—मेरे संशोधन के संबंध में मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि यदि प्रेस करते हैं तो माना जा सकता है। मेरा यह निवेदन है कि यदि मैं क्लॉज को प्रेस करूं और वह मानने योग्य नहीं है तो ऐसी बात नहीं है कि वह मान लिया जायगा। यदि मानने योग्य है और मान लिया जाता है तो मुझे कोई महावीर चक्र प्रदान नहीं होता। यदि माननीय मंत्री महोदय इस चीज को वाजिब समझते हैं तो स्वीकार करें और उन्हें वाजिब बात को स्वीकार करना ही चाहिये।

दूसरी बात में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उधर से इस प्रकार की मनोवृत्ति कुछ कुछ नजर आ रही है कुछ इधर के पक्ष पर ऐसे लांछन लगाये जा रहे हैं कि बोलने के लिये ही इस पंचायत बिल पर एमेन्डमेन्ट रखे गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस क्लॉज १३ पर मैं अपना कुछ एमेन्डमेन्ट रखना चाहता था और इसलिए सीट छोड़ कर इधर आया था। मगर माननीय मंत्री महोदय ने यह बात बतलाई कि भाषण देने की दृष्टि से ही पंचायत बिल को एक साधन बनाया गया। इस बिल के पास होने में बहुत देर लगेगी, मैंने सोचा कि इस प्रकार का एमेन्डमेन्ट नहीं रखना चाहिये और मैंने नहीं रखा। इससे पहले श्री एन.के. व्यास ने मेरे संशोधन के विषय में भी कह दिया कि सरपन्च की क्वालिफिकेशन ऐसी रखी गई है कि सरपंच ऐसा होना चाहिये जो लिख-पढ़ सकता हो। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि पंचायत में क्वालिफाइड परसन्स ही लिये जाने चाहिये। यदि यह समझा जावे कि हम अड़चन डालने के लिये ही संशोधन पेश कर रहे हैं तो टेबिल पर रखने से पहले यहां अपने पास रखना अच्छा समझता हूं। यदि माननीय मंत्री प्रेस करें तो इसे पेश कर दूं और न चाहते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामकरण जोशी—श्री तनसिंहजी अपने संशोधन को वापिस पढ़ दें तो अच्छा होगा।

श्री तनसिंह—मैं अपना संशोधन पुनः पढ़ता हू, जो इस प्रकार है:—

"Every Panchayat shall have a Sarpanch who must be a person qualified to be elected as a Panch able to read and write Hindi and shall be elected by the electors of the whole Panchayat circle in the prescribed manner."

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि श्री तनसिंहजी का आशय इस तरह भी पूरा हो जायगा यदि उपरोक्त संशोधन के शब्द सरपन्च के आगे यह हों—"who must be a person able to read and write Hindi and otherwise qualified to be a Panch etc."

श्री हरिकृष्ण व्यास—फिर से आप बोलिये, Will you kindly just repeat the exact words.

श्री रामकरण जोशी—फिर तो मेरा सुझाव आप मान लेंगे न ? "who must be a person able to read and write Hindi and otherwise qualified to be Panch etc."

श्री हरिकृष्ण व्यास—Are you now convinced that it does not fit in a position like this since......

श्री अध्यक्ष—Does not the definition "Panch" include this ?

श्री जसवन्तसिंह—But to add at the end will not add any significance.

श्री खेतसिंह—खामोख्वाह लेंग्वेज में एम्बिग्विटी लाने में क्या सेन्स है । तनसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसकी लेंग्वेज ठीक है तो फिर उसे ही स्वीकार क्यों नहीं कर लिया जाता ?

श्री नाथूराममिर्धा—We cannot change the language of the Bill. It has been drafted by the legal Remembrancer and language could be changed by the Law Department only.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then do we postpone the considration of this clause ?

श्री नाथूराम मिर्धा—What difference does it make if the amendment is inserted here or there.

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि श्री व्यास उतावले हो रहे हैं। श्री तनसिंह जी के अमेन्डमेन्ट पर विचार हो रहा है। अभी श्री व्यास के किसी अमेन्डमेन्ट पर विचार नहीं हो रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपके विचार के लिये धन्यवाद। पर अभी शिक्षा मंत्रीजी ने फरमाया कि लेंग्वेज यहां दुरुस्त नहीं हो सकती, लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय से ही ड्राफ्टिंग होता है, और लॉ डिपार्टमेन्ट की राय से ही लेंग्वेज दुरुस्त हो सकती है, तो मेरा यह कहना है कि इस बिल को लीगल एडवाइज के लिये ही क्यों नहीं भेज दिया जाता।

(श्रीरामकरण जोशी स्वायत्त शासन मंत्री, और ट्रेजरी बेन्चेज के कुछ सदस्य श्री तनसिंह के संशोधन पर विचार-विमर्श में संलग्न)

Page No.75

श्री शंभुसिंह—(अपने संशोधन पर बोलते हुए) माननीय चेयरमेन, माननीय मंत्री ने डाइरेक्ट इलेक्शन स्वीकार नहीं फरमाया, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सरपन्च का चुनाव प्रेसक्राइब्ड कर लिया जावे। इस तरह के मेनर्स प्रेस्क्राइब्ड किये जावें जिस तरह कि आज कल होते हैं।

वर्तमान में जिस ढंग से चुनाव होते हैं उससे जनता को संतोष नहीं है। जनता को संतोष उस हालत में हो सकता है कि बैलट जनता के प्रतिनिधियों के सामने हों। इसलिये मैंने पंचों के चुनाव के तरीके के बारे में निवेदन किया था और सरपन्च के चुनाव के बारे में भी निवेदन करता हूं। सेक्शन ८८ के नीचे रूल्स बनाकर इस तरह की व्यास्था करदी जावे। मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री रामकरण जोशी—मैं तनसिंह जी के एमेन्डमेन्ट को मंजूर करता हूं जिसमें यह लिखा है कि:-
"In sub-clause (3) of the clause', between the word and the phrase 'person' and 'to the vacancy' the following words be inserted:—"Otherwise qualified to be a sarpanch or upsarpanch"

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री मेरे एमेन्डमेन्ट को मानने के लिये तैयार न हों तो मैं विड्ड्रा करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा था कि जब प्रेस करेंगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे।

श्री चेयरमेन—Which amendment?

श्री तनसिंह—Amendment No. 41.

श्री चेयरमेन—The question is that amendment No.38 of Shri Jawan Singh be accepted. Those---

श्री तनसिंह—माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि मैं इस एमेन्डमेन्ट को प्रेस करूं तो वे मान लेंगे और यदि प्रेस नहीं करूं तो कोई बात नहीं। यदि वे उसे मानते हों तो मैं प्रेस करूं।

श्री रामकरण जोशी—इसे प्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरी बातें ले ली गई हैं। इसलिये वे प्रेस नहीं करें तो ठीक है।

श्री तनसिंह—अच्छी बात है मैं इसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री चेयरमेन—Is it the leave of House to allow withdrawal to this?

(स्वीकृति प्रदान हुई)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान हुई।

श्री तनसिंह—मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री चेयरमेन—Now the question is that amendment No. 38 moved by Shri Jawan Singh be accepted?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

[श्री चेयरमेन]

The question is that amendment No. 39 moved by Shri H.K.Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

Now the question is that amendment No. 3 moved by Shambhu Singh to this clause be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

Now the question is that amendment No. 4 moved by Shri Jawan Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

Now the question is that amendment No.135 moved by Kr. Shri Tej Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

Now the question is that amendment No. 40 moved by Shri Jawan Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

Now the question is that amendment No. 42 moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

The question is that amendment No. 43 moved by Shri Jawan Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

The question is that amendment No. 44 moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

Now the question is that amendment, as under, moved by the Minister-in-Charge be accepted ?

Page No.77

"In Sub-clause (1) to this clause insert the following words between the word 'person' and 'able''

'Qualified to be elected as a panch and'

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड १३, संशोधनानुसार स्वीकृत किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड १३ संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष—श्री भोलानाथ।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री भोलानाथ–Sir, I lay, as required by Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939, a copy of rule 76, as amended by the Government in pursuance of the power conferred on them under Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1939.

श्री अध्यक्ष—I have received the following nominations :—

अकालन समिति

1. Shri Gurdayal Singh Sandhu.
2. Shri Man Singh of Mahar.
3. Shri H. K. Vyas.

जनलेखा समिति

1. Shri H. K. Vyas.
2. Shri Man Singh.

Thus there are only two nomination papers for the Public Accounts Committee. Shri Shri Bhan Singh has filed two nomination papers but he has failed to mention the name of the Committee for which the forms have been filled; out of them one is perhaps for the Estimates Committee and the other is meant for the Public Accounts Committee. I have also received his notice for withdrawal of his nomination papers. So they don't stand and I need not give any ruling over this. Now should we take all these and fill the vacancies? The names are not according to the numbers of vacancies.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Names cannot be added now the quorum can not be formed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If the nomination papers are in order the proper procedure would be to notify them and declare those vacancies as filled and for the rest nominations may be invited. We may scrutinise the nomination papers and if they are found in order and validly nominated, the

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

members may be declared as elected. As the total number of nomination papers received is less than the total number of seats we shall have to invite fresh nominations for the unfilled vacancies.

That is my suggestion regarding the procedure, Sir.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Sir, nominations received after the date notified for sub-mitting nominations are all illigal, so fresh nominations for the remaining seats cannot be called. If the Committees are formed and if there is no quorum (2/3 persons) then nominations would fail because no committees are formed. Then fresh nominations will be invited for the Committee and fresh date would be fixed for that, otherwise the nominations called for would be illigal. Nominations can be called only once and not twice.

श्री जसवन्त सिंह—I agree with the Hon'ble Chief Minister that if fresh nominations are invited for the remaining both the committees would be illigal since required number of nominations to these committees have not come in. Now if fresh nominations are invited for the remaining, the position will be that the nominations will be illegal as pointed out by the Hon'ble Chief Minister. I agree with him that calling all fresh nominations is the only procedure.

श्री गुलाबचंद कासलीवाल—I wish to draw attention to Sub-rule (2) and (5) of Rule 187 which run as under :—

"(2) The Committee on Public Accounts shall consist of not more than ten members..............

(5) In order to constitute a meeting of the Committee the quorum shall be four."

If, however such number of nominations has been received as to constitute the quorum of the Committee then the Committee shall be constituted ; otherwise the Committee cannot be constituted according to the rules. Besides, as suggested by the Hon'ble Shri H. K. Vyas that fresh nominations may be asked for the remaining and those received may be declared to be duly elected, I beg to suggest that the procedure in case of casual vacancies is 'where the Committee is formed'. No casual vacancy could be filled where a Committee is not properly formed and as such no nominations which have been received could be said to be proper nominations. The same is the case with the Estimates Committee.

श्री एच. के. व्यास—Mr. Speaker, Sir, in the first place in regard to both the Committees—the Committee on Public Accounts or the Estimates Committee, the rule is that it shall consist of not more than so many members. It has been laid down that if the membership of the Committee is more than so many members, it shall not function. The limit is in regard to the maximum number, there is no lower limit. My submission is that the House has two interpretations—possibly one is that the Committee has to be taken as a whole. Well, I submit that even though that interpretation is accepted, then I refuse to admit that it will be necessary to submit fresh nomination papers. The House has decided that these Committees must consist of only so many persons. The rule is that the Committee should not exceed certain specified figure. So if the Committee is taken as a whole, whatever nominations have been received, they form the Committee.

In the alternative, what would be the position? It would be this. Ten vacancies are to be filled and we invite nomination papers to fill in these 10 and if supposing only 10 persons fill the nominations, then those are declared elected and if they are more than 10, then naturally there would be voting; if less than 10, then those who have filled the nominations and are valid, are declared elected.

Now my Hon'ble friend has raised a point as to how would we proceed when there is no quorum? My submission, Sir is that those seats which have not yet been filled could be filled by inviting fresh nominations.

I want to make one point very clear. My submission is that this is the procedure in the Representation of the Peoples' Act, although I do not remember the Section of this Act. In all Election Laws, of which I am aware, the position is that if the number of nomination papers filled is less than the vacancies, then those valid are declared elected, and for the rest fresh nominations are invited. So on every ground I suggest, Sir, that this is the procedure which should be followed, and so far as the Election Laws are concerned, rules could be made available.

श्री अध्यक्ष--I want to know whether the nominations so far received constitute a quorum or not. That is the main point and none of the Members have thrown light on it.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—No quorum.

श्री अध्यक्ष—I want to give full opportunity to the Hon'ble Members of the House and without entering into any controversy I would rather like that the Nomination date be extended till tomorrow the 26th February, 1953, by 11 Oclock' and those members also who have filled in nominations have a right to file nominations again. So all nominations should be filed afresh.

We now adjourn to meet again tomorrow, the 26th February, 1953, at 9 A.M.

(सदन की कार्यवाही सांय ६ बज कर १५ मिनिट पर, दिनांक २६ फरवरी, १९५३ के ९ बजने तक के लिये स्थगित हुई)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २५ फरवरी, १९५३

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३३७ देखिये)

List of officers who are under suspension.

S. No.	Name of the Officer.		Date of suspension.
1.	Shri K.B. Mathur.	Asstt. Engineer.	May., 1952.
2.	Shri Sujan Mal Bhandari	Asstt. Commissioner C. & E.	July., 1952.
3.	Shri Pokar Dass.	Temp. Dy. Supdt. Police.	July., 1952.
4.	Shri C.B.L. Mathur.	Asstt. Engineer.	April., 1952.
5.	Shri Nandan Bhargava.	C.F., Udaipur.	Jan., 1952.
6.	Shri O.L. Joshi.	Asstt. Director, Mines & Geology.	Oct., 1952.
7.	Shri S.S. Chauhan.	Settlement Officer, Jodhpur.	June., 1952.
8.	Shri B.G. Deshmukh	Accounts Officer, Relief & Rehabilitation, Udaipur.	Nov., 1952.
9.	Shri J.D. Vaish.	Inspector of Schools, Kotah.	Sept., 1952.
10.	Shri Sardul Singh Mehta	Private Secy. to H. H. the Maharana Sahib of Udaipur.	Sept., 1952.
11.	Shri K.B.L. Saxena.	Asstt. Engineer, Elec. & Mech. Dept.	Jan., 1953.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३४२ देखिये)

(१) फील्ड वर्क—इस ब्रांच के फील्ड पब्लिसिटी युनिट द्वारा राज्य के अन्तर्गत निम्न प्रकार बड़े मेलों, प्रदर्शनियों, ग्राम सुधार केन्द्रों व ग्रामों में सहकारिता, ग्राम सुधार, कृषि उन्नति, उपज वृद्धि, पशु नस्ल सुधार, स्वास्थ्य सुधार व सामाजिक तथा आर्थिक सुधार प्रगति ग्रामों की सर्वांगीण उन्नति के संबंध में आधुनिक साधनों से प्रचार कार्य किया गया है:—

सन्	बड़े मेले व प्रदर्शनी	ग्राम	भाषण दिये गये	कविता या गायन सुनाये	सहकारिता व ग्राम विकास संबंधी स्लाइडें या फिल्में निम्नांकित संख्या में दिखलाई गई
१९५०-५१	१७	४२	२२८	७६	१५२
१९५१-५२	१३	७४	२५२	६९	२९६
१९५२-५३	१३	१४८	२७८	८२	२५६

(२) प्रकाशन कार्य—सहकारिता, कृषि उन्नति व ग्राम सुधार संबंधी विविध उपयोगी विषयों पर २१ विज्ञप्तियां, हैन्ड बिल्स, पैम्फलेट्स आदि प्रकाशित किये जाकर जनता में वितरण किये गये।

(३) आदर्श उप-नियम—राजस्थान में सब जगह सहकारी समितियों के बाईलाज एक से होने के लिये विविध प्रकार की सहकारी समितियों के लिये आदर्श उप-नियम प्रकाशित किये गये और आवश्यकतानुसार जनता को निःशुल्क दिये गये।

(४) मासिक पत्रिका—सहकारी ग्राम सुधार नामक पत्रिका हर दूसरे महीने प्रकाशित की जाकर समस्त सहकारी समितियों को निःशुल्क प्रेषित की गई।

इसके द्वारा सहकारिता, ग्राम सुधार, कृषि उन्नति, ग्रामोद्योग उन्नति, पशु नस्ल सुधार, स्वास्थ्य सुधार सामाजिक उत्थान व पंचवर्षीय योजना तथा सामुदायिक विकास योजना संबंधी लेख, कविता, कहानी, एकांकी नाटक आदि प्रकाशित किये जाकर ग्राम जनता को सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित किया गया।

परिशिष्ट ३

(प्रश्न—समय में उत्तर न लिये जा सकने के कारण निम्नलिखित तारांकित प्रश्नोत्तर सदन की मेज पर रखे गये ।)

३५५.(२६/आर.आर.एस.) श्री **नारायणलाल**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ११०—क्या सहकारी विभाग के मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे–

(क) क्या जिला सीकर में सीकर शहर के बुनकरों की एक कोऑपरेटिव सोसाईटी बनी थी ?

(ख) यदि हां, तो वह कितने दिन चली ?

(ग) क्या अब वह तोड़दी गई है ?

(घ) यदि तोड़दी गई तो उसका रुपया बुनकरों को वापिस क्यों नहीं मिला ?

३५६.(४४/एल.एस.जी. एम) श्री **नारायणलाल चतुर्वेदी**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १०९—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

१. गोविन्दगढ़ ग्राम पंचायत में चुने हुए २२ सदस्यों में से क्या २१ को ही शपथ दिलाई गई है ?

२. क्या यह सच है कि चुने हुए २२ सदस्यों म केवल एक हरिजन सदस्य थे और उनको शपथ नहीं दिलवाई गई है ?

३. यदि यह सच है तो इसका क्या कारण है कि हरिजन सदस्य को शपथ से वंचित रखा गया है ?

४. क्या सरकार उस हरिजन सदस्य को शपथ दिलवाने के आदेश जारी करने का इरादा रखती है ?

357. (46/C.M.) **Shri Triveni Shyam Sharma**, M.L.A., (Div. No. 145): Will the Chief Minister be pleased to answer :—

(*a*) On what basis is the menial staff is retrenched? Is it on the basis of economy or that their services are considered unnecessary ?

(*b*) How many person getting more than 1000, 500, 200, 100 and below 100 were retrenched ?

३५८.(५५ सी.एम.) श्री **भैरूं सिंह**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ११—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान में इस वक्त कितने सैन्य भंजन व्यक्ति (Demobilised Military Persons) हैं?

(ब) इनमें से कितने को गवर्नमेण्ट ने नौकरी दी है ?

(स) भविष्य में इन लोगों को नौकरी देने की गवर्नमेण्ट की क्या योजना है ?

३५९. (एस.एम.) श्री **गुरूदायलसिंह संधु** एम. एल .ए., डिविजन नम्बर ४९--क्या मंत्री, खाद्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—जेतसर, सादूलशहर, संगरिया, पदमपुर आदि मंडियों में (गंगानगर में) सीमेन्ट, लोहा और सस्ते अनाज के वितरण की कितनी दुकानें हैं और उनकी मार्फत सन् १९५२ में कितना लोहा, सीमेन्ट और सस्ता अनाज वितरण किया गया ?

३६०. (७०/एस.एम.) श्री **गुरूदयालसिंह संधु**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ४९--क्या मंत्री, खाद्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर सूगर मिल को सन् १९५२-५३ में अब तक कितना लोहा बिना जकात और कोयला दिया गया और वह किस प्रकार खर्च किये गये ?

(ख) क्या उनमें से किसी दूसरे ढंग से तो कोयला व लोहा कारखाने से बाहर इस्तेमाल नहीं किया गया ।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

३६१. (५८ सी.एम.) श्री **भैंरूंसिंह**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ११—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बीच जो आर्थिक समझौते हुए हैं उनको क्या इस भवन के सामने रख कर अनुसमर्थन प्राप्त करने का विचार है ?

(ब) यदि उत्तर हां में है तो कब तक और ना में है तो क्यों नहीं ?

362. (59/C.M.) Shri Sajjan Singh, M.L.A., (Div. No. 132)—Will the Minister for Finance state as to the present exact position of the Government securities and other Funds inherited from the Governments of erstwhile States as a result of merger which originally amounted to about 12 crores.

If these have been liquidated will he kindly further state on what works of utility the proceeds were utilized.

३६३ (४६/एस.एम.) श्री **रामरतन टिक्कीवाल**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२८—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

जयपुर व टोंक आदि अलग अलग रियासतों की सीमायें समाप्त होजाने के उपरान्त भी टोरडी सागर व बन्ध चांदसेन से छोटी नहरें टोंक तहसील के गावों तक सिंचाई हेतु क्यों नहीं निकाली जाती जब कि इसके बन्धों में काफी पानी बच रहता है ?

३६४.(५६–ए/एस.एम.) **श्री भैरूं सिंह**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर११—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. क्या राजस्थान प्रशासनीय सेवा के नियम और विनियम को इस भवन के सामने रख कर के अमुमोदन प्राप्त करने का विचार है ?

२. यदि उत्तर हां में है तो कब तक और ना म है तो क्यों नहीं ?

३६५. (६५/सी. एम.) **श्री लालूराम**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८४—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) किस तारीख से हरिजनों के लिये १२॥ परसेण्ट व १५ परसेण्ट कोटा (सरविस) निर्धारित किया गया है ?

(२) आज तक कितने आदमी (हरिजन) प्रत्येक विभाग में लिये गये हैं ?

३६६. (६६.सी. एम.) **श्री नारायण लाल**, एम.एल. ए., डिविजन नम्बर ११०—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. सीकर जिले में कितने हरिजनों को १२॥ परसेण्ट और १५ परसेण्ट के अनुसार नौकरियां सरकारी विभागों में दी गई ?

२. यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी गई ?

३६७. (६९/सी. एम.) **श्री धर्मचन्द**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६—क्या मंत्री, वित्त विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

सपोटरा, मंडरायल तथा नारौली उटगिर किलों के ४३ कर्मचारियों को १ जनवरी, सन् ५१ से वेतन क्यों नहीं मिल रहा है जब कि वे ड्यूटी बराबर दे रहे हैं ?

३६८. (७०/सी. एम.) **श्री रोशनलाल**, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३०—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. राजस्थान बनने के पूर्व अलग अलग राज्यों से कितनी कितनी रकम सिक्योरिटी की मिली ?

२. उसमें से सरकार द्वारा कितनी कितनी रकम किन किन कार्यों के लिये किस किस को दी गई ?

३. जो रकम जिन कार्यों में खर्च करने के लिये दी गई वह उसम खर्च हुई या नहीं ?

४. अगर वह रकम जिन कार्यों के लिये दी उसमें खर्च नहीं की गई तो सरकार ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

३६९. (२९/सी. एम.) श्री भैरूं सिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १६—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. राजस्थान में इस वर्ष कितने गजेटेड ऑफीसरान के ट्रांसफर हुये ?

२. कितने ऑफीसर इस वर्ष एक स्थान से अधिक स्थानों पर स्थानान्तरित किये गये ?

३. इस वर्ष स्थानान्तरित किये जाने के कारण कितनी रकम टी.ए.,डी.ए., व अन्य अलाउन्स के रूप में मुलाजिमान को दी गई ?

४. सरकार ट्रांसफर आदि करने में किस नीति का पालन करती है ?

उत्तर

३५५

क. जिला सीकर में एक नहीं अपितु २ निम्नलिखित सहकारी समितियां बुनकरों की बनी थीं—

क्र० सं०	नाम समिति	ता० रजिस्ट्रेशन
१.	सीकर गृह उद्योग सहकारी संघ लि०	१२. ६. ४८.
२.	सीकर स्वदेशी उद्योग सहकारी समिति लि०	५. ५. ५१.

ख. ये दोनों समितियां अभी तक चल रही हैं यद्यपि इनका कार्य सूत में मंदी आ जाने के कारण लगभग १ वर्ष से बन्द पड़ा है।

ग. यह समितियां अभी नहीं तोड़ी गई हैं।

घ. प्रश्न पैदा नहीं होता।

३५६

१. गोविन्दगढ़ ग्राम पंचायत में पूर्व स्वीकृत व पूर्व सूचना के अनुसार २१ स्थानों के लिये २१ सदस्य चुने गये थे जिनको कि बाद में शपथ दिलाई गई है २२वां स्थान जिसके लिये जनता ने हरिजन को विशेष तौर पर प्रस्तावित किया था सरकार के विचाराधीन है। जबतक इस अतिरिक्त स्थान के लिये स्वीकृति नहीं आ जाती तब तक २२ वें स्थान के लिए किसी को शपथ दिलाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

२. इस प्रश्न का उत्तर ऊपर के प्रश्न नं० १ में आ चुका है।

३. इस प्रश्न का भी उत्तर ऊपर के प्रश्न नं० १ में आ चुका है।

४. यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

३५७ (४६C.M.)

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

३५८

अ. राजस्थान में सैन्य भंजन व्यक्तियों की संख्या १९५१-५२ के बीच निम्न प्रकार रही–

१. जूनियर कमिशन्ड ऑफीसर	६५
२. अन्य ओहदे	४४४
३. नॉन कमिशन्ड अनरोल्ड	६०
योग	५६९

अन्य सालों की संख्या अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

ब. अब तक राजस्थान सरकार ने बीस अफसर तथा ५२३ अन्य ओहदे वालों को नौकरियां प्रदान की हैं।

स. राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति नं० अ. २ (फ.) (२२८) जी.ए. ए/५१ ता० २० अक्टूबर, सन् ५१ के निर्णय अनुसार सैन्य भंजन व्यक्तियों के पुनःसंस्थापन के संबंध में २ साल तक ५० प्रतिशत नियुक्तियां जिनमें उच्च और निम्न कोटि की श्रेणियां सम्मिलित हैं इनके लिए सुरक्षित रखी हैं। यदि यह उन पदों के अनुसार योग्यता रखते हों। आवश्यकतानुसार आयु की सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है।

. सैनिक भाइयों की सहायतार्थ एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज को इनको नौकरी दिलाने के लिए विशेष रूप से आदेश दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्हें पुनःसंस्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता की योजना भी कोऑपरेटिव आधार पर की गई है।

३५९

गंगानगर जिले में सिमेन्ट वितरण के लिये १८ एजेन्ट मुकर्रर हैं जिनको सन् १९५२ ई० में वितरण के लिये १४७० टन सीमेन्ट दिया गया था। उसी तरह लोहा और इस्पात के लिये भी दो Registered stockists हैं जिनको सन् १९५२ में ८१ टन लोहा और इस्पात वितरण के लिए दिया गया। उपर्युक्त मंडियां अनाज के संबंध में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हैं अपितु वहां से कमी के क्षेत्रों के लिये भी अनाज भेजा जाता है। ऐसी दशा में वहां सस्ते अनाज के वितरण के लिये दुकानें खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

३६०

(अ) राजस्थान सरकार की ओर से गंगानगर सूगर मिल्स को १९५२-५३ के लिये कोयले का कोटा नहीं दिया गया है।

(ब) डाइरेक्टर, कोमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, राजस्थान की शिफारिश पर दो सौ जी.सी.शीट्स फैक्ट्री के उपयोग के लिये इस मिल को दिये गये थे। इन्हें फैक्ट्री के बाहर काम में लाने की कोई शिकायत नहीं मिली। यदि इसके अन्य उपयोग की शिकायत प्राप्त होगी तो इसकी जांच कराई जावेगी ।

३६१ (५८ सी.एम)

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

३६२

The total investments as on 7-4-49 amounted to Rs. 1937·27 lakhs (Securities etc. 1726.14 lakhs plus shares 211.13 lakhs). Further additions made amount to 60.94 lakhs (Securities etc. 10.69 lakhs plus shares 50.25 lakhs) bringing the total to Rs. 1998.21 lakhs out of which investments to the extent of 197.78 lakhs were encashed and the sale proceeds were utilised on meeting capital expenditure. Securities and shares of the face value of 261.38 lakhs have been transferred to the Central Government as a result of Federal Financial integration and securities for 62.89 lakhs have been made over to the administrators in the case of Trust Fund or refunded to the depositors leaving a balance of Rs. 1476.16 lakhs with the Rajasthan Government.

३६३

१. ये तजवीजें तैयार की जा चुकी हैं। उम्मीद है कि काम भी इस साल खत्म किये जाने का ख्याल है जिससे आयन्दा बरसात के बाद पुरानी टोंक रियासत के गांवों में पिलाई की जा सकेगी।

३६४

(१) नहीं ।

(२) क्योंकि राज्य सेवाओं के मामलों को विधान सभा के साथ संलग्न करने से उनमें विधान सभा के सदस्यों को प्रभावित करने और उनके द्वारा प्रभावित होने की प्रवृति उत्पन्न होने की आशंका हो सकती है और इससे राज्य सेवा व्यर्थ ही राजनीति में उलझ सकती है।

३६५

सरकार ने आज्ञा नं. एफ. २५: (४२) जी. ए. (ए) ५१ दिनांक १९ सितम्बर सन् १९५१ द्वारा १२॥ परसेन्ट व १५ परसेन्ट का कोटा शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिडयूल्ड ट्राईब्स के लिये समस्त राजकीय विभागों में निर्धारित किया ।

(क) शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिडयूल्ड ट्राइब्स के सदस्य पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य राजकीय विभागों में अभी तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार नौकर रखे गये हैं। प्रत्येक विभाग की सूचना देना सम्भव नहीं क्योंकि इसके इकट्ठे करने में समय की आवश्यकता है ।

(ख) २२६१ शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य पुलिस विभाग में अभी तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार नौकर रखे गये हैं।

३६६

१. सरकार को अब तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार सीकर जिले में पांच हरिजनों को क्लास (चार) में माह दिसम्बर सन् १९५१ के अन्त तक नौकर रक्खा है।

२. यह प्रश्न ही नहीं उठता।

३६७

इस बारे में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जिन कर्मचारियों ने काम किया है [illegible] यदि तनख्वाह नहीं मिली है तो चढ़ी २ तनख्वाह तुरन्त दे दी जाने का आदेश दिया जा चुका है और विलम्ब के बारे में जांच की जा रही है।

३६८ (७०सी एम)

On formation of Rajasthan the new State took over the under-noted Government Securities &c. from the Covenanting States.

(Figures in lakhs).

Jaipur	Rs. 599.28
Bikaner	Rs. 502.89
Jodhpur	Rs. 426.93
Former Rajasthan	Rs. 228.95
Matsya	Rs. 146.81
Sirohi	Rs. 22.16
Jaisalmer	Rs. 10.25
Total	Rs. 1937.27

Out of the total of Rs. 1937.27 lakhs, investments to the extent of Rs. 197.78 lakhs, were encashed and the sale proceeds were utilised on capital expenditure &c. Government Securities and Shares of the face value of Rs. 261.38 lakhs have been transferred to the Central Government as a result of the Federal Financial Integration. Securities &c. for Rs. 5.57 lakhs were refunded to the depositors concerned and those for Rs. 57.32 lakhs were transferred to the administrators of the following funds for being spent on

the purposes for which such funds were created. It is not known as to what amount has so far been spent by the administrators out of these funds :—

1.	Rajputana University	20.00 lakhs.
2.	Rajasthan Post War Reconstruction Fund	10.00 lakhs.
3.	Bharatpur Maharaj Kumari Marriage Fund	10.00 lakhs.
4.	Board of Trustees of the undermentioned funds, Bikaner	17.32 lakhs.
		57.32 lakhs.

(a) His late Highness Memorial Fund	2.17
(b) For supply of Water	5.82
(c) Public Welfare Fund	8.28
(d) Golden Jubilee S. Fund	.95
(e) Flood Account	.10
Total	17.32

While transferring trust funds, Government had appointed Committees to administer these funds and the same had been notified in the Raj-Patra. The Chairman is required to furnish reports to Govt. annually and any expenditure incurred is subject to audit by an auditor to be appointed by Govt. Now that a year has passed since the funds were transferred, the prescribed annual report is expected to be received shortly.

३६९

१. ८१०

२. १.

३. यह वाकिफयत अप्राप्त है ।

४. सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए तबादले किये जाते हैं ।